खण्ड-214, अंक-7
मंगलवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1882
(2 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतीसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदोरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातीराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर आचार्य, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्तव, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीला चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ अगस्त, १९६०

तारांकित प्रश्न

नैनीताल में चाइना पीक पर पानी का कष्ट

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चाइना पीक पर वन विभाग की तरफ से कैन्टीन का ठेका नीलाम किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त कैन्टीन कितने में नीलाम की गई तथा किन शर्तों पर?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां। चाइना पीक शिखर पर वन विभाग की तरफ से १४ फीट लम्बी और १४ फीट चौड़ी भूमि का एक टुकड़ा प्रति वर्ष टेन्डर आमंत्रित कर चाय, पानी आदि की दुकान के लिये लीज पर दिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कैन्टीन के लिये १,०५१ रुपये मिले। लीज की मुख्य शर्तें यह हैं:—

(१) चाय बेचने की दर १६ नये पैसे फी कप से अधिक नहीं होगी।

(२) पानी बेचने की दर ६ नये पैसे फी गिलास से अधिक नहीं होगी।

नोट:—तारांकित प्रश्न १–२ श्री अब्दुल रऊफ लारी ने पूछे।

(३) अन्य वस्तुयें नैनीताल में प्रचलित दरों से २५ प्रतिशत से अधिक दर पर नहीं बेची जावेंगी।

(४) इन वस्तुओं की दरों की एक लिस्ट दुकान के सामने टांगी जायेगी।

(५) लीज की शर्तों को न मानने पर दुकानदार पर ५० रुपये प्रति उल्लंघन जुर्माना किया जा सकेगा।

*२--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि चाइना पीक पर पानी दस नये पैसे फी ग्लास पीने को प्राप्त होता है?

श्री सैयद अली जहीर---इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार अथवा सम्बन्धित वन अधिकारियों को नहीं मिली।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि चाइना पीक में बहुत टूरिस्ट जाते हैं और दिनों दिन उसका आकर्षण बढ़ रहा है और प्रदेश का टूरिस्ट विभाग है तो वन विभाग से इसको टूरिस्ट विभाग में हस्तांतरित करने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर---यह मैं नहीं समझा कि इसके हस्तांतरण से क्या मतलब है। हम इसको ठेके पर देते हैं और जो लेता है वह हमारी शर्तों को मंजूर करता है और चलाता है। अगर यह टूरिस्ट विभाग में चला जायगा तो अलग चीज होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी वहां हाई ड्रम द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे पानी वहां पहुंच सके और बिना पैसे के लोगों को वहां पानी पीने के लिये मिल सके?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकता। वहां से ६ फर्लांग पर पानी है और आदमी लादकर ले जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैंने इसीलिये हाई ड्रम का नाम लिया कि इसमें पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है।

श्री अध्यक्ष---वित्त मंत्री जी कोई टेक्नीकल आदमी नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---हाई ड्रम का यंत्र ऐसा है जिससे नीचे से ऊपर पानी चढ़ता है, इसको चाहे सहन विभाग से या टूरिस्ट विभाग से मंत्री जी लगाने की कृपा करें जिससे हजारों यात्रियों को पानी पीने के लिये मुफ्त मिल सके।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह तो लांग टर्म स्कीम है, इस पर भी विचार कर लिया जायगा कि कितना खर्चा पड़ता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह स्थान ऐसा है जहां अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग आते हैं और वहां एक हजार रुपये से जो जगह बनाई गई है वह इतनी गन्दी मड़ैया है जो त्रिपाल से ढकी है। इसको अच्छा मकान बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो बिलकुल सही है कि इसको बहुत कुछ दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन जो सूरते हाल है उसको अर्ज कर दिया गया और इसकी बेहतरी के लिये विचार किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि बाहर से बहुत से टूरिस्ट यहां आते हैं और फारेस्ट की आमदनी सरप्लस होती जा रही है और हाई ड्रम की तो लांग टर्म स्कीम है, कोई शार्ट टर्म स्कीम के द्वारा वहां पानी का इंतजाम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह चाहते हैं कि शार्ट टर्म में एक प्याऊ लगवा दी जाय।

श्री सैयद अली जहीर---बहरहाल इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कितना खर्चा होगा।

*३-४---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[पांचवें बुधवार के लिये स्थानांतरित किये गये।]

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[हटा दिया गया।]

कानपुर विद्युत पूर्ति प्रशासन द्वारा बिजली की दर बढ़ाना

*६---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर विद्युत पूर्ति प्रशासन (KESA) ने डोमेस्टिक टैरिफ के सभी करार पत्रों को रद्द करने का आदेश दे दिया है और नवीन व्यवस्था के अनुसार इन सभी प्रतिष्ठानों को आज्ञा दी गयी है कि भविष्य में उन्हें बिजली की प्रत्येक यूनिट पर १६ नया पैसा और ५० नया पैसा मासिक मीटर का किराया देना पड़ेगा ? यदि हां, तो करार-पत्र क्या थे और कितने दिन के लिये थे ? विद्युत पूर्ति प्रशासन को ऐसा क्यों करना पड़ा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं, सब को तो ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है पर कुल ५५० उपभोक्ताओं में से लगभग १०० ऐसे उपभोक्ता हैं जो घरेलू काम में बिजली का उपयोग नहीं करते थे सिर्फ उनको ही इकरार-नामे के अनुसार १ माह की नोटिस दी गई है। अब इन उपभोक्ताओं पर सामान्य दर लागू होगा।

श्री ऊदल---जैसा मंत्री जी ने बताया कि १०० ऐसे उपभोक्ता हैं जो घरेलू कामों में बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं इसकी जांच कब और किसके द्वारा की गई ?

श्री धर्मसिंह---जांच करने का तो प्रश्न नहीं उठता। जो लोग बिजली लेते हैं उनसे ऐग्रीमेंट इत्यादि होता है, उस पर कार्यवाही होती है। उसी से अधिकतर निर्णय होता है कि किस तरह का उपभोक्ता है। उसके लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं। उसमें खास तौर से लिखते हैं।

श्री ऊदल---जब जांच नहीं की गई तो कैसे पता चला कि १०० उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल घरेलू काम में नहीं करते हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---जांच की गई और मालूम हुआ कि १०० कनज्यूमर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक परपजेज के लिये नहीं बल्कि कमर्शियल परपज के लिये बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दूसरा पे कमीशन नियुक्त करने की मांग

*७---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम तथा अन्य सुविधाओं पर पुनर्विचार करने के लिये किसी "Pay Commission" की नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ऊदल--मंत्री जी बतायेंगे कि पे कमीशन के नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार के सामने क्या-क्या कठिनाइयां हैं जिससे सरकार नहीं चाहती कि पे कमीशन नियुक्त किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--कठिनाई नहीं है। सरकार आवश्यकता नहीं समझती।

श्री प्रतापसिंह--इस बात को देखते हुए कि पहले पे कमीशन की मियाद १९५६ में समाप्त हुई और महगाई बढ़ती जा रही है, इन तमामबातों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज करने की कोई स्कीम बना रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मालूम है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इसीलिये महंगाई भत्ता भी बराबर बढ़ाती जा रही है। लेकिन पे कमीशन की जो दूसरी जरूरियात होती हैं सरकार के खयाल से अभी ऐगजिस्ट नहीं करती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मंत्री जी को मालूम है कि सन् १९४७ की पे कमेटी की मियाद १९५७ तक थी उसके टर्म्स आफ रेफरेंस के मुताबिक, जिसके आधार पर जरूरियात आज तक वेतन वगैरह मिल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है उसमें ऐसा लिखा हो। लेकिन इस समय जो सूरतेहाल है उसमें पे कमीशन की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाई है वह सरकार को मालूम है और सरकार उसका इलाज जहां तक हो सकता है खुद कर रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि पे कमीशन बिना बैठाये भी वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ज्यों-ज्यों मंहगाई बढ़ती घटती जाय उसके मुताबिक भत्ता बढ़ता-घटता जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो नहीं है कि कोई ऐसा स्केल बना दिया जाय कि महंगाई जैसे बढ़ती जाय भत्ता भी घटता बढ़ता जाय, लेकिन यह जरूर है कि जैसे-जैसे महंगाई इधर बढ़ रही है उस पर विचार कर रहे हैं और जो कुछ हमारे इमकान में है उसके लिये बराबर भत्ता बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि सेंकिड पे कमीशन जो केन्द्र ने बैठाया था उसने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति को देख कर अपने यहां वेतन क्रम मुकर्रर करे और उसके बारे में सरकार विचार करे ?

श्री सैयद अली जहीर--माननीय सदस्य को यह मालूम होगा, मैंने यह सिफारिश नहीं पढ़ी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कर्मचारियों में वेतन और महंगाई भत्ते के कारण असंतोष है और उस असंतोष को दूर करने के लिये सरकार फिर से पे कमीशन बैठाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप वजह बतला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इसे आवश्यक नहीं समझते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार पे कमेटी बैठाने के पक्ष में नहीं है तो कौन सा उसूल उसने तय किया जिससे वह महंगाई बढ़ा रही है या वेतन कर्मचारियों को देना चाहती है ?

श्री सैयद अली जहीर--उसूल उसके बहुत अच्छी तरह से सब को मालूम हैं और थोड़ी देर में उन सब उसूलों को बतला नहीं सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने बार बार मेमोरेंडम दिया है कि सरकार इन तरीकों को अपनाये जिससे सरकार की ट्रेजरी पर कम खर्च पड़ेगा और कर्मचारियों के वेतन में तथा अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी हो जायगी तो अगर सरकार पे कमीशन बैठाने को तैयार नहीं है तो उनके प्रतिनिधियों से मिल कर इन सुझावों पर बातचीत करने को तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर—जो सुझाव इस किस्म के आते हैं उनके ऊपर सरकार अवश्य विचार करती है और उनके ऊपर क्या फैसला होता है, वह अलग-अलग मौके पर जैसा हम सन् १९५९ से बराबर भत्ते में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, वह सभी को ज्ञात है ।

*८—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया ।]

*९—कुंवर श्रीपालसिंह—[२३ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

ऐजड़ ताल से निकले डुंडी पोह कट नाले की भूमि का मुआवजा न मिलना

*१०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में ऐजड़ ताल से जो नाला नहर विभाग ने खुदवाया है उसमें किसानों की कुल कितनी भूमि ली गई है और उसका मुआवजा उन किसानों को दिया गया कि नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—ऐजड़ ताल से डुंडी पोह कट नामक नाले के लिए कुल ३०.४१ एकड़ भूमि ली गई है जिसका मुआवजा अभी किसानों को नहीं बांटा गया है ।

*११—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि दिया गया, तो कब और यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह—मुआवजा अभी तक इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट की धारा ९ (१) तथा (३) के अन्तर्गत सूचना नहीं दी जा सकी । अब यह कार्यवाही पूरी हो गई है और १८ अगस्त, १९६० की तिथि मुआवजे की घोषणा तथा वितरण के लिए नियुक्त है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सही है कि जमीन सरकार ने किसानों से ८, १० साल हुए ले ली और उन किसानों को अब तक उस जमीन का लगान देना पड़ता है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां, बात तो सही है । पहले यह कायदा था कि लोग अपनी कंसेंट दे देते थे और जमीन ले ली जाती थी, कम्पेनसेशन बाद में दिया जाता था । जब इस पर बहुत एतराज हुए तो सरकार ने ३, ४ साल हुए हिदायत दे दी है कि बिना कम्पेनसेंशन दिये हुए जमीन को रिक्वीजीशन न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह नहीं था । सवाल था कि सरकार ने जमीन तो कब्जे में ले ली और तिस पर भी किसानों को लगान देना पड़ रहा है । यह बात सही है या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—वह तो कम्पेनसेशन में मुजरा हो जाता है ।

श्री गिरधारीलाल—असल में जो लगान इस तरीके से दिया गया वह जब से जमीन महकमे के कब्जे में आयी है वापस कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—तो मतलब यह हुआ कि लगान तो हर साल लिया जायगा, लेकिन कब्जा आपका रहेगा ?

श्री गिरधारीलाल---जब कम्पेनसेशन वगैरह सब तय हो जायगा तब तो लगान लेने की कोई बात ही नहीं रहेगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन किसानों को जितना मुआवजा दिया जायगा उससे कहीं ज्यादा लगान उन्हें डांड़ में देना पड़ रहा है, तो वह उनको वापस मिल जायगा ?

श्री महावीरसिंह---वह तो वापस हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब तक मुआविजा तय नहीं होगा क्या तब तक लगान लेते ही रहेंगे या उसे भी स्थगित किया जायगा ?

श्री महावीरसिंह---मैं जरा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसा मैंने अभी अर्ज किया, पहले यह था कि जो लोग कन्सेन्ट से जमीन दे देते थे तो कब्जा ले लिया जाता था और काम हो जाता था। अब यह हिदायत दे दी गयी है कि ऐसा नहीं होगा बल्कि लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होगी। होता यह है कि जब तक लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी नहीं होती तब तक कागजात दुरुस्त नहीं होते और यही अड़चन पड़ रही है। तो जब यह लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरी हो जायगी तो सब मामला अपने आप तय हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---उन लोगों का सीधा कहना यह है कि कब्जा तो आपने ले लिया। उस जमीन से किसान तो फायदा उठाते नहीं हैं। जो कुछ पिछली गलती हुई उस सम्बन्ध में उन्होंने आपको माफ़ किया। लेकिन आगे के लिये क्या आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप कह सकें, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही है कि कम से कम आइन्दा तो लगान वसूल न करें क्योंकि कब्जा आपका है। यह आप कर सकते हैं या नहीं या कोई मशीन ही ऐसी है जिसकी वजह से वसूल करना लाजिमी है ?

श्री महावीरसिंह---इस तरह के केसेज और दूसरों में बड़ा फर्क है.

श्री अध्यक्ष---इन्हीं केसेज में आप वसूली बन्द कर सकते हैं या नहीं ?

श्री महावीरसिंह---इन केसेज में पटवारी के कागजात जब ठीक हो जायंगे उस रोज से बन्द हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---तब बन्द होगा। और अगर दो साल तक कागजात दुरुस्त नहीं हुये तो वसूली होती रहेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह केस दूसरे केस से भिन्न कैसे है ? और यह भी जानना चाहता हूं कि भविष्य के लिये लगान वसूल करने की जो बात कही उसे जरा स्पष्ट करें कि क्या भविष्य में किसानों को लगान देना होगा या नहीं जब जमीन सरकार के कब्जे में है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसका उत्तर अगर माननीय माल मंत्री दें तो ज्यादा उचित हो।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जिस वक्त कागजात मुकम्मिल हो कर हमारे यहां आ जायंगे और हमारे रेकार्ड्स दुरुस्त हो जायंगे कि कितनी जमीन अभी बाकी रह गयी है और कितनी निकल गयी है तो जितनी जमीन बाकी रह जायगी उसकी मालगुजारी हम वसूल करेंगे और जो निकल जायगी उसका लगान नहीं वसूल करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीनें सरकार के कब्जे में आ गयी हैं और जिनके मुआवजे के कागजात अभी तक मुरत्तब नहीं हुये हैं उनसे लगान किस कायदे से वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं जरा स्पष्ट कर दूं। मैं अपने दोस्त को सलाह दूंगा कि वह सब कागजात मेरे पास भेज दें और मैं ठीक करा दूं तो यह सब दिक्कतें दूर हो जायं।

*१२-१४---**श्री मुक्तिनाथराय**---[२३ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर में राप्ती के पुल के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*१५---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफिकेशन नं० ४३३/५-सी-डब्ल्यू/तेईस-पी० डब्लू० ए० १६-एल ए० ५८, दिनांक २१ मार्च, सन् १९५८ के आदेशानुसार शहर गोरखपुर राप्ती पुल के निर्माण हेतु बारह ग्रामों की भूमि अस्थायी रूप से ली गई थी ? यदि हां, तो उनमें से कितने ग्रामों के किसानों को प्रतिकर वितरित किया गया तथा किस-किस ग्राम के किसानों को प्रतिकर को वितरित नहीं किया गया ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग--- सन् १९५८ में सरकार द्वारा ऐसा कोई नोटीफिकेशन निर्गम नहीं किया गया।

द्वितीय भाग--- प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या यह सही है कि इन गांवों की जो जमीन अस्थायी तरीके पर पुल के लिए ली गई थी उसको स्थायी तरीके से लेने के लिए सरकार विचार कर रही है और उसके लिए काश्तकारों को नोटिस भी मिल गई है ?

श्री महावीरसिंह---जी हां, जिस नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया उसके मातहत नहीं, दूसरे नोटिफिकेशन के मातहत।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---किसी भी नोटिफिकेशन के मातहत उनको अगर ऐसी चीज दी गई है कि जिसमें पहले अस्थायी तरीके से जमीन उनसे ली गई थी तो अब स्थायी तरीके से लेने के लिए क्या मजबूरी सरकार के सामने आ गई जिससे वह उनसे मुस्तकिल तरीके से जमीन छीनने जा रही है ?

श्री महावीरसिंह---बहुत से गांव हैं। किस गांव से आपका मतलब है, यह आप साफ कर दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---माननीय मंत्री जी के पास कागजात हैं। जिन गांवों को अस्थायी तरीके पर लिया गया था उन्हीं गांवों को स्थायी तरीके पर नोटिस दी गई है, उसी के सम्बन्ध में प्रश्न है कि क्या मजबूरी आ गई है सरकार को कि उन जमीनों को वह अब मुस्तकिल तरीके पर उन काश्तकारों से छीनने को तैयार है ?

श्री महावीरसिंह---तीन गांव हैं ऐसे---चकरा, आंसूपुर और एक गांव और है। इसमें पेड़ थे---ग्वावा ट्रीज और उनके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यह बात आयी कि ऐसी जमीन जिन पर कि पेड़ हैं उनको अस्थायी तरीके से ट्रीट न करके स्थायी तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इसलिए यह कार्यवाही की गई।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---जो भूमि अस्थायी तरीके से ली गई थी और जिसको अब स्थायी तरीके से लेने का सरकार का विचार है उसका रकबा कितना है ?

नोट--- तारांकित प्रश्न १५ श्री अब्दुल रऊफ लारी ने पूछा।

श्री महावीरसिंह---अलग अलग गांव में अलग अलग है। मेरे पास चकरा का है सम्भवतः ठीक-ठीक तो मैं नहीं कह सकता ३०.०१ एकड़ है और आंसूपुर में .०६६ एकड़ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस जमीन को स्थायी रूप से लेकर वह क्या करेंगे ? इसका स्थायी उपयोग क्या होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जमीन का उपयोग यह होगा कि जब पुल बनेगा तो इधर उधर बांध ऊंचे किये जायेंगे, वहीं मिट्टी खोदी जायगी और खोदकर बांध में डाली जायगी, यही सब उपयोग होगा और क्या होगा ?

श्री रामायणराय---इन गांवों की जमीन कब ली गई थी और उनको कितना प्रतिकर दिया गया और कब ?

श्री महावीरसिंह---ली कहां गई, लेने का इन्तजाम हो रहा है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि पेड़ों को काटने के लिए जमीन को स्थायी रूप से लेना जरूरी था ? वह स्थायी रूप से न लेकर अस्थायी रूप से ली गई और पेड़ काट डाले गए, इल्लीगल काम हो गया। तो अब सिर्फ उसको लीगलाइज करने के लिये स्थायी रूप से जमीन ली जा रही है। अगर यह सही है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ लीगलाइज करने के लिए लोगों को सरकार इतना परेशान न करे तो अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल---इस सवाल में जैसा कि कहा गया इस जमीन की जरूरत थी। परमानेंट बेसिस पर लेने की कोशिश की गई। इसी बीच में हाई कोर्ट में वहां के काश्तकारों ने एक रिट भी दाखिल किया। इस वक्त पूरी प्रोसीडिंग्स रुकी पड़ी हैं। उसका फैसला हो जाय, फिर जो भी होगा करेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी ठीक ठीक यह बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती पुल के निर्माण हेतु अस्थायी रूप से कितनी जमीन ली गई ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतला दिया कि अलग-अलग गांवों में है। जो गांवों का उनको मालूम था वह उन्होंने बतला दिया।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी अगर वे रिट वापस करने को तैयार हो जायं तो स्थायी रूप से जमीन लेने के कार्यक्रम को रद्द करने के लिये तैयार होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---"इफ" और "बट" से जो सवाल होता है उसका जबाव देना बड़ा मुश्किल है।

---

१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न १ के सम्बन्ध में श्री अक्षयवरसिंह द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---माननीय अक्षयवरसिंह जी ने कल मुझे एक पत्र लिखा था कि कल एक प्रश्न के उत्तर में उनका नाम भी यहां लिया गया और वे यहां मौजूद नहीं थे। तो उस संबंध में वे वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री अक्षयवरसिंह (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दिनांक १-८-६० के श्री मदन पांडेय के प्रश्न संख्या १ के संदर्भ में मुझे आप से निवेदन करना है कि उक्त प्रश्न से हमारा भी संबंध है। चूंकि हम उस समय उपस्थित नहीं थे। अतः उस प्रश्न के संबंध में हमें यह कहना है कि जिला फेडरेशन गोरखपुर का जो गोलमाल है

वह १९५२ और १९५७ के बीच का है। वर्तमान बोर्ड में हम लोग १९५८ में आये और पुराने गोलमाल और गड़बड़ियों की छानबीन कराये, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक व कानूनी कार्यवाही बोर्ड ने किया।

अब अधिकारियों ने यह देखा कि हमारी काफी बदनामी होगी तो अपने बचाव के लिये वर्तमान बोर्ड को मुअत्तल कर दिया है। स्पष्ट बात यह है कि फेडरेशन का गोलमाल पुराना है और हम लोग १९५८ के डाइरेक्टर हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं जानना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य १९५८ में आये तो संचालक मंडल में कौन-कौन लोगों से उनका मतलब है जिनके बारे में वह कह रहे हैं ?

श्री अक्षयवरसिंह—कल हम लोगों का नाम आया था। उनमें हैं सर्वश्री अक्षयवरसिंह, द्वारिकाप्रसाद पांडेय, गनेशप्रसाद पांडेय और श्री ए० पी० वर्मा आदि। इनके अलावा और भी कई व्यक्ति थे।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सच है कि जो गबन का चार्ज है उसमें कुछ चार्जेज स्पष्ट रूप से और स्पेसिफिक तौर पर श्री वर्मा पर लगाये गये हैं जिनकी जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो मिनिस्टर देंगे। कल यह प्रश्न पूछा गया था और चूंकि वह बोर्ड सस्पेंडेड है इसलिये उसके वे सदस्य हैं। सस्पेंडेड थे जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और इस सदन के सदस्य भी हैं। उनमें श्री अक्षयवरसिंह जी का नाम भी लिया गया और कुछ अन्य लोगों का नाम लिया गया था। चूंकि वह उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिये उनको यह स्पष्टीकरण देने का अधिकार मैंने दिया। अगर आपको कोई प्रश्न उसके संबंध में पूछना हो तो आप दूसरा प्रश्न मिनिस्टर से कर सकते हैं न कि अक्षयवरसिंह से।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण के बाद वह प्रश्न और अस्पष्ट और भ्रामक हो गया है क्योंकि उत्तर में कल माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वर्मा जी के खिलाफ शिकायतें हैं और गबन की शिकायत है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन चूंकि अक्षयवरसिंह जी इस सदन के सदस्य हैं इसलिये उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। वर्मा जी क्या सदन के सदस्य हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—वर्मा जी वहां कांग्रेस पार्टी के कुछ हैं।

श्री गौरीशंकर राय—वे प्रबन्ध संचालक हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने सदन के सदस्यों को यह अधिकार दिया है कि अगर उन पर कोई चार्ज किसी प्रश्न के उत्तर में लगाया जाय और वे मौजूद न हों तो वे अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आपने मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहा था कि वे नाम लें। उन्होंने नाम लिये।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं, श्रीमन्। माननीय अक्षयवरसिंह इस सदन के सदस्य हैं। उनके बारे में यहां कुछ बातें कही गयीं। श्रीमन् ने उनको स्पष्टीकरण का अवसर दिया। परन्तु उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कुछ अन्य लोगों के नाम भी लिये जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम १९५८ से पहले सदस्य नहीं थे और १९५८ के बाद सदस्य हैं। यानी "मैं" के बजाय उन्होंने "हम" का इस्तेमाल किया है। क्या वे अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन लोगों के बारे में भी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं हवाला दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—बात सही है कि उन्होंने "हम" शब्द का इस्तेमाल किया है, परन्तु वे अपना स्पष्टीकरण कुछ भी दे सकते हैं और चूंकि ४, ५ लोगों के नाम मंत्री जी ने लिये थे जो सभी इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं है इस कारण उन्होंने "हम" इसीलिये इस्तेमाल किया कि वे उन आदरणीय सदस्यों की तरफ से भी कह रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया अपने वक्तव्य में, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि उनका नाम बतावें, माननीय गौरीशंकर राय जी द्वारा, तो उन्होंने नाम लिये वरना वह यही कह रहे थे कि संबंधित घटना में वे और उनके साथी सदस्य नहीं थे और ऐसा स्पष्टीकरण करके उन्होंने खत्म कर दिया था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या अक्षयवरसिंह जी और उनके साथी जो भी थे जिन्होंने चार्ज लिया था उन्होंने कोई रिपोर्ट की थी कि इसमें गबन है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कह दिया अपने वक्तव्य में कि उन लोगों की रिपोर्ट दी गयी किन्तु चूंकि अफसरान ने अपने को बचाने के लिये फेडरेशन को ही मुअत्तल करा दिया, इस कारण सदस्य होने की वजह से प्रस्तुत सदस्य भी मुअत्तल हो गये । उन्होंने यह भी कहा कि उनका कोई कसूर नहीं था । अब इसमें कोई बहस नहीं होगी । अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो दूसरा प्रश्न मंत्री जी के पास भेजिये । उन्होंने अपनी सफाई दे दी ।

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का १२वां प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं टांडा पम्प कैनाल योजना से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का १२ वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सीतापुर जिला जेल में सोशलिस्ट बन्दियों के साथ अभिकथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—दो कामरोको प्रस्ताव आये थे, मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है । नियम ५२ के अधीन जो श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री मूलचन्द ने पेश किया है उनको मैंने स्वीकार किया है कि उसकी तरफ सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाय । वह इस प्रकार है:—

"सूचना प्राप्त हुई है कि जिला कारागार, सीतापुर, में अकारण बर्बरतापूर्ण ढंग से सोशलिस्ट सत्याग्रही बंदियों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें ४ बन्दी तो बुरी तरह घायल हो गये हैं और उनका कोई समुचित इलाज नहीं हो रहा है और जेल में फुट पैरियों पर कराह रहे हैं तथा तीन ऐसे सत्याग्रही बंदियों की चोटें आई है जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, वे इस समय सदर अस्पताल, सीतापुर, में हैं ।

इन सोशलिस्ट सत्याग्रही बंदियों में से कुछ तो ३० जुलाई, को अपनी सजायें काट कर छूटने वाले हैं । उन्हें भी इसी में रोक लिया गया है जिसमें डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा भी हैं जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं ।

अतः इस बर्बरतापूर्ण व निर्दयतापूर्ण ढंग से किये गये लाठीचार्ज के कारण जिले की जनता में काफी रोष तथा क्षोभ का वातावरण व्याप्त है जिससे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं ।"

माननीय समाज कल्याण मंत्री । आप कोई वक्तव्य अगर आज देना चाहें तो दे सकते हैं ।

---

*छापा नहीं गया ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, इस समय तो मैजिस्टोरियल इन्क्वायरी हो रही है । दूसरे इसकी कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पायी है । अगर आप इजाजत दें तो मैं परसों इसका उत्तर दे दूं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप परसों इसका उत्तर दे दीजिएगा ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---चूंकि, श्रीमन्, मुझ पर बीती है, इसलिये मैं कुछ बातें सदन को बतलाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो ?

श्री अध्यक्ष---आप परसों ही कह सकते हैं ।

एक सदस्य---इसमें मान्यवर, देर हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---देर नहीं होगी । अगर सूचना पूरी-पूरी मिल जाय तो एक दो दिन की देर, देर नहीं कहलाती ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---तो उस दिन आप मुझे इजाजत दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---उस दिन आप कह सकते हैं ।

छोटी छत्तर मंजिल के भवन के गिरने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो ध्यान आकृष्ट किया था उस पर माननीय निर्माण मंत्री जो अपना वक्तव्य देंगे ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय २४ जुलाई, १९६० को सवेरे करीब ८ या साढ़े ८ बजे छोटी छत्तर मंजिल की इमारत गिरी थी । बारिश बहुत ज्यादा थी, इस वजह से ऐसा वाकया हुआ, यह कहा जाता है । यह इमारत सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है । आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट के जेरे निगरानी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को यह इमारत दे दी थी । इसमें राज्य सरकार के बहुत से विभाग थे जो इस प्रकार हैं :---

१---रोजमल असिस्टेन्ट कम्पेन्सेशन कमिश्नर का दफ्तर,

२---एकाउन्ट्स आफिस, बोर्ड आफ् रेवेन्यु,

३---कमिश्नर का आफिस,

४---मेप्स रूम आफ दि बोर्ड आफ रेवेन्यू,

५---डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का भी एक जुज था, तथा

६---डाइरेक्टर आफ मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज का भी कुछ हिस्सा था ।

इसके गिरने से अभी तो यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि कितना वाकई में नुकसान हुआ है क्योंकि सालवेज का काम अभी जारी है । बहुत सी चीजें निकाल ली गई हैं और बहुत सी निकाली जा रही हैं । लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान किया गया है कि रीजनल एसिस्टेंट कम्पेन्सेशन कमिश्नर के आफिस का लगभग ३ हजार का नुकसान हुआ है, एकाउन्ट्स आफिस का ३ हजार का, कमिश्नर आफिस का लगभग ३८ हजार का, मैप्स रूम का लगभग ७ हजार का, तथा आफिस आफ डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का लगभग २० हजार का नुकसान हुआ है । मेडिकल का कोई नुकसान नहीं हुआ है । जहां तक कि कमिश्नर के आफिस का ताल्लुक है, सामान सब निकाल लिया गया और एपीडेमिक सेक्शन का सामान निकाल लिया गया । एग्रीकल्चर का जो प्रेस वगैरह था, वह सब मशीनें भी निकाल ली गईं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

रीजनल असिस्टेंट कम्पेनसेशन का आफिस जो है वह नारंग बिल्डिंग में चला गया है और एकाउन्टस आफिस जो था वह भी उसी में सेकेन्ड फ्लोर पर चला गया है। इस तरह कमिश्नर का जो आफिस था वह ए० जेड० पी० बिल्डिंग में जिसमें ए० डी० एम० (जे०) इजलास करते हैं चला गया है। मैप्स रूम में जो नक्शे वगैरह थे वे निकाले जा रहे हैं, पर यह पता नहीं उसमें कितना नुकसान हुआ है डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का जो प्रेस सेक्शन था उसका सामान निकाल कर, उसके करीब में जो स्टेडियम है, उसमें पहुंचा दिया गया है। वहां एक कमरा जो दिया है उसमें पहुंचा दिया गया है। एक कमेटी सरकार ने इंजीनियरों की कायम कर दी है ताकि वह इन बिल्डिंगों के जो उसके करीब अब भी हैं--म्युजियम बिल्डिंग और हाई कोर्ट बिल्डिंग और बोर्ड की बिल्डिंगें जो हैं उनकी क्या हालत है इसकी इन्क्वायरी करें। वह सब को टेस्ट करके रिपोर्ट देंगे तभी कहा जा सकता है कि वह खतरे में हैं या नहीं।

यह इत्तला मैंने सदन के सामने दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह जो छत्तरमंजिल की इमारतें थीं या जो अब भी हैं, जो बची हैं, यह किसके ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इनका मेंटिनेंस, रख रखाव आता है और अब तक रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस डिपार्टमेंट के कब्जे में जो हिस्सा है उसकी सालाना मरम्मत वह डिपार्टमेंट करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह बिल्डिंग जबकि सन् २० में डायरेक्टोरेट आया तबसे हर एक डिपार्टमेंट ने पी०डब्लू० डी० को संरक्षण के लिये बुलाया था और इसकी जिम्मेदारी पी०डब्लू०डी० की थी जो कि पूरी नहीं की गयी और यही कारण है कि वह इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जरा इसकी सफाई करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह कारण नहीं इनके जवाब न देने का। इसमें माल विभाग की बहुत सी इमारतें, हैं, हेल्थ की भी थीं। लिहाजा हमने समझा कि हम ही जवाब दे दें। पी०डब्लू० डी० के जो आफिसर्स हैं वह दो वर्ष के बाद सब बिल्डिंगों को टेस्ट करते हैं और उन्होंने किया, लेकिन करो चाहे जितना मैं तो कायल नहीं हूं कि एक्सपर्ट बता सकेगा कि यह बिल्डिंग गिरेगी या नहीं। बहुत सी गलतियां एक्सपर्ट्स से हो सकती हैं, लिहाजा यह कहना कि क्यों नहीं पहले से बता दिया तो हर साल बरसात आती है, उसकी बनावट अन्दरूनी ऐसी है जिसको आजतक कोई जान ही नहीं सका। उसमें नीचे एक टनेल है, उससे हमेशा पानी बेसमेंट में जाता है और निकाला जाता है, निकलता है। इतनी गलती जरूर है कि २३-२४-२५ या उसके पहले जाकर के देख लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट ने जो शर्तें लगायीं यू०पी० गवर्नमेंट को बिल्डिंग देने के पहले वह क्या थीं, तीन शर्तें थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आपको मालूम है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---और लोगों को भी मालूम हो जाय इसलिये बता दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहली शर्त यह थी कि उसमें हम कोई आल्टरेशन या ऐडीशन नहीं करेंगे बिना उनकी मंजूरी के। दूसरी बात यह कि रिपेयर वगैरह सालाना के हम जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष---यह भी शर्त थी कि गिरने नहीं देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह शर्त नहीं थी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इस बिल्डिंग से बिलकुल मिली हुई जो दूसरी इमारत है उसमें एक तहखाना है जिसमें १५ फिट तक पानी भरा हुआ था और इस घटना से दो दिन पहले मशीन के जरिये से निकाला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह कौनसी बिल्डिंग थी मिली हुई, मैं नहीं जानता।

श्री देवनारायण भारतीय---इस छोटी छतरमंजिल के जो बाईं तरफ की बिल्डिंग है उसमें से हर साल पानी जो टनेल के जरिये से आ जाता है नीचे ही नीचे वह मशीन के जरिये से निकाला जाता है। और इस वर्ष ही इस घटना से दो दिन पहले १५ फिट पानी जो भरा हुआ था बुनियादों में वह दो दिन पहले निकाला गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं समझता हूं आपका मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इन्सीट्यूट बिल्डिंग से है। पानी निकालने से यह घटना नहीं हुई। जहां १५ फिट पानी निकाला गया वह तो बरकरार है, लेकिन क्षति दूसरी तरफ हुई जो कयास के बाहर था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या शर्त के मुताबिक पारसाल उसकी मरम्मत कराई गई थी और हर हाल मरम्मत कराई जाती थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हर साल एनुअल रिपेयर्स तो हुआ ही करते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस इमारत का कुछ हिस्सा सन् १९५३ में पुरानी अवध की सरकार का खजाना तलाश करने के लिये खोदा गया था, लेकिन उसकी मरम्मत सात साल तक नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नवाबी खजाने की बात लखनऊ के रहने वाले लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते।

श्री नारायणदत्त तिवारी---२४ जुलाई को कोई बारिश नहीं हुई बल्कि उसके एक दो दिन पहले हुई थी और बिल्डिंग में पहले ही क्रैक्स आ गये थे फिर भी उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बारिश तो १५ दिन तक लगातार हुई। बारिश पहले से हो रही थी मुसलसल, यह दूसरी बात है कि किसी दिन कम और किसी दिन बेश।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं मिला उस बिल्डिंग में पहले से क्रैक्स आ गये थे और उसकी सूचना दी गई थी, लेकिन फिर उसकी जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक ओवरसियर को बुलाया गया था और उसको दिखलाया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---उसने क्या कहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसने कहा कि क्रैक हो गया है, लेकिन जब तक कोई इन्तजाम हो, बिल्डिंग गिर गई।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें बताया कि करीब ७१ हजार रुपये की क्षति हुई, इस बात को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने आस पास की इमारतों का निरीक्षण करने के लिये जो कमेटी बनाई है वह क्या लखनऊ स्थित जो दूसरी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें कि हजारों लोग रोज आते जाते हैं और कुछ में प्रदेशीय

[श्री चन्द्रजोत यादव]

और केंद्रीय कार्यालय भी मौजूद हैं, क्या सरकार आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट से सिफारिश करेगी या उनसे दरख्वास्त करेगी कि तमाम ऐतिहासिक इमारतों का निरीक्षण कमेटी एक बार करले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन इमारतों से हमारा संबंध है उनका हम करा लेते हैं, बाकी वह खुद ही करायेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय माल मंत्री जी सन् १९५३ में जो नवाबी खजाने की खुदाई हुई उसका राज बताने की कृपा करेंगे और किस समय उसके बाद उसकी मरम्मत हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नवाबों के खजाने की बात तो उनके दीवान लोग जानते थे और कोई नहीं जानता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, इतने दिन बीत गये, लेकिन अब भी फाइलें दबी हुई हैं। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जिससे कम से कम कागजात तो अब तक निकल आते क्योंकि कुछ कागजात तो किसी कीमत पर बाद में नहीं मिलेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---साल्वेज हो रहा है, काम बन्द नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो हमारे मित्र मदद करें और हम और वह चल करके निकलवायें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मंत्री जी ने कहा कि अभी सामान दबा हुआ है जोकि निकाला जा रहा है तो फिर उन्होंने अभी से क्षति का अंदाजा कैसे लगा लिया कि ७१ हजार की क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने पहले ही शब्द "अनुमानतः" कहा था। मैंने कह दिया था कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि अभी सब चीजों का पता नहीं चला है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या यह सही है कि चूंकि वहां पर ५-७ विभाग थे इसलिये सहकारिता की भावना उत्पन्न हो गई जिससे उसकी मरम्मत नहीं हो पायी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सहकारिता से ही सबकी मरम्मत नहीं होती, अलग-अलग होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब क्रैक्स होने का पता २० घंटे पहले हो गया था तो इस बीच में टाइपराइटर और फाइल इत्यादि क्यों नहीं हटा लिये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह पता नहीं चला था कि ३,४ घंटे में गिर जायगी, ८ बजे गिरी है।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं कि जब इतने सार्वजनिक महत्व के प्रश्न यहां होते हैं यों उत्तर ह्यूमरस हों तो अच्छा है उनमें लोगों को हंसी आ जावे और यहां का वातावरण अच्छा रहे-लेकिन जब सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हों तो उनको इस प्रकार मजाक में उड़ा देना कि तथ्य छिपा रह जाय, यह कहां तक उचित है, क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि हमें हमारे प्रश्नों का उचित उत्तर मिलने की सुविधा हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने कोई मजाक नहीं किया। अगर आप हंस दें तो मैं क्या करूं? मैंने किस सवाल का जवाब नहीं दिया?

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों आदमी उन कार्यालयों में काम करते हैं और अगर वह दिन छुट्टी का नहीं होता तो सैकड़ों लाशें हो सकती थीं। अब भी दूसरे कार्यालय वहां हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने, जो यहां बैठे हैं, समय मांगा, लेकिन उन्होंने उत्तर देना क्यों नहीं उचित समझा और आज उपनेता सदन से उत्तर दिलवाये हैं?

श्री अध्यक्ष--गवर्नमेंट की ज्वाइंट जिम्मेदारी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आपको जवाब से मतलब है कि आदमी से?

श्री गौरीशंकर राय--यह जरूर है कि गांव में जब तमाशा आता है या नाच आ जाता है तो लोग हंस ही देते हैं, लेकिन इस तरह की हंसी से विधान सभा में हमें उचित उत्तर मिलने का भी हक खत्म हो जाय....

श्री अध्यक्ष--वह हक़ खत्म नहीं होता है।

श्री गौरीशंकर राय--मैं इसका उदाहरण बतलाता हूं। मंत्री जी ने पूछा कि किस सवाल का जवाब नहीं दिया। नारायणदत्त जी ने पूछा था कि शर्तें क्या हैं। मंत्री जी ने केवल २ शर्तें बतलाईं और तीसरी के लिये इधर उधर देखकर वह बैठ गये। ऐसी सूरत में हंसी आ जाना स्वाभाविक है। त्रिलोकीसिंह जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने अवध के नवाब और दीवान कह कर खत्म कर दिया। सैकड़ों आदमियों की जान का यह सवाल था अगर कार्यालय के समय इमारत गिरती। तो यह कहां तक उचित है कि इस प्रकार नाच-सा या मजाक करके प्रश्न खत्म कर दिया जाय?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई चीज मेरे सामने नहीं आई। अगर उन्होंने कभी थोड़ा सा ह्यूमर दिखलाया भी, तो मैंने एक के बजाय तीन सवाल करने की इजाजत आपको दी। वह मजाक से बात को खत्म नहीं कर पाये। तो आप यह नहीं कह सकते कि आपने प्रश्न पूछने में कोई कसर रखी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--तीसरी हमारे पास है नहीं, वरना मैं बतला देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह पी०डब्लू०डी० की जिम्मेदारी है। वह मैन्टीनेंस की जिम्मेदारी से बचना चाहती है।

श्री अध्यक्ष--अगर आप जानते हैं तो आप उनको बतला दें कि तीसरी शर्त यह थी कि पी० डब्लू० डी० की जिम्मेदारी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां। एक पैसा भी यू०पी० गवर्नमेंट आर्क्योलाजीकल डिपार्टमेंट को नहीं देती थी। सारा रुपया इसमें लगाना था। क्या सरकार इन इमारतों का कोई किराया भी देती थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरा खयाल है कि हम किराया नहीं देते हैं। हम सालाना मैन्टीनेंस करते हैं और कई हजार रुपया खर्च करते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, दूसरी इमारत भी बड़े खतरे में है। वह भी गिर जायगी। इस छतर मंजिल से उस छतर मंजिल तक जाने के लिये एक सुरंग थी। पी० डब्लू डी० ने उसे खुदवाकर कुछ तजुर्बा करना चाहा। खुदवा डाला

[श्री शिवप्रसाद नागर]

ठीक से मेंटीनेंस नहीं किया। उसे बन्द नहीं किया। फ्लड का पानी बरसात में नदी से आ गया। ऊपर से यह इमारत बिलकुल नहीं गिरी। पानी से सारी बुनियादों को नम किया।

श्री अध्यक्ष---आप यह सरकार को लिखकर भेज दें। आप, क्या खतरा है यह लिखकर उनको भेज दें।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, एक और वैधानिक प्रश्न है। जब इस तरह के प्रश्न सदन में उठाये जाते हैं और उसके लिये माननीय मंत्री १ दिन, २ दिन या ३ दिन का समय लेते हैं और सूचनाओं को केंद्रीय कार्यालय से भी मंगाना होता है, तो जब निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिये मंत्री जी का ऐसा कहना कि मेरा खयाल है या हम नहीं जानते, कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---जिस समय ऐसा उत्तर आवे उसी समय ही टोकें कि यह उत्तर वैधानिक ढंग से उचित नहीं है। सब मामला खत्म हो जाने के बाद आप सवाल उठावें तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री गौरीशंकर राय---अभी मंत्री जी ने कहा कि मेरा ऐसा खयाल है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बात यह है कि मेरी जबान इतनी रवां नहीं है जितनी कि हमारे मित्र की है। मैं कोई किराया नहीं देता हूं, मैंटेन करता हूं।

अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक पर विचार के समय सवा एक से सवा दो बजे तक बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि जब तक यह सीलिंग वाला बिल चले तब तक १ घंटे के लिये, सवा बजे से सवा दो बजे तक, कार्य रुक जाय और लंच के लिये ब्रेक हो। मैं नियम ३१५ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप नियम निलम्बित कराना चाहते हैं ? इसमें किसी को आपत्ति है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया है कि ६ दिन इस विधेयक पर बहस होगी। १ घंटा रोजाना कम करने से ६ घंटे का नुकसान हो जाता है। अगर सरकार इस समय की पूर्ति के लिये १ दिन का समय बढ़ाने को तैयार हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं इसके उपस्थित करने के लिये इजाजत तभी दूंगा जबकि आज जो समय कम विधेयक पर विवाद में होता है उसे पूरा करें। यदि विधेयक १० तारीख की जगह ११ को पारित हो, तो ४ घंटे अवश्य मिल सकेंगे। कोई २ घंटे और रह गये। वे किसी दिन १,१ घंटा बढ़ा कर पूरे किये जा सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चय, घंटे गिन कर किया है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मैंने अपनी जाती दिक्कत समझ कर कहा था कि ऐसा प्रस्ताव कर दो क्योंकि मेम्बरान तो चले भी जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर जावे तो कहां से जाय ? हमको ११ बजे से ५ बजे तक यहां रहना होता है। अगर हमारे मित्र

की राय नहीं है तो मैं विष्ट जी से कहूंगा कि प्रस्ताव वापस ले लें। मैं तैयार हूं ११ बजे से ५ बजे तक बैठने के लिये।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार सदन में बैठने के लिये तैयार होने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आप भी इन्सान हैं और अगर आप सदन से बाहर जावें तो आपके डिप्टी मिनिस्टर बैठ रहें। उस १ घंटे के लिये यह तो तय हो ही हो चुका है कि उसमें वोटिंग नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे डिप्टी मिनिस्टर अपर हाउस में कुमायूं जमींदारी एबालीशन बिल में मशगूल हैं।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, इसलिये अब कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मन्त्री जी ने निजी बात कही, उसको ध्यान में रखते हुये मेरा कहना यह है कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि मन्त्री जी यहां भूखे बैठे रहें और वे खाना भी न खा सकें बशर्तेकि वे ६ घंटे की पूर्ति दूसरी तरह से कर दें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—श्रीमन, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (क्रमागत*)

खण्ड २

२—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिनका मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थिति में अपेक्षित हो, सरकारी जगट में विज्ञप्ति द्वारा निम्न-लिखित क्षेत्रों में प्रवृत कर सकती है :—

(१) नागर-क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार है।

(२) सम्पूर्ण कुमायूं मन्डल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है तथा

(३) देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना।

कतिपय क्षेत्रों में अपवादों तथा 'परिष्कारों के साथ अधिनियम की प्रवृत्ति उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, खंड २ के ही बारे में तीन स्थानों पर उपखंड (१), (२) और (३) को निकाल देने के लिये अलग अलग आये हैं। अगर इनको एक साथ उपस्थित करने की आज्ञा दे दी जाय तो समय बच जायगा।

श्री अध्यक्ष—उपस्थित कर दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन, मेरा संशोधन है कि खंड २ के उपखन्ड (१), (२), और (३) निकाल दिये जायं।

श्रीमन, खंड २ इस प्रकार से हैं—

---

*१ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

"२—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जिनका मूल्य तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त कर सकती है:—

(१) नागर-क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार है।

(२) सम्पूर्ण कुमायूं मन्डल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है, तथा

(३) देहरादून जिले का जौनसार-भावर परगना।"

श्रीमन्, नंबर १ के बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार बहुत पहले से यह कह रही है कि हम शहरों की जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं। ३ साल कम से कम हो गये, सरकार ने एक अधिनियम भी बना दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि यह आज तक कार्य रूप में परिणत न हो सका। सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि हम सब के लिये एक समान कानून लाना चाहते हैं और यह कि सामाजिक व्यवस्था एक सी होनी चाहिये। समाजवाद पर यहां कभी-कभी लेक्चर भी सुनने को मिल जाते हैं लेकिन जब शहरों का जिक्र आता है तो, भले ही सरकार दिखावे के लिये स्वांग के रूप में कोई चीज ले आये लेकिन वह कार्य-रूप में कभी परिणत नहीं होता। जमीन्दारी खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक हुआ लेकिन वह महदूद ही रह गयी। ये बिरला टाटा, वगैरा अछूते ही रह गये। सरकार कहती है कि आदमनी में ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये लेकिन जब बड़े-बड़े लोगों का पूंजीपतियों का नम्बर आता है, तो वह उसको छोड़ ही जाते हैं क्योंकि जब चुनाव आता है तो उधर के बैठने वालों के लिये चुनाव लड़नों को उनसे बहुत सा रुपया भी प्राप्त हो जाता है। उन लोगों की तरफ से इतनी जीपें और कारें आ जाती हैं कि विरोधी दल के लोग तो खड़े होने तक की हिम्मत कई बार नहीं कर पाते। उस समय कांग्रेस वालों को कुछ वायदे करने पड़ते हैं उनको पूरा करने के लिये ही वे हमेशा साहूकारों की पीठ ठोका करते हैं।

जब से स्वतन्त्र पार्टी स्थापित हुई है, कांग्रेस में बौखलाहट आ गयी है। कुछ घबड़ाहट आ गई है जिससे स्वतन्त्रों को ज्यादा गाली पड़ने लगी। जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने देखा कि सरकार समाजवाद का नारा लगा रही है गोया व्यवहार में उसे सरकार नहीं लाई, लेकिन फिर भी बिरला, डालमिया आदि पूंजीपति स्वतन्त्र पार्टी की तरफ झुकने लगे। इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसका कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि इन सरमायेदारों का साथ उनसे छूटे क्योंकि वे उन्हीं के बलपर तो यहां आये हैं। तो हमारी मांग है कि नागर-क्षेत्र की जमीन्दारी भी न रहने दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप यह नहीं चाहते हैं, तो तीनों संशोधनों को एक साथ पेश करने का परिणाम यह होता कि पूरे खंड २ का आप विरोध करते हैं, तो सभी खंड खत्म हो जाते हैं। इसलिये आप एक एक ही पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—बहुत अच्छा तो सरकार से मेरी बा अदब गुजारिश है कि सरकार हमारा कहना क्यों नहीं मानती है। सरकार कहती है कि हम बहुत खराब बात कहते हैं लेकिन हम तो केवल कहते हैं लेकिन सरकार तो खराब कार्य करके दिखाती है। तो मेरा कहना यह है कि अगर सरकार चाहती है कि हम उसकी कटु आलोचना न करें, यद्यपि हम उसकी कटु आलोचना नहीं साधरण आलोचनों करते हैं फिर भी वह बौखला उठती है—और इतना होने के बावजूद भी वह अपने चहेतो, या लाडलों के साथ जो कि नागर क्षेत्र के जमींदार हैं, डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार करती है हमारे संविधान में इस बात की पूरी तौर से व्यवस्था है कि किसी स्थान विशेष की वजह से, किसी स्थान विशेष में पैदा होने की वजह से, या किसी जाति विशेष की वजह से, या किसी मजहब या वर्ग विशेष होने की वजह से, या किसी सेक्स विशेष की वजह से,

किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लेकिन हम देखते हैं कि सरकार शहर म रहने वाले पूंजीपतियों का एक पैसा भी नहीं छूती, शहर के रहने वाले जो बड़े-बड़े फोर्म वाले हैं वे जितना चाहें जोत सकते हैं। इसलिये सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से उसने देहात वालों की जमींदारी ले ली है उसी तरह से वह इस कानून में कुछ संशोधन करके उसको सब जगह शहरों में भी लागू करे। बस, इतना ही मुझे कहना है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग का लागू होना उस भूमि पर जहां कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का काम पूरा नहीं हुआ है कम्पेनसेशन देने के प्रश्न पर बहुत ही संकट पैदा करेगा। मध्यवर्तियों को कम्पेनसेशन, और कई राइट्स एक्वायर करनें पड़ेंगे और फिर काश्तकारों को कम्पेनसेशन, यह इतना मल्टीप्लीकेशन हो जायगा कि सुचारुता के साथ कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा। इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय विष्ट जी के संशोधन में एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं और वह संशोधन मेरा यह है कि जहां उन्होंने उपखंड (१) को निकालने की बात कही है वहां पर उपखंड (१) के बदले उपखंड (२) को निकालने का संशोधन पेश करता हूं। यानी उपखंड (१) को रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उन्होने तो उसको पेश कर दिया है, तो आप उसका विरोध करें और जिस वक्त वे उपखंड (२) को निकालने की बात कहें उस वक्त उसका सपोर्ट कर दें। अब ऐसा संशोधन नहीं पेश हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—मैं ऐसा समझता हूं, अब यह मैं कैसे कहूं कि विष्ट जीने बिना समझे ही अपना संशोधन रखा है लेकिन अगर उन्होंने न समझा हो तो अब समझने की कृपा करें। अगर वे चाहते हैं कि उपखंड (१) निकाल दिया जाय तो श्रीमन्, आप देखें कि उपखंड (१) निकाल देने का क्या परिणाम होगा।

श्री अध्यक्ष—वह यह समझतें हैं कि इस के निकालने से यह ऐक्ट बन जायगा तो वह सब जगह लागू हो जायगा, शहरों और देहातों सब पर।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा और सरकार को उस के बाद पावर घुमाफिरा कर किसी जगह मिल रही है, सरकार को इस बिल के द्वारा जो ताकत मिलती है उस के अनुसार सारे प्रदेश में लागू करे या वह इस को कुछ भाग में ही लागू करें। वह इस से पहले वाले हिस्से को भी कहे कि निकाल दिया जाय तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन उस के लिये तो वह कहते नहीं हैं। अब आप देखें कि खंड १ जो है उसके (३) में लिखा है कि "यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा तथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञप्ति की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चय किये जा सकते हैं"। तो इसमें बिना धारा २ के कसी हालत में भी गाड़ी नहीं चलती। अब उस २ के भाग (१) को वह निकालना चाहते हैं जिस में है कि "नागर-क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार है।" अगर यह निकाल दिया जायगा तो फिर वह लागू कैसे हो सकेगा इस को श्री विष्ट जी जरा समझें। आगे फिर इस पर विचार करेंगे कि वहां पर सरकार को इस तरह की पावर मिले या न मिले, कहां वह इसको लागू करे न करे या अपने विवेक से करे न करे। हम भी चाहते हैं कि सारे प्रदेश भर में यह लागू हो, यह उचित बात है और होना चाहिये लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि विष्ट जी इस प्रश्न पर विचार करें और तब इस संशोधन पर जोर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी विष्ट जी ने पेश किया है मैं उस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यद्यपि हमारी पार्टी सीलिंग के माफिक नहीं है लेकिन जब सरकार वह करने ही जा रही है तो हमने इस बात को उचित समझा कि हम यहां इस बात को कहें कि जब भी सरकार जनता के नाम पर कोई बिल या कानून बनाती है तो वह पहले देहात से ही आरम्भ करती है और शहरों को उससे बचाना चाहती है। आज शहरी जमींदारी का ऐक्ट बने हुये कितने साल हो गये, देहात की जमींदारी खत्म हुये भी ७-८ साल हो गये लेकिन आज तक शहर की जमींदारी ज्यादातर कायम है क्योंकि वहां प्रभावशाली लोग रहते हैं, इस धारा के द्वारा वह हमेशा बचा दिये जाते हैं। आप क्यों नहीं स्पष्ट करते कि यह शहर व देहातों सब में लागू किया जायगा ? मुझे मालूम है और श्री गेंदा सिंह जी ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि यहां १४ अगस्त, सन् ४६ को प्रस्ताव आया था कि जितनी भी शहरों की पूंजीवादी व्यवस्था है वह सब समाप्त की जायगी लेकिन १५ साल में यह सरकार उस तरफ एक इंच भी नहीं बढ़ी है। जो कदम उठाते हैं देहातों की तरफ, इस प्रगति और प्रवृत्ति को हम मिटाना चाहते हैं, आपने देहातों से जमींदारी मिटाई अच्छा किया लेकिन आप शहरों की तरफ क्यों कदम नहीं बढ़ाते हैं ? अब आप कोआपरेटिव शुगर मिल्स बनाने चले हैं क्यों आप ने उन का आजतक राष्ट्रीयकरण नहीं किया ? आप केवल २० आदमियों के लिये कदम नहीं उठाना चाहते, जो कदम आप का होता है देहात की तरफ ही उठता है शहर में जमींदारी क्यों कायम है, पूंजीवादी व्यवस्था क्यों कायम है ? मैं इस बात पर जोर देता हूं कि अगर ऐसा हो तो यह ऐक्ट बनकर सब जगह लागू हो।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोविन्द सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। अभी बताया गया कि खंड १ में यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। तो इससे केवल यह तात्पर्य निकलता है कि यह ऐक्ट सबके लिये लागू हो जायगा, लेकिन लागू करने की तिथियां भिन्न होंगी, और दूसरे खंड से यह मतलब निकलता है कि हमने कुछ क्षेत्र ऐसा बचा कर रखा है जिसमें यह ऐक्ट लागू ही नहीं होगा, उसके लिये फिर कभी बनेगा। हमें देखना पड़ेगा कि बाद में इसके लिये कोई बनेगा तो उसका क्या परिणाम होगा। माननीय माल मंत्री जी ने कल बताया कि २० अगस्त को इस सदन में लाया गया था। २० तक जो ट्रांसफर्स हो गये वह ठीक हैं। अब जो हमने बचा कर रख लिया तो जिस दिन हाउस के अन्दर बिल आएगा तब तक जो ट्रांसफर होगा वह मान्य होगा। तो स्पष्ट है कि सीलिंग जो लगाने जा रहे हैं और जो जमीन बचेगी, जो नागर क्षेत्र वालों को मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल सकेगी। न मालूम उसके लाने में ८ वर्ष लग जांय या कितना समय लग जाय। तो सामाजिक ढांचे में बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे, बहुत से परिवारों को लोग बांट लेंगे, बहुत सी संख्या भी बढ़ जाएगी। हमको यह लगता है कि शहर के गरीब खेतिहर मजदूर और जो लेबरर्स हैं उनको कुछ मिल नहीं पाएगा। इसलिये यह उचित है कि इस खंड को बिलकुल निकाल दिया जाय। माननीय मंत्री जी के पास जो खंड १ में उपखंड (३) मौजूद है कि चाहे जब लागू कर दें। लेकिन इस खंड को निकाल देने से शहर के अन्दर जो तड़प रहे हैं उनको भी कुछ सुविधा हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं गोविंद सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं केवल उन्हीं बातों का जवाब दूं जो कि इस संशोधन से ताल्लुक रखती हैं तब तो कोई बात नहीं, एक-दो लफ्ज में हो सकता है.....

श्री अध्यक्ष---यही करिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--लेकिन उन बातों का भी जवाब देना जरूरी है जिनको कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कहा है, जो इस अमेन्डमेन्ट से कतई ताल्लुक नहीं रखतीं ? अब चूंकि वह बातें एलाउ की गईं और आ गई हैं तो मुझे भी इजाजत हो कि मैं कह लूं.....

श्री अध्यक्ष--मैंने कोई जान-बूझकर इजाजत तो दी नहीं, वह जबर्दस्ती कह गये।

श्री हुकुम सिंहविसेन--वह जबर्दस्ती मैं तो कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि शायद हमारे मित्र ने अरबन एरिया जमींदारी एबालीशन ऐक्ट पढ़ा नहीं। अगर हमारे मित्र उसे पढ़े होते तो जो बदगुमानियां उनके दिल में पैदा हुई हैं कि शहर वालों को, कैपिटेलिस्ट को, मदद करने के लिये सरकार वहां नहीं करती, तो यह बदगुमानियां कभी भी न पैदा होतीं। उस ऐक्ट में प्रावीजन है कि ऐग्रीकल्चरल लैंड पर वह जमींदारी एबालीशन बिल लागू होगा, जिसको इस सदन ने पास किया है। और जब एग्रीकल्चरल लैंड पर लागू होगा तो जब तक उसका डिमारकेशन फ्रम अदर लैंड न हो तब तक लागू हो तो कैसे हो ? हम डिमारकेशन करा रहे हैं, और मैंने इस सदन में भी कहा था कि जैसे ही हमारा डिमारकेशन हो जाएगा वह लागू होगा। कोई रिआयत शहर के लोगों के बारे में हम नहीं करना चाहते हैं। जो वाजिब हो वही बात करना चाहते हैं। अगर हमारे मित्र शहर वालों से इतने ज्यादा नाराज हों कि हम जल्दी से जल्दी छुरी उनके गले पर फेर दें तो यह तो शहर के लोगों को समझना है, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं तो सब के साथ एक सा बरताव करना चाहता हूं। राजा साहब जगमनपुर को शायद यह पसन्द नहीं है कि एक सा बरताव किया जाय। लेकिन मैं तो उन लोगों की बेहतरी सोचता हूं जिनकी बेहतरी राजा साहब पहले सोच रहे हैं। गरीब किसान की गरीबी दूर की जाय तो हम भी वही कर रहे हैं।

गोविंद सिंह विष्ट जी ने यह भी कहा कि शहर वालों को इसलिये टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पैसे से इधर के लोग चुनकर आते हैं। किसके पैसे से गोविन्द सिंह जी चुनकर आते हैं यह वही जानते हैं और लोग भी जानते हैं। तो इस तरह की बातें संशोधन पर कहना उचित नहीं है। हमने इसको यों ऐग्जेम्प्ट किया है कि सरेदस्त लागू न होगा बल्कि आगे चल कर जो हमारा कानून है, ऐक्सेप्शन, मोडीफिकेशन एडेप्टेशन करके अगर जरूरत पड़ी, विदआउट टचिंग दी सब्सटेंस, तो उस पर भी लागू कर देंगे और इस वजह से इसको मुल्तवी कर रहे हैं जिस वक्त डिमारकेशन हो जायगा तभी लागू करेंगे। माननीय राम लखन जी ने ठीक कहा कि अगर इस बिल को पढ़ लें तो स्कीम यही है कि टेन्योर होल्डर को कमपेनसेशन देंगे, इंटरमीडियरी को नहीं देना चाहते। इसी वजह से उसमें लिख दिया है कि उन एरियाज में जहां जमींदारी एबालीशन लागू हो गया है और इंटरमीडियरी नहीं है, वहां केवल टेन्योर होल्डर्स हैं। यही इस बिल की स्कीम है। अगर मित्र का संशोधन मान लेते हैं तो इंटरमीडियरी और टेन्योर होल्डर, दोनों को कमपेन्सेशन देना पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि दोनों की कशमकश में गरीब टेन्योर होल्डर को नुकसान हो जाय। इसलिये जो ठीक बात हो वही करनी चाहिये। इस वजह से यह ऐक्सेप्शन रखा गया है। हम तो यह भी चाहते हैं कि तराई भावर में जो हमारा इलाका है उसमें भी लागू करेंगे, जहां जमींदारी खत्म हो गई वहां भी सीलिंग लगाना चाहते हैं। हम किसी किस्म का भेद नहीं करना चाहते। लिहाजा यह तरमीम अनुचित है और जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, ठीक ही कहा कि इसके करने में बड़ी गड़बड़ी है। उन्होंने कोशिश की कि गोविन्द सिंह जी समझ जायं लेकिन वह समझने की कोशिश करें तब ना। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय, पहले कहते थे साठ भये सठियाये। तो कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि सारी समझदारी मंत्री जी के ही पल्ले पड़ी बाकी के पल्ले कुछ नहीं। "कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा पाये बौरात है या खाये बौराय।" तो जब आदमी कुर्सी पर बैठता है तो शायद उसका मद बोलता है। उस समय

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है यह अक्सर हमें यहां देखने को मिलता है। हम सोचते थे कि यहां से कुछ सीख कर जायेंगे। तर्क का जवाब तर्क से न देकर, जैसा गौरीशंकर राय जी ने कहा कुछ सच्चोंदार बातें करके दे दिया जाता है। यह हमारा तजुर्बा है। हमें तो उस दिन का खयाल आता है कि जब हम उधर जायें और यहां अगर आज कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो बड़ी मश्किल हो जायगी। हमें भी उल्टी सीख दी जाती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हनूज दिल्ली दूरस्त।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह न सोचिये।

लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर,
मैं वह हूं जो जमाने को बदल देते हैं।

अंग्रेज के तोप तमंचे नहीं रहे, लंकापति रावण की लंका नहीं रही तो ये कांग्रेस वाले ही कितने दिन चलेंगे।

अब मैं अपने संशोधन पर आता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि इंटरमीडियरीज को कोई रुपया मिले। उनके तर्क से ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब भी काफी इंटरमीडियरीज है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि सीलिंग का आपरेशन होने से पहले उस क्षेत्र का सर्वे कराया जायगा क्योंकि एक सी जमीन हमारे प्रदेश में नहीं है। बिहार तथा दूसरे प्रदेशों का बिल देखा जाय वहां भी इसके लिये व्यवस्था है। एक कमिश्नर नियुक्त किया गया है जो तमाम सर्वे करेगा और यहां तक व्यवस्था है कि अलग अलग भागों के लिये सीलिंग अलग अलग होगी। मुझे पता नहीं हमारे माननीय मंत्री जी कोई ऐसा सर्वे करायेंगे कि क्या हमारी एकनामिक होल्डिंग होगी और क्या फैमिली होल्डिंग होगी। प्रस्ताव यह था कि तीन फैमिली होल्डिंग के बराबर सरकार सीलिंग को रक्खेगी। इसका कहीं जिक्र नहीं आया कि माननीय मंत्री जी ने उसे निर्धारित करने का कोई प्रयास इतने बड़े बिल में कहीं किया हो। जिस बुनियाद पर इमारत खड़ी करनी थी, वही बुनियाद नहीं डाली गयी। मंत्री जी तो यह भी स्वीकार करते हैं कि इंटरमीडियरीज रह गये बावजूद जमींदारी अबालीशन अधिनियम लागू करने के यानी रुपया उस पर खर्च किया गया वह शायद बरबाद हो गया। सर्वे के नाम पर इस बिल को शहरों में रोकना कितनी अक्लमन्दी है? यह सीलिंग का प्रस्ताव आज की बात नहीं है। सन् ५९ में इसकी बात हो गयी थी। सारे उत्तर प्रदेश में सर्वे नहीं हुआ। गांवों में जहां ७५ फीसदी आदमी रहते हैं वहां सर्वे नहीं हुआ, वहां अधिनियम लागू कर दिया लेकिन शहरों के लिये कहते हैं कि "हमने सर्वे नहीं कराया, हमें शहर वालों के गले पर छुरी नहीं फेरनी है"। बड़ी तकलीफ मालूम होती है शहर वालों के लिये? तो शहर वालों के लिये वही चीज छुरी हो जाती है जो देहात वालों के लिये नियामत कही जाती है।

अब मुझे लगता है। कि माननीय गेंदा सिंह जी ने अपनी बात समझ ली है। उन्होंने सोचा कि कुछ और बात है। मैं उनके निराकरण के लिये कुछ अर्ज कर दूं। धारा १ में स्पष्ट है कि इस बिल का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा यानी शहरों में तीन जगहों पर जो छूट दी गयी है कुमायूं डिवीजन, उत्तराखण्ड और देहरादून इनमें एक ही तारीख को, जब अधिनियम बन जायगा तो इस अधिनियम का लागू होना जरूरी नहीं, बल्कि जिस तारीख को वे चाहें वहां लागू कर सकते है और राज्य सरकार को यह भी ताकत दी गयी कि न चाहें तो न लागू करो। लेकिन पिछला अनुभव बड़ा कड़ुवा है। यहां का नागर क्षेत्र जमींदारी बिल हम लोगों को ज्ञात नहीं कब पास हो गया? श्रीमन् सन् ५७ में वह नहीं आया था। ५६-५७, जब भी पास हुआ हो तब से आज तक वह भी इसलिये लागू नहीं हुआ कि सरकार जमीन की जांच नहीं करा सकी। क्या सरकार का कोई मंशा जांच कराने का है? आज यह कानून भी इसीलिये लागू नहीं किया जाता कि शहर की जमींदारी का सर्वे नहीं हो सका। मंत्री जी कहते हैं कि

सन् ५७ का कानून भी इसीलिये नहीं लागू कर सके। तो सरकार की पिछली कार्यवाहियों से हमारे शक की बिल्कुल पुष्टि होती है कि वह इस बिल को कतई लागू नहीं करना चाहती है। इसलिये अगर वाकई मंत्री जी के कलेजे में उन गरीबों और मजदूरों के लिये दर्द है जिसका उन्होंने आज इजहार किया है तो इसे तुरन्त लागू करें।

दूसरे उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त जमीन तो गरीबों को मिलेगी। अगर सारे बिल में कहीं यह बात दिखा दें कि इससे भूमिहीनों को प्राथमिकता दी गई है तो इधर के बैठने वाले अपना विरोध वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। वह जमीन मिलेगी कोआपरेटिव सोसायटीज को। यानी सारी सहकारिता लादने का दुष्प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। मेरे इतना कहने के बाद मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात मान जायंगे।

श्री गेंदासिंह---व्यक्तिगत सफाई के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच माननीय गोविन्द सिंह जी का जो संशोधन है उसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये था, लेकिन मैंने कहा, इसलिये मैंने सफाई दे दी कि मेरी भूल थी।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***राजा वीरेन्द्र शाह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खन्ड २ के उपखन्ड (२) की पहली पंक्ति में 'मंडल' के बाद के शब्द से लगाकर तीसरी पंक्ति में 'है' तक शब्द निकाल दिये जायं।"

श्रीमन्, मेरा निकालने का मंशा इस वजह से है कि जब यहां प्रान्त में और देश में अन्न का संकट हुआ और सरकार ने लोगों से अधिक से अधिक अन्न पैदा करने के लिये कहा तो जो बाहर के लोग यहां तराई भावर में बसे हैं उन्होंने आपकी जमीन को तोड़ा जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी अब भी आपके पास ९० लाख एकड़ जमीन ऐसी ही बेकार पड़ी हुई है अपना पैसा लगाया और मेहनत करके अन्न की स्थिति को सम्हाला जिसके कारण ५४–५५ में जितना अन्न बाहर से आता था उसकी मात्रा बहुत कम हुई और जब तराई में कोआपरेटिव शुगर मिल खोलने के लिये आप रुपया देते हैं, अभी आपने एक व्यक्ति को वहां जगह दी है और अब आप उन लोगों से जमीन ले लेंगे तो वे यह समझेंगे कि सरकार लूट करना चाहती है, बेईमानी करना चाहती है। इसका एक नतीजा यह भी होगा कि जो ९० लाख एकड़ जमीन अभी आपकी बेकार पड़ी है वह वैसी ही पड़ी रहेगी। सरकार खुद तो कुछ करना नहीं चाहती है और जब बाहर के लोगों ने उस जमीन को तोड़ा, उसमें अपना पैसा और मेहनत लगायी और आपके हुक्म के मुताबिक उन्होंने सारी जमीन को हरा बना दिया तो अब आप चाहते हैं कि उसको ले लें। जब आपने ही यह रियायत की है कि आप कुमायूं डिवीजन को छोड़ रहे हैं, इसलिये जब तक इनको छोड़ते हैं तब तक के लिये इनको भी छोड़ दिया जाय। यदि आप ऐसा कर देंगे तो कम से कम जो उनकी लागत लगी हुई है वह उनको मिल जायगी और आप उनके साथ न्याय करेंगे। समझ लीजिये कि यह भी कुमायूं डिवीजन के रहने वाले हैं। हम सरकार की इस नियत के विरोध में हैं कि आप हुक्म देकर उसको पलट रहे हैं। जो सरकार अपनी बात को पलटती है वह ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। आप ज्यादा दिन जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप ज्यादा दिन यह नहीं कह सकते हैं कि जनहित में यह काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे। यदि आप उनको देना चाहते हैं तो इनको भी यह छूट दे दी जाय। इससे सारा मामला ठीक हो जायगा।

***श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)---श्रीमान् जी, जो हमारे साथी माननीय वीरेंद्रशाह जी ने संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

कि हमारे साथी ने कहा कि अगर हम यह दे सके कि यह विधेयक सारे प्रदेश में हर वर्ग पर एक साथ लागू हो रहा है तो शायद हमें विशेष आपत्ति नहीं होती। मगर मैं जब देखता हूं कि किसान किसान में मतभेद किया जा रहा है, शहर और देहात के किसानों में मतभेद किया जा रहा है तो मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह उनके साथ अन्याय हो रहा है जो कि कुमायूं डिवीजन के सारे काश्तकारों को छोड़ा जा रहा है और काशीपुर तथा तराई भावर के किसानों पर यह तुरन्त लागू कीन जा रहा है।

वास्तव में श्रीमन्, देखा जाय जैसा कि हमारे साथी ने कहा, मैं उसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सन् १९५० से ५५ तक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जब हमारी सरकार की ओर से ग्रो मोर फूड का आन्दोलन जोरों के साथ चालू किया गया, जब जमीन के तोड़ने वाले को सब से बड़ा देशभक्त हमारे प्रधान मंत्री जी ने घोषित किया कि सब से बड़ी देश सेवा यही है कि खाद्य उत्पादन के बढ़ाने में सहायता दी जाय तो उस समय पंजाब से आये हुये लोगों ने अपना सारा धन लगा दिया और जमीन तोड़ी और इन ५/६ वर्षमें इन लोगों ने १८ लाख एकड़ जमीन तोड़ी जब कि उस समय हमारी सरकार ने केवल एक लाख अस्सी हजार एकड़ जमीन ही तोड़ी। हमारी सरकार के पास सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन तथा प्रोविंशियल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन आदि साधनों के होने पर भी और सारी शक्ति लगाने पर भी वह केवल १ लाख ८० हजार एकड़ जमीन तोड़ पाई जब कि उस समय के प्राइवेट किसानों ने अपना धन और श्रम लगाकर १८ लाख एकड़ जमीन तोड़ी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सलामत रहे सरकार की नीति जो नागपुर सेशन में घोषित की गई, उससे लोगों का सारा उत्साह खत्म हो गया और जमीन का तोड़ा जाना घट गया और उसके बाद से मुश्किल से १९ हजार एकड़ जमीन प्रति वर्ष तोड़ी गई है।

इसका नतीजा क्या रहा? यही रहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि १९५० से लेकर ५५ तक हम चन्द मन गल्ला बाहर से मंगाते थे लेकिन १९५७ से फिर वह बढ़ गया और आज ४० लाख मन गल्ला हम लोग बाहर से मंगाने लगे हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि ऐसे काश्तकारों को जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, जिन्होंने अपना बल पौरुष लगाया था, उनको आपने निरुत्साहित किया। उनको हलाल करने की कोशिश की। और लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे माननीय मंत्री महोदय सौभाग्य से उस जमाने में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और संभवतः उन्हीं के जमाने में तराई भावर की कालोनी बसाई गई थी, और रुद्रपुर में कालोनाइजेशन हुआ था जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय ने लाखों रुपये का अनुदान और सहायता दी है। उन्होंने देखा होगा कि एक जंगल जो बियाबान था, वह किस रूप में परिवर्तित हो गया है। तो उनके काश्तकारों के साथ तो मंत्री जी कुछ रहम करें, हमारे ऊपर तो उनकी बड़ी कृपा रहती है, हमारे ऊपर तो वह बड़े ही कृपालु हैं, कोई भी बात हो हमारा नाम अवश्य ले लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो दया करें कम से कम जिन्होंने वहां जाकर के जंगली जानवरों से मुकाबिला करके जमीनों को तोड़ा है और अपना उत्साह दिखाया है। और मैं यह कहता हूं कि अगर वह उनका उत्साह कायम रहता तो आज जो सरकार मुश्किल से ढाई लाख एकड़ जमीन इससे पाने जा रही है, वह ढाई लाख एकड़ एक वर्ष के अन्दर हम को तोड़कर दे देते, अगर एक वर्ष तब यह नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव रुका रह गया होता।

जैसा मैंने पहले कहा ५ लाख एकड़ विनोबा जी का दान पड़ा हुआ है और ८० लाख एकड़ अभी सरकार की भी भूमि पड़ी हुई है जो काबिल जरात है। मैं नहीं कह सकता, हमारे एक साथी गंगा प्रसाद जी ने कैसे यह कह दिया, कहां की उनकी इत्तला है कि वह जमीन जोतने लायक नहीं है। मैं सरकार के आंकड़ों को सही मानूं या अपने साथी गंगा प्रसाद जी की इत्तला को सही मानूं। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े ये हैं। अभी कोई चले हमारे साथ बनारसी बाग, पंचवर्षीय योजना की प्रदर्शनी वहां लगी हुई है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कल्चरेबिल वेस्ट और उसके आंकड़े हैं ८० लाख एकड़। तो श्रीमन्, इस नाते मैं अनुरोध करूंगा कि आप सारे कुमायूं डिवीजन को एक कर रहे हैं, समाजवादी ढांचा बनाने

जा रहे हैं, किसान किसान में अन्तर है, डिवीजन डिवीजन में अन्तर है, तो कुमायूं डिवीजन एक बड़ा पवित्र डिवीजन है, बड़े-बड़े ऋषि मुनि वहां रह चुके हैं और आज भी हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष उस खंड के विद्यमान हैं, तो आप देश के हित में जन के हित में उनको उससे मुक्ति दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मंशा यह है कि काशीपुर इलाके और तराई भावर के इलाके में इस विधेयक को लागू न किया जाय। हमारे विधेयक में जो रखा गया है वह यह है कि इस पर भी लागू होगा। हमारे विधेयक की स्कीम यह है कि जहां जहां जमींदारी खत्म हो चुकी है वहां वहां यह सीलिंग लगेगी और वहीं लैंड होल्डर्स और टेन्योर होल्डर्स हैं। यह हमारा मंशा है। अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो यहां के लोग एग्जेम्प्ट हो जायेंगे और जिसके लिये हमारे पास कोई माकूल वजह नहीं है अरबन एरिया का मैंने बताया कि वहां डिमार्केशन अभी खत्म नहीं हुआ है जमींदारी का, डिमार्केशन जारी है। अगर वहां जमींदारी खत्म हुई होती, ऐक्ट लागू हो गया होता और उस वक्त अगर हम उसे मुस्तसना करते तब तो एक ऐसी बात थी कि उसके आधार पर हमसे यह भी कहा जाता और हमको मजबूर किया जाता कि यहां भी मुस्तसना कर दीजिये। लेकिन जब हम सब जगह एक सा कानून लागू करते जा रहे हैं, जहां जहां जमींदारी खत्म हो गई है, तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि इनको हम एग्जेम्प्ट कर दें जहां पर कि जमींदारी नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा अगर हम इसको मुस्तसना कर देंगे।

जवाब इस बात का नहीं है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन किया। तमाम सूबे में जहां जमींदारी खत्म हुई वहां हमको लागू करना चाहिये था, एक पाकेट में हम मुस्तसना करते हैं और दूसरे में नहीं, तो यह उचित न होगा। एक ही हैसियत के जो इलाके हैं, जहां जमींदारी खत्म हो चुकी है उनमें अगर हम डिफरेंसिएशन करते हैं तो इनइक्वेलिटी इन ला हो जाने का एहतमाल है और इसलिये हम पंक्तिभेद नहीं कर सकते। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

हमारे राजा साहब ने कहा कि जब से नागपुर सेशन के बाद से समाजवाद का नारा लगा तब से वह बवाल आया। ठीक है, समाजवाद बड़ा कठिन और व्यापक है और जब वह स्थापित हो जायगा तो किन लोगों पर उसका असर पड़ेगा यह हम और आप सभी जानते हैं। राजा साहब ने यह भी कहा कि जब फूड की दिक्कत थी तो उन लोगों ने बड़ी मदद की। वाकई उन्होंने मदद की और हम उन के आभारी हैं और केवल उन्हीं ने नहीं, बल्कि हमारे राजा साहब ने भी बड़ी मदद की है। उन्होंने भी खूब गल्ला पैदा किया और फायदा उठाया। उन्होंने हमारी मदद की और वह गल्ला हमारे देश में रहा और जहां जहां कमी थी वहां हमने उससे पूर्ति की। लेकिन हम राजा साहब को एक्जेम्प्ट कर दें या बड़े बड़े फार्म जो उन सरीखे हैं उनको एक्जेम्प्ट न करें, या तराई फार्म के लोगों को कर दें, इसमें भी पंक्तिभेद होने का अंदेशा है। जहां उन्होंने यहां आ कर जमीन तोड़ी तो राजा लोगों ने बड़े-बड़े फार्म डेवलप किये, तो हम दोनों से एक-सा बर्ताव करना चाहते हैं और इसलिये मैं इस संशोधन को अपोज करने के लिये मजबूर हूं।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेंद्र शाह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसे पेश करते समय दो बातें कही गयी हैं। पहली तो यह कि शरणार्थी आये और आकर के वे तराई में बसे और बड़ी मेहनत कर के उन्होंने इनको बनाया और दूसरे यह कि जब हमारे यहां खाद्य की बड़ी कमी थी तो उस समस्या को हल करने में उनका बड़ा कांट्रीब्यूशन रहा है इसलिये सरकार को खास तौर से उन के साथ रियायत करनी चाहिये और अगर हम उनको छोड़ दें तो गल्ले की समस्या के समाधान में उनका सहयोग रहा है और रहेगा। यह दो तर्क दिये गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जहां तक पहले का संबंध है, जिन्होंने तराई फार्म को जा कर देखा होगा वे जानते होंगे कि वहां ४,००० एकड़ तक के फार्म हैं और खास कर अग्रवाल साहब और मेहता साहब, जिन्होंने कमेटी के सामने साक्ष्य भी किया था, उन्होंने उस जमीन से जितना लाभ उठाया है और उठा रहे हैं वह मैं नहीं समझता कि जो उन्होंने लागत लगायी थी, उससे कम होगा। उनको उस से काफी रिटर्न मिल चुका है। और दूसरे अगर सरकार उनको लेगी तो उस के बदले में कंपेंसेशन भी देगी। पिछला जो हम लोगों का अनुभव है उस के अनुसार सरकार जब कंपेंसेशन देती है तो उसमें जो "उचित" शब्द है उसकी व्याख्या इस ढंग से की जाती है कि वह काफी हो जाता है और सरकार बिना कंपेंसेशन के जमीन भी लेने नहीं जा रही है। यह कहना कि वे देश की खाद्य समस्या के हल करने में सहयोग देते रहे हैं और देंगे, मैं नहीं समझता कि कहां तक सही है। पिछले ६ महीनों में शायद उनके जोश पर पाला पड़ गया वरना देश की खाद्य समस्या हल हो गयी होती। हमारे देश में पुराने जमींदार थे जिनके पास काफी बड़ी होल्डिंग्स थीं, वह उनके मालिक थे, लेकिन उस समय भी हमारे देश की खाद्य समस्या हल नहीं हुई। इसका कारण यह था कि हमारी भूमि व्यवस्था में जनवादी सुधार नहीं हुआ। भूमि पर मेहनत करने वालों का कब्जा नहीं हुआ, मेहनत करने वाले जन को जमीन नहीं मिली और इसलिये देश की खाद्य समस्या हल नहीं हुई। मैं समझता हूं कि देश की जनता की आज मांग है कि भूमि व्यवस्था में उचित सुधार होना चाहिये, जमीन का मालिक जमीन जोतने वाला होना चाहिये, उस भावना के अनुसार यह बिल आया है यद्यपि देर से आया और जिस तरह का स्वरूप इस बिल का होना चाहिये था उस तरह का नहीं है। इस पर हम अपनी बात कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे लेकिन जो बातें मैंने अभी कही हैं उनको देखते हुये तराई भावर के फार्मस को अपवाद माना जाय उचित नहीं है और इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं राजा वीरेन्द्रशाह के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं माल-मंत्री जी को तथा अपने मित्र को बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय माल मंत्री ने तो एक वकील होने के नाते उसके विरोध में एक कानूनी शक्ल पैदा कर दी लेकिन मेरे दोस्त, जो मेरी बगल में बैठे हुये हैं, ने कहा कि बड़े जमींदारों के पास खेत थे और उनमें जनवादी भावनाओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था इसी कारण न्यूनता थी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि रूस में जब जार का शासन था तब कोई वृद्धि पैदावार मे हुई थी।

श्री चन्द्रजीत यादव—वहां जनता बड़ी खुश है।

(इस अवसर पर १२ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुयीं)

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीया, कहा जा रहा है कि वहां जनता बहुत खुश है। वहां खुश और नाखुश होने के क्या माने? जहां जनता बोल नहीं सकती, अगर जबान खोलें तो गोलियां चल सकती हैं तो फिर खुश और नाखुश होने का क्या सवाल है।

दूसरा प्रश्न माननीय दोस्त ने यह उठाया है कि अब तक उनकी पैदावार इतनी काफी हो चुकी है कि जितनी उनकी लागत थी, वह उन्होंने वसूल कर ली है और उनका यह भी कहना है कि उनको मुआवजा भी तो दिया जा रहा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वह क्या भाव था जिससे उनको सारा धन वसूल हो गया क्या यहां पर अफ्रीका है जहां पर हीरा पैदा हो रहा है या मैसूर की खानें हैं जहां सोना निकाला जाता है? मैं, महोदया, समझता हूं कि चन्द्रजीत जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

उस माहौल में रहते हैं जिनका एक संकीर्ण विचार है। माननीय माल मंत्री ने होशियारी से एक शब्द इंटरमीडियरी का प्रयोग कर दिया, बस यादव जी के लिये वह एक नयी बात मिल गयी और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी।

तीसरी बात, महोदया, मुआवजे की है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन की कौन सी दफा और कौन सा अनुच्छेद है जिसके मातहत उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिये। उन्होंने शायद हिन्दुस्तान को भी चीन समझ लिया है। हो सकता है कि कुछ टुकड़ों पर हिन्दुस्तान के चीन का कब्जा हो गया हो लेकिन हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लेना आसान नहीं है। वे चीन का स्वरूप हिन्दुस्तान में देखना चाहते हैं। यहां पर तो अभी अगर किसी की जमीन ली जाती है तो उसको मुवावजा देना चाहिये और वह आपको देना होगा जब तक कि कांस्टीट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता है। अब रहा यह कि महोदया, मैं उनकी बातों का जवाब दे पाया हूं या नहीं, मैं समझता हूं मैंने अच्छी तरह से उनकी बातों का जवाब दे दिया है और अगर कोई चीज उसमें छूट गयी है तो वह मैं समझता हूं कि मेरी समझ में नहीं आयी होगी या उनके समझाने में कोई कमी रही होगी।

माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि डिस्क्रीमिनेशन नहीं होनी चाहिये, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं कि नहीं होनी चाहिये। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि, कानूनी नुक्तेनजर से मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे कौन सी ऐसी आपत्ति आ जायेगी अगर तराई भावर वगैरह का कुछ हिस्सा कुछ दिनों के लिये छोड़ दिया जाय। एबोलूशन तो होगा। अब यह नहीं हो सकता है कि महज कोई महान पुरुष उत्तर प्रदेश का कोई उच्च स्थान ग्रहण किये हुये हैं और वह उस स्थान का निवासी है तो उसके युग में उस क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन न हो। उसका युग चला गया। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी की बुद्धिमत्ता, उनकी वाक शक्ति, उनकी कुशलता हर क्षेत्र में अपना स्थान रखती है। मैं कोई किसी प्रकार की कटु आलोचना नहीं करना चाहता और न ही ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे कि उनको चोट पहुंचे, और न वैसा करना ठीक ही होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कुमायूं क्षेत्र को छोड़ा जाता है तो यह कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं कहा जा सकता। यह कोई ऐसी बात नहीं होगी कि इस पर कोई आपत्ति की जा सके। यह ठीक है कि आप फिर इस बात को समझाइयेगा कि अभी डिमारकेशन नहीं हो पाया है, इसलिये हम इसे नहीं कर पा रहे हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं देखने में आया है कि जहां पर जनता की राय को ठुकरा दिया गया हो। जनता का धन बुरी तरह से खर्च किया गया हो और उनकी ही जमीनें छीन ली गयी हों। महोदया, मैं अपने उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं, वे चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, वे मेरी बातों का जवाब दें, जबकि सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में, जितना गल्ला इस सूबे में पैदा होता था, उसके अलावा २४ लाख टन और पैदा होना चाहिये था, तो क्या उसके मुताबिक आपकी पैदावार बढ़ पायी है? यहां की पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है उसमें न्यूनता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आखिर किस नीति को अपनायेगी? कहीं तो सिक्योरिटी होगी। आज इस कानून में सुना जा रहा है कि माल मंत्री हमें बाग लगाने के लिये सुविधा दे रहे हैं। कल कहा जा रहा है कि अधिक अन्न उपजाने के लिये सुविधा दे रहे हैं। लेकिन उनके प्रयासों में एक तरफ तो सुविधा दी जाय और दूसरी तरफ छीनी जाय, हमारी लागत भी वसूल न हो सके तो उससे क्या फायदा? जो दूसरे के धन, वस्त्र, मकान को अपना समझते हैं उनको समझाने में मेरी मजबूरी है। उनको कोई नहीं समझा सका, इतिहास साक्षी है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री राजा वीरेन्द्र शाह के संशोधन को स्वीकार करेंगे जोकि निर्दोष है और जिसके स्वीकार करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

*श्री गेंदासिंह—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं थोड़ा समझने में असमर्थ हुआ कि इस प्राविजन का अर्थ क्या होगा। सुना मैंने यह कि कुमायूं मंडल को सरकार का इरादा है कि इसके प्रभाव से अलग रखें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक कि जमींदारी ला पास न हो जाय।

श्री गेंदासिंह—और नागरिक क्षेत्र को भी जहां कि जमींदारी विनाश का प्रसार हो चुका है उसको भी अलग रखने का इरादा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो मैंने डिमार्केशन के लिये कह दिया।

श्री गेंदासिंह—ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अब इस पूरे खंड की आवश्यकता इस विधेयक में नहीं है और साथ ही जब मैं यह कहता हूं कि अभी तो केवल हम दूसरे पर विचार कर रहे हैं तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और जो इस वक्त विचार के लिये प्रस्तुत है संशोधन उसका भी विरोध करना चाहता हूं। यह संशोधन खतरनाक है। जो खंड रखा गया है, मूल विधेयक जो है, वह अनावश्यक है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह अमेंडमेंट बाद को आयेगा।

श्री गेंदासिंह—अब जो बात मेरी समझ में नहीं आयी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तराई भाबर के लिये कहा गया कि अगर पूरे कुमायूं मंडल को अलग रखने का इरादा है तो तराई भाबर को अलग रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें जमींदारी जब्त हो गयी है, इसम जब्त नहीं हुई है।

श्री गेंदासिंह—मुझको कोई हमदर्दी कम नहीं है उन विस्थापितों से जो पंजाब से आये हैं या जिन्होंने जाकर तराई भाबर की जमीन को आबाद किया है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज की उपज को बढ़ाने में और अनाज की समस्या को हल करने में केवल बड़े किसानों ने ही इस देश की सेवा की है यह बात जो राजा वीरेन्द्र शाह, राजा मनकापुर या अवधेश प्रताप कहते हैं यह बिलकुल असत्य बात मालूम होती है और मैं समझता हूं वह इस प्रदेश के ९९ फीसदी किसानों के प्रति बेवफाई की बात करते हैं। श्रीमती जी, आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस प्रदेश में कितने फीसदी किसान ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं जो कि बड़े साधन सम्पन्न हैं और अनाज की उपज बढ़ा सकते हैं। इस प्रदेश में ९४ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास १० एकड़ से कम जमीन है। इसलिये अगर यह कहा जाय इस मुल्क की उपज बढ़ाने में इन ९४ फीसदी लोगों का कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ थोड़े से बड़े फार्म वालों का ही कन्ट्रीब्यूशन है तो यह न्यायपूर्ण नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मुल्क के साधारण लोगों पर भी भरोसा करें। इस देश में जो प्रजातंत्र है उसमें अगर हम उन लोगों का शासन करने में भरोसा कर सकते हैं तो उपज बढ़ाने में भी हमको उनपर भरोसा करना चाहिये। और अगर हमने उन पर भरोसा नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की नाव चल नहीं सकती। तराई के किसानों के साथ हमदर्दी हो सकती है, मैंने स्वतः जाकर तराई के इलाकों में घूमकर देखा है, वहां ऐसे भी किसान हैं जिनको देखकर मोह लगता है, ऐसे किसानों को मौका देना चाहिये कि वह सारे देश भर में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। मैं भी उन लोगों में से हूं जो यह कह सकते हैं कि एक्सपेरीमेन्टल तरीके पर वहां पर कुछ लोगों को कायम रखा जाय बशर्ते कि वह अपने मजदूरों के साथ आदमी जैसा बर्ताव करें लेकिन किसी भी हालत में तराई भाबर के इलाके को इस विधेयक के प्रभाव से बाहर करना मैं समझता हूं कि एक ज्यादती की बात होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

कुमायूं मंडल के लिये मंत्री जी ने कहा कि चूंकि वहां अभी सीलिंग मुकर्रर करने के लिये पूरी कार्यवाही नहीं हुई है इसलिये उसको प्रभाव से अलग रखा जा रहा है और जैसे वह कार्यवाही पूरी हो जायगी, वहां भी यह लागू हो जायगा। नागर क्षेत्र के बारे में भी मंत्री जी ने कहा कि कुछ समय के बाद ले लिया जायगा लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि नागर क्षेत्र से संबंधित विधेयक जब यहां लाया गया उस समय मंत्री जी जो कठिनाई हमारे सामने रख रहे थे वही फिर रख रहे हैं। डिमारकेशन के कारण वह पूरे शहरी क्षेत्र में उस को लागू नहीं कर पाये। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि नागर क्षेत्र में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां कि पटवारी के कागजात मौजूद नहीं हैं, मालूम नहीं कबतक वह बन पायेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के विरुद्ध यह एक बड़ी शिकायत है कि शहरी जमींदारों के पास अच्छे मकानात हैं, कार है, टेलीफोन है और आराम व आशायश की दूसरी चीजें हैं और खास तौर से सभी लोगों के दौरे शहरों में ही होते हैं इसलिये उनका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर प्रभाव डालकर वह शहरी जमींदारी को समाप्त नहीं होने देते, यह शिकायत है। कभी ऐसा भी होता है कि हम भीतर से तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन फिर भी बदनामी की गुंजायश हो जाती है क्यों ऐसी बदनामी की गुंजायश की जाय। माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आप देखें कि उपर वाले क्लाज में सरकार ने रखा है —

"इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।" लेकिन उसके नीचे यह लिख दिया गया है—

"यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा तथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

इससे ऐसा मालूम होता है कि ऊपर और नीचे के दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें मैं समझता हूं जब समय आयेगा तब सुधार कर दिया जायगा। इस प्रकार के अधिकार विधेयक में लाकर सरकार संदेह का वातावरण पैदा कर रही है। कुमायूं तथा कुछ क्षेत्र भी बरी कर दिये जायेंगे। नागरक्षेत्रों के लिये तो स्पष्ट ही है। मैं समझता हूं कि यह तथा संशोधन दोनों ही अनावश्यक हैं और हानिप्रद हैं।

मैं बड़े लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वे एक बार अपने आपको दो-ढाई एकड़ वाले लोगों से जोड़ दें तो प्रजातंत्र की भी रक्षा होगी और देश में उपज भी बढ़ेगी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि यह जो उपखंड (२) है उसको नामंजूर किया जाय, संशोधन अपने आप ही नामंजूर हो जायेंगे।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, राजा वीरेन्द्र शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, आपके आदेश से उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। काशीपुर और तराई भावर परगने को छोड़ कर, और स्थानों में सीलिंग को लागू किया जाता तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मेरा निवेदन यह है कि अगर इस सीलिंग बिल से एक प्रतिशत भी देश का हित होने वाला होता तो बिल किसी शक और सुबहा के लागू करने का मैं समर्थन करता। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसको कतई लागू न किया जाय। जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा कुछ क्षेत्रों को बरी रखने से यह ज्ञात हो जायगा कि कहां उत्पादन अधिक होता है—सीलिंग वाले क्षेत्र में अथवा बिना सीलिंग वाले क्षेत्र में।

एक त्रुटि इस बिल में यह है कि इससे उत्पादकों में उत्साह की कमी हुई है। और उस कमी का परिणाम यह हुआ कि दिन प्रति दिन अन्न का उत्पादन इस देश में घटता जा रहा है। उसके कुछ आंकड़े एकत्रित किये गये हैं जो मैं आपके आदेश से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। सन् ५५ तक जब तक कि सरकार की ओर से इस बात का प्रोत्साहन दिया गया था कि देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये और हर प्रकार की सुविधा दी गई और यह भी आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया था कि जिन लोगों की खेती जितनी है उतनी रहेगी,

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

अगर कभी सीमा आरोपण होगा तो आगे वालों के लिये होगा, जिसके पास जितनी है उसमें कोई कमी नहीं की जायगी, इस आश्वासन पर लोगों ने अधिक से अधिक भूमि में अन्न उत्पादन किया। इसका प्रमाण यह है कि सन् ५५ में बाहर से ७ लाख टन अन्न का आयात हुआ था जब कि सन् ५१ में ४७ लाख टन अन्न का आयात हुआ था। इसके विरुद्ध सन् ५५ के बाद हम देखते हैं कि सन् ५८ में ३१.७ लाख टन अन्न का आयात हुआ। तो इसका क्या कारण है ? जो कुछ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा हुई हैं और सरकारी किताबों में छपी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेन्ट के इंडिया १९५८ के स्टेटिस्टिक के मुताबिक यह साबित होता है कि आज देश में खाद्यान्न का उत्पादन उस वक्त से घटने लगा है, लोगों में अन्न के उत्पादन की ओर से अरुचि हो गयी है। कोई भी आदमी अब यह नहीं चाहता कि भूमि में और अधिक रुपया इनवेस्ट करें क्योंकि अब सरकार के आश्वासनों पर भी लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। सरकार जो बात आज कहती है, दूसरे रोज उसे बदल देती है।

हमारे एक साथी श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा कि जिन लोगों ने तराई भावर और काशीपुर एरिया में खेती की, उन्होंने खेती करके उस वक्त से इस वक्त तक जितना इसमें इनवेस्टमेंट किया उसका मुआवजा पा लिया या उससे अधिक उत्पादन कर लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि खेती करने वालों की कठिनाइयां वे लोग क्यों नहीं जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो कि खेती नहीं करते। अभी कल हमारे उसी साथी ने जब ऊसर भूमि का प्रश्न इस सदन में आया था तो सरकार से यह प्रश्न किया था कि सरकार उन लोगों से लगान क्यों लेती है जो नयी जमीन को तोड़ते हैं और इस बात को क्यों नहीं रिअलाइज करती है कि उनको जमीन तोड़ने के बाद कई वर्ष तक उसका रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जो बात उन्होंने आज कही वह बिलकुल उसके प्रतिकूल है। जब हम खेती करते हैं और नयी भूमि को तोड़ते हैं तो तीन वर्ष तक हम उस जमीन से उतना भी नहीं पैदा करते हैं जितना कि उसमें बीज डालते हैं या उसमें मजदूरी लगाते हैं या इनवेस्टमेंट करते हैं। तीन वर्ष के बाद वह जमीन किसी तरह से इस काबिल होती है कि कम से कम जितना बीज उसमें लगा है या जितनी मजदूरी उसमें लगी है उसको वह रिटर्न करे और इस प्रकार पांच, सात साल के आपरेशन के बाद वह भूमि इस योग्य होती है कि कुछ पैदा करने लग जाय। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो जिन लोगों ने चाहे वे विस्थापित हों, चाहे हमारे इस प्रदेश के ही बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कि काशीपुर तराई भावर जाकर खेती की है, उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया है, मलेरियस एरिया में रहे हैं, बहुतों की जानें गयी हैं, बहुत सी कठिनाइयां उठायी हैं और करोड़ों रुपया इनवेस्ट करके उन्होंने अपनी जमीन इस आशा से तोड़ी थी कि हमारे बाल-बच्चों के लिये एक साधन मिलेगा और हम आगे कुछ कर सकेंगे। उस वक्त की सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया था उसके विपरीत यह सरकार उनसे उस भूमि को छीन रही है और यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। इस तरह से सरकार के किसी भी आश्वासन पर अब जनता को बिलकुल भी विश्वास नहीं रह जायगा और यह चीज सरकार के लिये खुद बहुत हानिप्रद है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुमकिन हो सके तो सरकार सीलिंग को सारे प्रदेश में कहीं भी लागू न करे और अगर वह लागू करने पर ही उतारू ही है और तुली हुई है केवल वोट पाने के लिये तो कम से कम जितना अधिक से अधिक क्षेत्र बरी हो सके उसको बरी कर देना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि जिसे अभी हमारे साथी माननीय गोंदा सिंह जी ने कहा कि यह बात कहना बहुत गलत होगा कि केवल बड़े किसानों ने ही अन्न उत्पादन में सहयोग दिया है और छोटों ने सहयोग नहीं दिया। सहयोग तो छोटे-बड़े सब करते हैं और अन्न उत्पादन भी सब करते हैं लेकिन आज बिना इनवेस्टमेंट के, मेहनत के या साधनों के अच्छी खेती नहीं हो सकती। सरदार साहब का गोरखपुर में कृषि फार्म है वहां पर उनके गन्ने की पैदावार का औसत प्रति एकड़ १००० मन पड़ता है जबकि यह हजार डेढ़ हजार एकड़ पर गन्ने की काश्त करते हैं। इसी तरह से उनके गेहूं की पैदावार का भी औसत २५-३० मन प्रति एकड़ से कम नहीं आता जबकि वह ७-८ सौ बीघा में गेहूं की खेती

करते हैं। उनके पास साधन हैं वह मिल का शीरा खेतों में खाद के लिये डालते हैं, नलकूप हैं। दूसरे किसानों के पास साधन नहीं हैं वह इतना इनवेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। मेरे पास इंडिया ईयर बुक, ५८ के अनुसार आंकड़े हैं, उन से मालूम होता है कि भारत में ८४ प्रतिशत कृषक ऐसे हैं, जिन के पास १० एकड़ से कम खेती है और १६.३ प्रतिशत कृषकों के पास केवल १० एकड़ से अधिक की खेती है। जिन के पास दस एकड़ या अधिक खेती है वह तो इतना अन्न उत्पादन कर लेते हैं कि वह अपनी जरूरत पूरी करने के बाद कुछ माल्जा बाजार में भी बेच लें। और इसी से बाकी ३० प्रतिशत आबादी जो खेतिहर नहीं हैं उनका भरण पोषण इसी सरप्लस अनाज से होता है। आप देखें कि जो लोग मेकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं जिन के पास खाद पानी की सुविधा है, निजी नलकूप हैं तमाम प्रकार के साधन हैं वही लोग सरकार को अच्छा बीज भी देते रहे हैं, जबकि छोटा किसान कोई भी अच्छा बीज सरकार को नहीं देता इस दृष्टि से केवल भावना के लिये कहा जा सकता है कि छोटे काश्तकार बहुत अच्छी खेती करते हैं और जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि सूबे भर में मुश्किल से १ प्रतिशत ऐसे कृषक होंगे जिन के पास ४० एकड़ से अधिक खेती होगी। वह कहते हैं कि इस से भी कम होंगे। अगर कम्पीटीशन की बात सरकार मान ले तो इस से सरकार का भी हित होगा और इस कम्पटीशन के कारण देश की पैदावार भी बढ़ेगी। पूरी शक्ति का प्रयोग होगा। इस सुन्दर बात को सरकार को मान लेना चाहिये। सरकार की ओर से कहा जाता है कि विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही जाती जो उचित हो, मैं उनसे कहूंगा कि यह बहुत सुन्दर और उचित बात है और इस तरह के कम्पीटीशन से सब का हित होगा और इस से यह साबित हो जायगा कि वास्तव में सीलिंग की उपयोगिता है या नहीं, या केवल वोट पाने के लिये यह है या इससे देश का वास्तविक हित होगा।

मैं कहता हूं कि इसमें बड़ा भयंकर खतरा है। अव्वल तो यह न लागू हो पूरे सूबे में तो अच्छा है, अगर हो तो जितने भी क्षेत्र में न लागू हो उतने में ही अच्छा है। खतरा यह है कि एक बार जब खेती उजड़ जायगी तो उसका संभालना मुश्किल हो जायगा। जिस तरह से कि स्टेट ट्रेडिंग का नारा लगाया गया और कोशिश की गई लेकिन नतीजा यह हुआ कि सरकार का सारा एकनामिक स्ट्रेक्चर लड़खड़ा उठा और उसमें श्री एस० के० पाटिल साहब को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अगर आपने सीलिंग बिल को इम्पोज कर दिया तो उसे इम्पोजीशन के बाद जो देश की दुर्गति होगी उसे न आप सम्हाल पायेंगे और न हम, भले ही कांग्रेस सरकार को बाहर जाना पड़े। किन्तु नतीजा अच्छा नहीं होगा। देश में इतनी बड़ी अराजकता हो जाएगी कि किसी के लिए भी उसे सम्हालना मुश्किल होगा। इन शब्दों के साथ मैं वीरेन्द्र शाह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठात्री महोदया, जिस बात पर विवाद चल रहा है, मैं जहां तक समझ सका हूं, उसका केवल मंशा यह है कि समस्त कुमायूं डिवीजन को छोड़ेंगे। उसमें दो ऐसे हैं, तराई भाबर और काशीपुर, जिसमें लागू होगा और बाकी कुमायूं डिवीजन में लागू नहीं होगा। जो संशोधन वीरेन्द्र शाह जी ने पेश किया है उसका मंशा केवल यह है कि इन दो परगनों को भी छोड़ दिया जाय। मंत्री जी ने बताया कि वहां जमींदारी खत्म नहीं हुई है और शीघ्र ही वहां लागू कर दिया जायगा। जब जमींदारी इस प्रदेश की खत्म हुई थी तब भी मंत्री जी ने कहा था कि पहाड़ों की जमींदारी और नगरों की जमींदारी बहुत शीघ्र खत्म कर दी जाएगी। लेकिन १० वर्ष बीत गए आज भी मंत्री जी इस पोजीशन में नहीं हैं कि कह सकें कि वहां जमींदारी खत्म हो गई है। मालूम नहीं कि कब तक वह खत्म हो। वह कहते हैं कि अब हो जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं कर पाये, इसलिये संदेह होता है।

मुझे सब से बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय गेंदासिंह जी और माननीय चन्द्रजीत जी की बात सुन कर। उन्होंने कहा कि गरीबों को भूमि मिलेगी, बड़े लोगों से छूटेगी। मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने विधेयक पढ़ा ही नहीं। न तो उसमें गरीबों को कोई भूमि मिलने वाली है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजदेवसिंह]

और न अमीरों से छूटने वाली है, जो होगी वह सरकारी खेती में जाएगी। वही बड़े लोग सरकार के गुलाम हो कर उस खेती पर काबिज रहेंगे जो कि काबिज हैं। महज सरकार को नत मस्तक होंगे और वह लोग उसमें मैनेजरी करने लगेंगे और कम्पेनसेशन अवश्य पा जाएंगे, और इस घाटे की जो क्षति पूर्त्ति नहीं हुई है उस की पूर्त्ति और ढंग से करेंगे, और चन्दा जो मिलना है वह अधिक मिलेगा। इसलिये मैं वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बहुत छोटा सा संशोधन है इसे स्वीकार कर लें।

*श्री भजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---महोदया, मैं पहले कह चुका हूं कि भूमि की क्या व्यवस्था हो इस प्रदेश में, इस सम्बन्ध में इस सरकार की नीति साफ नहीं है। सही बात तो यह है कि सरकार की कोई नीति ही नहीं है इसके बारे में। इस संशोधन का समर्थन करते हुये मैं केवल दो-एक शब्द कहना चाहता हूं। जमींदारी खत्म हुई तब भी कुछ भाग बाक़ी रहा, चकबन्दी लागू हुई तब भी कुछ भाग बाक़ी रहा, यह जो ऐक्ट बन रहा है तब भी कुछ बाक़ी रहता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह सारे प्रदेश में एक समान लागू होना चाहिए और इसमें सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए, तभी जो कुछ फायदे की बात सोची जा रही है, वह हो सकेगी।

श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---महोदया, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आता इसका समर्थन किस सूरत में किया जाय। कुछ दलीलें अभी आप के सामने रखी गईं कि तराई भावर के इलाके को इससे मुस्तसना कर दिया जाय। इस बिल की जनरल डिबेट में ९ घंटे तक अपने खयालात का इजहार कर चुका हूं। सीलिंग किसी जमीन पर होती नहीं इस बिल के मातहत। अब जो नया संशोधन आया है मेरी राय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बिल में १८ ऐक्सेप्शन्स हैं जिसके मातहत कोई भी शख्स कितनी भी जमीन रख ले। तो इस छूट के होते हुए भी कि जिसके पास जितनी भी जमीन है उसका इस बिल के मातहत तहफ्फुज मौजूद है उसके बाद भी ऐसा संशोधन लाना कि हम और ज्यादा तहफ्फुज दें, मैं समझता हूं कि सरकार ने काफ़ी तहफ्फुज दिया है, आगे कहीं सीलिंग का जिक्र भी नहीं है। ऐसी सूरत में जस्टिस और इक्विटी की डिमांड यह नहीं है कि हम हर एरिया को सीलिंग से अलहदा करते चले जायं। अब जो संशोधन है, यह जरूर है कि तराई भावर में जिन लोगों ने अपने फार्म बनाये हैं उसके बारे में कहा जा सकता है उनमें उन्होंने अपनी सारी कमाई यहां तक कि जेवर बेच कर, जायदाद मुंतकिल कर के लगा दी है और तब फार्म लिये हैं और उनकी जिन्दगी का दारोमदार फार्म पर है। इन तमाम बातों के होते हुए, एक तरफ़ तो बड़े बड़े फार्म वाले हैं और दूसरी तरफ़ ग़रीब खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है। इस बिल का मक़सद यह है जिनके पास जमीन नहीं है और जैसा कि हमारा प्रदेश है जहां ज्यादा-तर लोगों का दारोमदार काश्तकारी पर है, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जो कुछ भी जमीन दी जा सके दी जाय। इस वास्ते को छोड़ते हुए भी दूसरी तरफ़ निगाह है। एक तरफ़ तो लोग ऐशोआराम की जिन्दगी गुज़ार रहे हैं, दूसरी तरफ़ लोग भूखों मर रहे हैं तो ऐसे वक्त अगर बड़े आदमी से थोड़ी सी लेकर ग़रीब को दे दी जाय तो न्याय संगत ही होगा, यही इन्साफ़ का तकाजा भी है "लिव फ़ार अदर्स"। जैसा मैंने बताया इस कानून ने गुंजायश दी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आराजी हम रख सकें रखें उसके बाद भी अगर यह संशोधन कर दें तो और भी ज्यादा छूट मिल जायगी जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगी।

यह कहना कि बड़े फ़ार्म पर ज्यादा पैदा होता है बनिस्बत छोटे काश्तकार के इसलिये उसे जमीन से वंचित किया जाय, यह कोई जोरदार दलील नहीं है। ऐसी भी मिसालें हैं कि दो बैल से दो एकड़ के काश्तकार ज्यादा पैदा करते हैं और अपने परिवार का गुज़ारा चलाते हैं, सभी काम करते हैं। सरकार के फ़ार्म बराबर लास पर रन कर रहे हैं जब कि वहां सारी सुविधायें हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और छोटा काश्तकार हल के जरिये से इतना ज्यादा पैदा कर लेता है जितना बड़े फ़ार्म वाले नहीं कर सकते हैं। तो इस से एक्सेप्शन को लेकर उन लोगों को जिन्हें कुछ इस बिल से नहीं मिलने वाला है, थोड़ी सी तस्कीन ही मिलने वाली थी, वह भी ख़त्म हो जायगी। वह राहत नहीं मिलेगी लिहाजा यह संशोधन बिलकुल ग़ैर जरूरी है, इंसाफ़ के ख़िल फ़ है। इन तमाम चीजों के होते हुए मैं राजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसको वापस ले लें, यह ऐसा नहीं है कि जिसे हाउस में प्रेस किया जाय।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, राजा साहब ने जो संशोधन पेश किया है मेरी समझ में तो इसका पेश करना ही बेकार था। सरकार ने जो बिल रखा है उससे साफ़ ज़ाहिर होता है राजा साहबान् बड़े-बड़े फार्म वालों और बड़े बड़े काश्तकारों की जमीन कहीं से निकलती नहीं है। खामख्वाह राजा साहब परेशान हो रहे हैं। १८ शर्तें तो सरकार ने तै कर दी हैं जमीन उनकी बचाने के लिये और १८ शर्तें जमीन वाले और बड़े बड़े लेखपाल बना लेंगे। जब ३६ शर्तें हो जायंगी जमीन को बचाने की तो फिर कोई जरिया नहीं है कि जमीन सरकार को कहीं से मिल सके।

राजा साहब को अगर खुद की परेशानी हो तो निजी तौर पर सरकार के पास बहुत से जरिये हैं। जहां बड़े आदमियों ने मंत्री महोदय को नमस्कार किया और जरा बंगले पर थोड़ी सी तकलीफ गवारा की तो बस मिनिस्टर साहब से जो चाहा करवा लिया। यहां मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बाहर अगर आप चाहें तो दो चार सबूत भी दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें, व्यक्तिगत बातों पर न बोलें।

श्री बालकराम—मैंने तो खुद ही कह दिया कि मैं सदन में कहना नहीं चाहता। संशोधन जो है राजा साहब का वह बेकार है। मैं राजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसे वापस ले लें। यह बिल वैसे ही आपको और बड़े बड़े लोगों को बचा रहा है, आप परेशान क्यों हैं?

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्दनारायण तिवारी, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आपके संशोधन की चेयर अनुज्ञा नहीं देती क्योंकि वह इस प्रस्ताव से मिलता जुलता है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—यह विधेयक जो था उसकी भाषा के दोष के कारण मैंने उसे दे दिया था और अब मैं उसे प्रेस नहीं कर रहा हूं।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जो संशोधन राजा साहब ने इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। राजा साहब की जो यह दलील, कि जो बड़े बड़े फार्म हैं या जिनके पास बहुत अधिक भूमि है वे अन्न ज्यादा पैदा करते हैं और जो छोटे काश्तकार हैं जिनके पास थोड़ी सी भूमि है वह साधनहीन होने के कारण उसे ज्यादा उपजाऊ नहीं बन पाते, सही नहीं है। होता यह है कि जिनके पास अधिक भूमि होती है वे अधिक भूमि होने के कारण उसका ठीक से प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं और वे उस पर उतना समय और ध्यान नहीं दे पाते जितना कि छोटे काश्तकार दे पाते हैं जिनके पास थोड़ी भूमि होती है। अगर हम अपने प्रदेश में ही आंकड़े लें तो हम को यह चीज स्पष्ट हो जायगी कि जिनके पास थोड़ी सी भूमि है, खास तौर से जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं अहीर हैं, कुर्मी हैं, हरिजन लोग हैं, उनके पास जो खेत है उनकी पैदावार के आंकड़े अगर हम लें तो हमें यह मालूम होगा कि बड़े फार्मों की उपज से सवाये और ड्योढ़े से कम निस्बत उनकी निकलेगी नहीं। इसलिये यह कहना कि छोटे काश्तकार ज्यादा पैदा नहीं कर पाते हैं, सही नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कुशल वर्मा]

दूसरे इस बिल के जरिये से जो अधिकार हम ले रहे हैं वह तो केवल इसलिये है कि कुछ दिनों के लिये, जब तक के लिये उचित समझा जाय, यह विधेयक उस पर लागू नहीं होगा और जब यह देखा जायगा कि अब वहां पर लागू किया जा सकता है तो उसका नोटिफ़िकेशन हो जायगा और उस पर भी यह लागू कर दिया जायगा। इसके माने यह तो नहीं हैं कि वह एकदम से वंचित किये जाते हैं कि यह उन पर कभी लागू भी नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बेकार है और इसको राजा साहब वापस लेंगे।

*राजा वीरेन्द्र शाह—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इस प्रस्ताव पर सदन के बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और मेरा बहुत सा बोझ हल्का कर दिया। मुझे दुःख है कि मंत्री जी ने केवल इतना ही कहा कि मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि कोई विशेष कारण हैं जिनकी वजह से तराई भावर के फार्म्स को छोड़ा जाय। मैंने इसलिये यह संशोधन रखा था कि जब आप कुमायूं डिवीजन छोड़ रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर इस पर भी गौर करेंगे और गौर करने की वजह मैंने बतलायी थी कि उन लोगों ने अपना पैसा लगाया है और अन्न के उत्पादन को बढ़ाया है तो बेहतर होगा। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी की भी यही राय है कि कलों द्वारा खेती करने से अधिक अन्न पैदा किया जा सकता है। अभी हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि छोटे किसान ज्यादा अन्न पैदा करते हैं। तो यह राय तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ़ मिनिस्टर साहब को दीजिये जिनकी यह धारणा हो गयी है कि रूस और चीन के तरीकों से कलों द्वारा यहां खेती होनी चाहिये। हम तो कहते हैं कि जब अन्न की समस्या को हल करने की हम सोचते हैं तो हमें यह भेद भाव मिटा देना चाहिये कि छोटा काश्तकार ज्यादा पैदा करता है या बड़ा काश्तकार ज्यादा पैदा करता है। अरबों रुपये जो विदेशों को अन्न मंगाने में आप देते हैं क्या आप को उससे बड़ा सुख मिलता है? वह देश कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता जो अपने खाने भर को अन्न भी पैदा नहीं कर सकता।

चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि उन्होंने बड़ा लाभ कर लिया होगा। अरे! लाभ क्या कर लिया? गवर्नमेंट ने ७० लाख रुपये केवल ऊसर भूमि को रिक्लेम करने में खर्च किये और आप कहते हैं कि मुआवजा दे देंगे। मुआवजा की दरें जब आयेंगी तो वह भी देख लीजियेगा कि क्या मुआवजा देंगे। और फिर मुआवजा तो आप जमीन का देंगे या उनकी कलों वगैरह का भी मुआवजा देंगे? और देंगे तो आप को मालूम पड़ेगा कि कितना मुआवजा देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें और सोचें कि जब वह कुमायूं डिवीजन छोड़ रहे हैं तो जब तक उसको न लिया जाय इसको भी छोड़ दिया जाय, ताकि हम समझेंगे और जैसा कि जमींदारी अबालीशन में हुआ कि १०-५ साल हो गये और अभी तक नगरों का मामला नहीं आया। इसी तरह से इसमें भी अगर पांच साल लग जायेंगे तो उत्पादन बढ़ने में भी मदद मिलेगी और उनका रुपया भी वसूल हो जायगा। इन शब्दों के साथ श्रीमन् मैं समझता हूं कि हमारा संशोधन उचित है और मुझे आशा है कि कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमती जी, मैंने अपने तमाम मित्रों की बातें बड़े गौर से सुनीं और उनको समझने की भी कोशिश की और खास कर राजा वीरेन्द्र शाह जी के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसमें कोई नई बात नहीं कही गई और जो उन्होंने अपने पहले भाषण में तर्क दिये थे उन्हीं को जोरदार शब्दों में दोबारा दुहरा दिया गया। उनकी बातों के सम्बन्ध में, उनकी युक्तियों के सम्बन्ध में मैंने अपने पहले भाषण में संक्षेप में जवाब दे दिया था और मैं समझता हूं कि वह जवाब पर्याप्त है। इसको दुबारा दुहराने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता और न मैं सदन का अमूल्य समय लेना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय इन्दुभूषण जी गुप्त ने अपनी तक़रीर के दौरान में यह बात कही थी कि जनता सरकार के खिलाफ़ है और इस विधेयक के हक़ में जनता नहीं है। अगर मैं सही तौर पर उनकी बात को समझ पाया हूं तो यही उनका आशय था। लेकिन जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले। उसी तकरीर में उन्होंने यह भी फरमाया कि यह विधेयक वोट कैच करने के लिये लाया जा रहा है। लेकिन अगर यह विधेयक जनता की मर्जी के मुताबिक़ नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा था तो उनका यह कहना कि सरकार ने वोट कैच करने की डिवाइस निकाली है, यह दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं और एक-दूसरे के विरुद्ध हैं।

अगर जनता इस विधेयक को पसन्द नहीं करती है तो वोट हमारे खिलाफ़ जायंगे तो यह कहना हम समझते हैं कि निर्मूल-सी बात है कि यह वोट कैच करने की डिवाइस है। ऐसी युक्तियां दी गई जिनके पास पैर भी नहीं हैं जिनके ऊपर वह खड़े हो सकें। लेकिन जब कोई मनुष्य ग़लत युक्तियां देने लगता है तो उसकी याददाश्त भी उसकी मदद नहीं करती। इसीलिये जहां वह एक बात कहते हैं वहीं दूसरी बात ऐसी कहते हैं जो उसके बरखिलाफ होती है। इन दोनों बातों में इतना मदभेद है, इतना एक दूसरे में विरोध है कि दोनों बात सही हो नहीं सकतीं एक साथ और यह नतीजा कुछ कन्फ्यूजन का है। जब आदमी कन्फ्यूज हो जाता है तो उस को तो तरह की बातों में विरोधाभास का पता नहीं चलता है। लेकिन आखिर इस सदन में सब तो कन्फ्यूज हो कर के बैठते नहीं। जो सावधानी से सुनते हैं, उनकी नजर से या उनके कानों से ऐसी बातें बच कर जा नहीं सकतीं, जरूर उनकी गिरफ्त में आ जाती हैं। तो मेरा यही नम्र निवेदन है कि हमारे भाई ने जो इस संशोधन का समर्थन किया है, ग़लतफ़हमी से किया है। हमारे और कई मित्रों ने भी इसका विरोध किया। हमारे भाई चन्द्रजीत यादव ने विरोध किया। अब उनकी युक्तियों से या उनके वजूहात से जो उन्होंने दिये उनसे हमारे कुछ मित्र सहमत न हों, यह दूसरी बात है।

इस संशोधन के खिलाफ़ और भी युक्तियां दी जा सकती हैं। कुछ मैंने भी दी हैं, कुछ और मित्रों ने भी दी हैं। उसका मेरे ऊपर यही इम्प्रेशन होता है कि सदन का बहुमत इस तरमीम के माफिक नहीं है। खैर, यह हम अभी कह नहीं सकते, मुस्तकिल तौर से यह वोटिंग के बाद तय होगा कि काफी हैं पक्ष में या विपक्ष में काफी है इसी सिलसिले में हमारे मित्र बालक राम जी ने कुछ बातें कहीं, संशोधन का विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति लगायी कि इस विधेयक से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। राजा साहब वीरेन्द्र शाह जी की जमीन जायगी नहीं.....

राजा वीरेन्द्रशाह---मेरे पास तो जमीन है ही नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यही तो वह जानते नहीं कि आप नवाब बेमुल्क हैं। उनके दिल में यह बात थी कि आप के पास ज्यादा जमीन है इसलिए आप ने तरमीम पेश की। अब बालकराम जी की राय भले ही कुछ हो कि इस विधेयक से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी राय इससे मिलती नहीं है। हम को तो जमीन मिलेगी, जितनी मिले, मिले। हम तो लेना चाहते हैं और लेकर के हम चाहते हैं कि चाहे एक ही आदमी को दे सकें तो एक को ही दें। यह नहीं कि एक को भी अगर मिल सके तो उसको भी न मिले। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि हम भी अपनी कुछ जानकारी रखते हैं। कुछ इत्तिलात हैं हमारे पास, उन इत्तिलात के आधार पर हम यह कह सकते हैं, सही तरीके से कह सकते हैं कि हमको काफ़ी जमीन मिलेगी। हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने शायद विरोध किया तरमीम का। लेकिन उनके कुछ और शकूक हैं जिनका इजहार उन्होंने किया। उस सम्बन्ध में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूं और वह है क्लाज १ के सब क्लाज (३) के बारे में। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं---

> "It shall come into force at once except in the area mentioned in section 2 where it shall come into force from such date and in such manner as may be notified in that section and different dates may be appointed for different areas."

[श्री हुकुमसिंह चिसेन]

इसी पर हमारे भाई गेंदा सिंह जी को कुछ एतराज है कि यह अधिकार सरकार को न देना चाहिए। शायद यह भी कहा उन्होंने कि जब मौका आयेगा तो इस पर विस्तार से वह अपनी बात रखेंगे। यही मैंने समझा। मैं समझता हूं कि इसमें भी कुछ ग़लतफ़हमी है। जहां तक धारा २ का संबंध है हमने साफ तौर पर से कहा है और उसे मैं आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"The State Government may, by notification in the official Gazette, apply the provisions of this Act, subject to such exceptions or modifications, not affecting the substance, as the circumstances of the case may require, to the areas mentioned below :

"that is mentioned in sub-clause (1), (2) and (3) of Clause 2."

तो मैंने इसमें यह रखा है कि जो इलाके हमने बरी किये हैं उन के सम्बन्ध में हम को अधिकार होगा कि हम मुख्तलिफ़ तारीखों में मुख्तलिफ़ एरियाज के लिए नोटिफिकेशन करें। बाकी एरियाज के लिए तो यह फौरन् लागू हो जायगा, सारे सूबे में, और जो तीन एरियाज हमने बचाये हैं उन के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अरबन एरिया में यह धीरे-धीरे लागू होगा। जहां-जहां जमींदारी खत्म होती जाय यह लागू होता जायगा यह इस बिल की स्कीम है। जहां जमींदारी खत्म नहीं हुई है वहां लागू करने का कोई इंटेन्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से दिक्कत आ जायंगी। लिहाजा, जैसी स्कीम है, हम सरेदस्त अरबन एरियाज में इसे लागू करने नहीं जा रहे हैं और कुमायूं डिवीजन में भी लागू करने नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही काशीपुर सब-डिवीजन के वे क्षेत्र तथा तराई और भावर परगने के वे क्षेत्र जहां कोई इंटरमीडियेरी नहीं है और देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना, इनमें हम इसे अभी नहीं लागू कर रहे हैं। अब देर हुई, या सबेर हुई और हम मुजरिम हैं या नहीं, इस पर आप जो मुनासिब समझें अपनी राय क़ायम करें, लेकिन मैं समझता हूं कि जानबूझ कर इसमें हमने ढिलें नहीं की है। हमारे रास्ते में भी कुछ अड़चनें थीं। इस सदन ने अरबन एरियाज के लिये यह तय किया है कि वह एग्रीकल्चरल लैंड पर लागू होगा। तो जब तक यह न तय हो जाय कि फलां शहर में कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है और कितनी नान-एग्रीकल्चरल लैंड है, उस वक्त तक इसको लागू करना वहां संभव नहीं प्रतीत होता। हमारे सूबे में ३०० या ३५० म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन सब का एक साथ हम डिमार्केशन करें यह संभव नहीं है हम थोड़ी सी पहले ले रहे हैं और जिनमें खत्म हो जाता है, उनके बाद दूसरी लेते हैं। एक साथ हम यह डिमार्केशन कर दें यह संभव नहीं है। इसमें टाइम लगता है। मुझे दुख है कि इतना समय नहीं लगना चाहिये था, अगर साधन होते तो एक ही वक्त हम कर सकते थे, बहुत जरूरी चीज थी, लेकिन मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि जैसे-जैसे यह डिमार्केशन होता जायगा, हम जमींदारी एबालिशन को लागू करते जायंगे और इसी लिये क्लाज १ के सब-क्लाज (३) में हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ तारीखों में हम मुख्तलिफ़ एरियाज में इसे लागू कर सकते हैं क्योंकि सारी म्युनिसिपैलिटीज में एक साथ डिमार्केशन हो जाय यह संभव नहीं है। ज्यों-ज्यों होता जायगा हम इसे लागू करते जायंगे इसी के लिये यह अधिकार इसमें रखा गया है। और ऐसे ही जौनसार और भावर का एरिया है जहां जमींदारी है और उस जमींदारी के खत्म करने के बाद वहां भी इस क़ानून को लगायेंगे। तो जो नोटिफ़िकेशन करने का अधिकार हमने दफ़ा १ सब-क्लाज (३) में ले रखा है वह इसी उद्देश्य से है कि जैसे जैसे डिमार्केशन खत्म होते जायं हम इसको लाग करते जायं। वैसे काम जो पेंचीदा और बड़े होते हैं उनमें वक्त लगता ही है।

हम कुमायूं डिवीजन का सेटिलमेंट करा रहे हैं, वह कई वर्षों से चल रहा है और अब भी दो वर्ष लगेंगे, इससे कम नहीं लगेगा क्योंकि पहाड़ का सेटिलमेंट है, वह पहाड़ जैसा काम होता है। इतनी मुश्किल होती है, नीची और ऊंची जमीन को नापना जोखना है, है परेशानी की बात। वैसे कहने के लिये कोई कह दे कि हम होते तो एक दिन में छूमन्तर कर देते लेकिन ऐसी बात हम

तो कह नहीं सकते। काम काफ़ी वहां हो गया है रेवेन्यू का काम बाक़ी है।] यही प्राविजन कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल में भी है कि जहां जहां सेटिलमेंट हो जायगा और विलेज रिकर्ड्स दुरुस्त होते जायेंगे वैसे वैसे इसको लागू करते चलेंगे। वैसे वहां के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। बहुत से सीरतान और शिल्पकार हमारे गरीब भाई हैं वे अपनी जमीनों पर कब्जा किये हुये हैं लेकिन कागजातदेही पर उनका कब्जा नहीं है। वह सेटिलमेंट के जरिये से दुरुस्त किया गया है। तो जब तक कागजात दुरुस्त न हो जायं तब तक उनको लागू कर देने के माने यह होंगे कि वह उस फ़ायदे से वंचित रह जायेंगे। लिहाजा देर हो जाय हो जाय लेकिन काम मुकम्मिल हो। नारा लगा देना तो सहल है कि कैपिटलिस्टों के साथ या शहर वालों के साथ यह सरकार फेवर करती है, या उनके साथ फेवरिटिज्म की वजह से यह करती है। उसके लिये मैं क्या सबूत दूं। दिल फाड़कर दिखलाना बेकार है लेकिन हमारे दिल में कोई भावना ऐसी नहीं है जिसकी वजह से देरी हो। वैसे कहने के लिये तो सभी कुछ कहा जा सकता है। अब इसमें कोई शक व शुबहे की बात नहीं है और मैं समझता हूं कि मैंने अपने भाई गेंदा-सिंह के हकूक को रफा कर दिया और अब भी अगर कोई बाक़ी रह गया है तो आखिर में जब प्रिवेम्बिल पेश होता है उस वक्त ऐटमास्फियर भी बहुत ठंढा हो जायगा और अब भी बड़ी सावधानी से विचार करने के योग्य हो जायेंगे उस वक्त जो कुछ हकूक उनके रह गये होंगे उनको रफा करने में सहूलियत होगी।

यह भी कहा गया है कि बड़े बड़े फार्मवालों ने यहां का प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने भरसक कोशिश की जिसके लिये प्रदेश उनका बहुत आभारी है, मैं उनको उससे वंचित नहीं रखना चाहता लेकिन हम आशा करते हैं कि जब तक वह कायम रहेंगे तब तक वे अपने उस प्रयास में मुस्तकिल मिजाजी से काम लेंगे और इस प्रदेश और देश के अन्न के प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे और प्रदेश की मदद करेंगे। साथ ही हम यह भी नजरंदाज नहीं कर सकते कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं वे भी काफ़ी मदद करते हैं और उन्होंने भी नये साधनों के बल पर काफ़ी तरक्की इस तरफ़ की है और जो पहले खाने भर को नहीं पैदा कर पाते थे वे अब अपने खाने भर को तो पैदा कर ही लेते हैं और थोड़ा-सा फाजिल भी हो जाता है। लिहाजा बड़े फार्मों की पैदावार को अब उन पर नहीं खर्च करना पड़ता बल्कि वे सेल्फसफी-शियेंट हैं। तो जो बड़े फार्मों की पैदावार उन्हीं में खप जाती थी हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते थे उसके लिये तो हम उनको भी क्रेडिट देते हैं।

हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं कि छोटा काश्तकार ज्यादा पैदा नहीं कर सकता। हम यह भी जानते हैं कुछ काश्तकारों के पास काफी बड़ा रकबा जमीन का है लेकिन फिर भी वे ज्यादा पैदा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास साधन कम हैं। कभी-कभी छोटे काश्तकार भी बड़े काश्तकारों से ज्यादा पैदा करते हैं। छोटे काश्तकार भी ज्यादा पैदा कर सकते हैं, और वे निकम्मे भी हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में जनरालाइजेशन नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरी जो दिक्कतें थीं वह मैंने इस हाउस को बता दी हैं। चूंकि इस तरफ से इसकी मुखालिफ़त ही हुई है, हमारी भी इसमें दिक्कतें हैं, इसलिये राजा साहब इसे वापस ले लें, यह मैं चाहता हूं। एक साहब ने कहा कि यह बड़ी भोली भाली तरमीम है, मैं जानता हूं यह तरमीम कैसी है। जैसे माननीय बलदेवसिंह जी भोले भाले हैं, वैसी यह तरमीम भी है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है राजा साहब मुझे क्षमा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (२) की पहली पंक्ति "मण्डल" के बाद के शब्द से लगा कर तीसरी पंक्ति में "है" तक शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से एक निर्दोष संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। वह यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (२) में शब्द "सम्पूर्ण"

[श्री रामलखन मिश्र]

के स्थान पर शब्द "उत्तराखंड मण्डल और" रख दिये जायं। यह, महोदया, एक निर्दोष संशोधन है। उत्तराखंड के निर्माण के पश्चात् इसमें सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिये वरना यह अवैधानिक हो जायेगा। इसी दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। जो और शाब्दिक संशोधन इस सदन में प्रस्तुत होते हैं और जिन बातों को सामने रख कर उन पर विवाद किया जाता है उसकी परिधि से मेरा संशोधन परे है। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह संशोधन मुझे स्वीकार है। क्योंकि आप को मालूम है कि उत्तराखंड डिवीजन ऐक्ट इसी सदन में पास हुआ है और उसके पास होने से वह हिस्सा दो टुकड़ों में बट गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो उत्तराखंड के नये जिले हैं वे इससे बच जायेंगे। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो चीज उसमें खटकती है वह यह है कि इसमें जो शब्द रखे गये हैं वे ऐसे हैं कि उनका समझना बड़ा कठिन हो जाता है। बड़े बेढब शब्दों को रख दिया जाता है। उसे समझने की थोड़ी सी कोशिश की जायगी। तो मेरी अर्ज यह है कि मंत्री जी जरा सोचें कि "डिवीजन" शब्द क्या बुरा है, वह कितना प्रचलित हो गया है कि देहाती भी उस को जानते हैं। हम "बोर्ड" को कोई पुच्छलतारा बनाकर कुछ और बनायें तो इससे क्या होता है? आम व्यावहारिक शब्द रखना चाहिए। अंग्रेजी भाषा इसीलिए आगे बढ़ी कि जो बाहर के शब्द थे उनको अपनाने में उसका हाजमा बड़ा तेज था। "पक्का" और "कच्चा" शब्द जो हिन्दी के हैं वह उन्होंने अपना लिए। ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द "कोट" है, सभी लोग कोट ही कहते हैं और कोई दूसरा शब्द नहीं है, शहर में भी और देहात में भी। तो हमारे हाजमे का स्कोप ऐसा ही होना चाहिये। आज कल बंगाल और आसाम में जो झगड़ा चल रहा है भाषा के प्रश्न को लेकर वह हमारा अभाग्य है। बंगाली और असामी एक ही लिपि में लिखी जाती है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में भाषा का विवाद पड़ा उन्होंने यह उपद्रव खड़ा कर दिया। तो हिन्दी भाषा आप रखें लेकिन "डिवीजन" ही रख दें और यह "बंडल" "बंडल" बेकार की चीज है। "डिवीजन" को हिन्दी के शब्द के नाते अपनाया जाना चाहिये।

***श्री गेंदासिंह**---माननीया, मैं मिश्र जी के संशोधन का जाब्ते से विरोध करना चाहता हूं, इसलिए कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पूरे कुमायूं मंडल को बरी करना चाहते हैं तो माननीय मिश्र जी उसमें मदद करने के लिए पहुंच गये कि कहीं किसी कोने या लूप-होल रह जाने से उत्तराखंड बच जाता जो एक खराब बात हो जाती है। उस हिस्से को छोड़ देने से उत्तराखंड तो कम से कम बच जाता, लेकिन मिश्र जी के संशोधन के स्वीकार हो जाने से वह पूरे का पूरा क्षेत्र बरी रह जाता है। इसलिए मैं सारी बातों के सम्बन्ध में तो आगे कहूंगा, लेकिन इस वक्त जाब्ते से इसका विरोध कर रहा हूं, इसको नामंजूर किया जाना चाहिए।

श्री रामलखन मिश्र--अधिष्ठात्री महोदया, यों तो उत्तर में मुझको कुछ कहने को नहीं था, लेकिन माननीय गोविन्दसिंह जी ने "उत्तराखंड मंडल" पर आपत्ति प्रकट की, इससे मुझे आश्चर्य हुआ। इस देश का इतिहास भरा पड़ा है कि यहां "काशी खंड", "नर्मदा खंड", "उज्जैन खंड" और "उत्तरा खंड" यह हजारों वर्षों से हैं। यद्यपि मैं उनके प्रति आदर भाव रखता हूं लेकिन पिता जी ने उनका नाम "गोविन्द सिंह विष्ट" रख दिया, तो वह "विष्ट" शब्द का अर्थ भी न जानते होंगे, लेकिन फिर भी आदर से जैसे उस शब्द को लेते हैं उससे हम पीछे नहीं जाते। मेरा ऐसा विचार है कि केवल एक व्यंगता, एक ह्यूमर बढ़ाने के लिए हमारे गोविन्दसिंह जी ने आपत्ति की है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, सार नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो गेंदा सिंह जी की आपत्ति है वह भी एक वैसी ही उपालम्भात्मक है, कोई सार वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे पक्ष का ही उन्होंने समर्थन किया है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—यह तो स्वीकार कर लिया था ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (२) में शब्द "सम्पूर्ण" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड मंडल और" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ का उपखण्ड (२) निकाल दिया जाय । जो मौजूदा विधेयक है और जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कुमायूं मंडल है और अब एक दूसरा मंडल हमारे मिश्र जी ने उसमें जोड़ दिया है, उत्तराखंड मंडल, यह सुनने में बड़े सुन्दर सुनाई देते हैं और मैं मिश्र जी की इस सुन्दर भाषा के लिये दाद देता हूं । इस उपखण्ड में जो यह शब्द हैं : "सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई भाबर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है," मैं चाहता हूं डिलीट कर दिये जायं ।

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, हाल में कुमायूं जमींदारी उन्मूलन बिल यहां आया, उसके लिये ढोल पीटी गई कि कुमायूं में जमींदारी प्रथा है इसलिये उसका उन्मूलन होना चाहिये । कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ शब्दों से बड़ा प्रेम है जैसे प्रोग्रेसिव, प्रोलिटेरियट, रिएक्शनरी व बुर्जुवा । मालूम होता है इस सरकार ने भी कम्युनिस्ट पार्टी से इन शब्दों को उधार ले लिया है । कम्युनिस्ट पार्टी को जवाब देने के लिये यह शब्द बड़े अच्छे हो सकते हैं लेकिन कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिएक्शनरी है, इसकी परिभाषा आजतक हमें किसी डिक्शनरी में देखने को नहीं मिली । बहरहाल मेरा कहना यह है कि अगर वाकई सरकार अपने को प्रोग्रेसिव कहती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि कुमायूं डिवीजन में भी इसको क्यों न लागू किया जाय । मंत्री जी ने कहा कि अभी हम जमींदारी उन्मूलन बिल वहां लागू नहीं कर सके इसलिये इसको लागू नहीं कर सकते । क्या कुमायूं जमींदारी बिल में कहीं यह लिखा हुआ है कि जब तक यह बिल न लागू हो जाय तब तक सीलिंग का बिल लागू नहीं हो सकता ? अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो मैं इसको वापस लेने के लिये तैयार हूं ।

मंत्री जी ने एक बात और कही कि वहां अभी पैमायश नहीं कराई है, मैं उनकी याददाश्त को ताजा करने के लिये कह सकता हूं कि वहां पर जितने भी हिस्सेदार हैं सब रिकार्डेड हैं । ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कभी भी रिकर्ड आपरेशंस न हुये हों, सेटिलमेंट्स न हुये हों, यह हो सकता है कि इधर पूरे सेटिलमेन्ट्स न हो पाये हों । वहां पर सारे पुराने नकशे, खसरा, खतौनी यानी मुन्तखब तैयार हैं और उसी के आधार पर मुकदमे होते हैं पुराने मौरूसी सिरतानों के कब्जे दर्ज हैं । तो जब हम मौजूदा रिकर्ड से सब पता लगा सकते हैं तो फिर यह सीलिंग जोकि ४०,६० या १२८ एकड़ की सारे सूबे में आप करने जा रहे हैं वह वहां पर भी क्यों न की जाय । अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट का यह सिद्धांत है कि पहले जमींदारी एबालिशन होना चाहिये और फिर सीलिंग होनी चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि इस देश के और प्रान्तों में भी कांग्रेसी सरकार है और मैं यह समझता हूं कि दूसरे प्रान्तों की कांग्रेस गवर्नमेन्ट्स और यहां की सरकार में जमींदारी एबालिशन और सीलिंग के सिद्धांत में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये क्योंकि कहा यह जाता है कि ए० आई० सी० सी० और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो तय करती है उसी सिद्धांत को यह सरकार कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश करती है । करती है या नहीं करती यह तो दूसरी बात है और उसको हम यहां पर रोज देखते ही हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब मैसूर की सरकार भूमि सुधार जमींदारी एबालिशन और सीलिंग के लिये एक ही बिल ला सकती है तो फिर यह सरकार तीनों चीजों को एक ही बिल में क्यों नहीं ला सकती । क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

तथा कथित कांग्रेसी सरकार ऐसा नहीं कर सकती या तो वे अपने को प्रोग्रेसिव कहना बन्द कर दें। एक जगह एक उसूल और दूसरी जगह दूसरा यह उचित सा नहीं लगता है।

यह भी कहा गया कि कुमायूं के शिल्पकारों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। इसलिये जमींदारी उन्मूलन बिल लाये। मैं नहीं कहता कि १०,२० झगड़े कहीं हो गये हों। हरिजन के ही केवल झगड़े होते हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के भी हुआ करते हैं और सब से ज्यादा ठाकुरों के होते हैं।

मंत्री जी यह भी भूल गये कि उनके साथी ने कल ही काउन्सिल में कुछ आंकड़े पेश किये। कहा जाता है कि वहां बहुत ज्यादा सीरतान हैं। अल्मोड़ा में ३.१ परसेंट केवल उनके पास भूमि है। गढ़वाल में ४.२ परसेंट है और टेहरी गढ़वाल में ४.४ परसेंट है। २॥) तक लगान वालों की संख्या जिनको जमींदार की संज्ञा दी गई है, वे ८२ परसेंट नैनीताल में, ८५ परसेंट अल्मोड़ा में, ९७ परसेंट गढ़वाल में और ६६ परसेंट टेहरी गढ़वाल में हैं। अगर ५) या उससे कम लगान देनेवालों को देखा जाय तो वे ९३% नैनीताल में, ९६% अलमोड़ा में, ९६.५% गढ़वाल में और ८८ परसेंट टेहरी-गढ़वाल में है। माननीय मंत्री तथ्य देते हैं कुछ और उसके लिये तर्क देते हैं दूसरा माननीय मंत्री जी चले गये। उनको शायद कुछ ज्योतिषज्ञान हो गया कि अब ऐसी बात कही जाने वाली है। इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा इसका सेक्रेटेरियट है उनको बताने के लिये कि मंत्री जी कहीं लड़खड़ा न जावें इधर उधर। मंत्री जी के पास पलटन की पलटन और फौज की फौज है उन्हें तैयार कराने के लिये। गोविन्द बल्लभ पंत जी आजकल बेचारे कमजोर हो गये हैं। कागज खोल रहे थे हाउस में। मैं भी वहीं था। जवाहरलाल जी और मोरारजी पास बैठे थे मगर किसी ने मदद नहीं की। एक कर्मचारी भी वहां पार्लियामेंट हाल में नहीं आ सकता है। लेकिन यहां इतनी सुविधायें मंत्री जी को होने के बावजूद भी उनसे गलती होती है और रोज ना करेक्शन आते हैं। अगर मंत्री जी प्रोग्रेसिव अपने आपको और इस सरकार को कहते हैं तो उन्हें यह विधेयक कुमायूं में भी लागू करना चाहिये।

जब से नागपुर का प्रस्ताव आया है और सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने उसे स्वीकार किया, उसके बाद न जाने कितने ट्रांसफर हो गये। यह फूड और प्लानिंग कमीशन ने भी थर्ड फाइव इयर प्लान में माना है कि बहुत ज्यादा फ्राड्यूलेंट ट्रांसफर हो गये। जैसे अंग्रेज जागीरें दिया करता था वैसे ही यहां भी देवरिया तराई भावर, और इतना ही नहीं, हल्द्वानी तथा रुद्रपुर इत्यादि नामों से, पूर्णागिरी कालोनाइजेशन वगैरह में जागीरें दे दी गईं। जिस भाई की ४० या ६० एकड़ से ज्यादा होगी उस पर पड़ेगी चोट। तो एक लेटीट्यूड देने के लिये यह डिलेइंग टैक्टिसटक्स हैं। मैं चेलेंज करता हूं कि इस आदरणीय सदन में बैठने वाले लोगों ने ही मुझसे कहा था कि ऐसा सीलिंग का बिल आने वाला है उन्होंने और पहले से ही इंतजाम कर लिया है।

हमारे राजा साहेब चले गये, उनके भाई बैठे हुये हैं। उनकी योग्यता की मैं बड़ी कद्र करता हूं और उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती है। उनकी ओर से प्रस्ताव आया कि सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है निकाल दिया जाय। वह कहते थे कि वहां फार्म वाले लोगों ने रुपया खर्च किया है, जमीन तोड़ी है, जड़ें उखाड़ी हैं, खेत बनाये हैं। फूड प्रोडक्शन में देश की सहायता की है। उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं। लेकिन उन्हें जो यह डर है कि उस इलाके में यह कानून लागू होने से उन्हें नुकसान हो जायगा, ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने काफी छूट दी हुई है। उनकी ओर हमारे एक भाई ने इशारा भी किया था। इस बिल के खंड ६ के उपखण्ड (१६) में दिया है कि केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित, यानी स्पेशलाइज्ड, फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट पालन या दुग्धशाला कार्य, यानी डेरीइंग, अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो, बड़ी चतुर शब्दावली है। मुबारकवाद देता हूं मैं उनको

जिन्होंने यह शब्दावली रखी है। यानी जितने में वह दुग्धशाला खोले या मुर्गे-मुर्गी रखें, बल्कि वे कृषि के प्रयोजन हों और न भी हों फिर भी उन्हें छूट है। इतने बड़े जिले में स्पेशलाइज्ड फार्म को छूट दी गई है लेकिन उसकी परिभाषा कहीं नहीं है। यह ऐसी बात हुई जैसे रामायण सारी लिख गये मगर रामचन्द्र कौन हैं, यह पता नहीं है। बारात ले जा रहे हैं मगर पता नहीं कि दूल्हा कौन है। हम लोगों को भ्रम में डालने के लिये यह बड़ी चतुर शब्दावली रखने का प्रयास किया गया है।

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उनका बहुमत है, इसलिये यह विधेयक पास तो हो ही जायगा। उन्होंने आज यहां तक कह दिया कि काउन्सिल में जमींदारी उन्मूलन बिल आज शाम तक पास हो जायगा। उस पर वोटिंग तक अभी नहीं हुआ है लेकिन इस सदन में बैठकर वह कहते हैं कि वहां वह बिल आज शाम तक पास हो जायगा। इसी तरह से यहां भी इनका विश्वास है कि सब कुछ पास हो जायगा। वह समझते हैं कि जैसे बिल वह सदन में पेश करेंगे वैसे ही पास हो जावेंगे और जैसी भी धारायें वे चाहेंगे पास करा लेंगे। अगर कोई आदमी अपने फार्म पर मुर्गी पालना चाहता है, या डेरी फार्म खोलता है, तो वह ४० एकड़ से भी जितनी ज्यादा चाहे उतनी भूमि अपने पास रख सकता है। यही नहीं इसमें पिसीकल्चर भी हो सकती है याने सुअर भी पाले जा सकते हैं, कहा है जिसे पिया चाहे वही सुहागिन। जिस पर सरकार वरद हस्त रख देगी, उसके फार्म पर कोई चोट नहीं आ सकती। अभी किच्छा सड़क पर से मैं गुजरा, शायद वहां कोई प्राग फार्म है। उस पर रात की रात में लग गया डेरी फार्म का बोर्ड और वह स्पेशलाइज्ड डेरी फार्म हो गया। हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और। सरकार के कहने को तो हो गया कि तमाम जमीन ली जा रही है लेकिन किसी न किसी बहाने से लोगों की जमीनें छोड़ दी जा रही हैं। यह तो किच्छा सड़क की बात है इस प्रकार के साइन बोर्ड न जाने कितने लग गये होंगे? कोई गांधी जी के नाम का फार्म बनायेगा, तो कोई नेहरू जी के नाम का तो कोई सम्पूर्णानन्द जी के नाम और साइन बोर्ड लग जायेंगे ताकि छूट मिल जाय। यह सब दिखावा है।

कुमायूं में दो चार मोटे आसामी हैं, लेकिन पहाड़ के लोग तो बड़े सीधे होते हैं तब भी उनकी रीजनेबिल से रीजिनेबिल बात नहीं मानी जाती। हम फिजो की तरह से कोई बात नहीं कहना पसन्द करते, हम संविधान की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं नहीं तो हमारा रहन-सहन अलग, हमारी भाषा अलग जिसमें सुन्दर २ मुहावरे हैं वह मीठी भाषा है, लेकिन इस ख्याल से कि हिन्दी का भला हो, हमने अपनी भाषा को खत्म कर दिया। इसलिये कि हिन्दी आगे बढ़े और भारत के माथे की बिन्दी बने, अपनी मृदुल मातृ भाषा को हमने छोड़ दिया। उसमें इतने सुन्दर मुहावरे हैं जो हिन्दी में तो मिलते नहीं हैं। लेकिन आज हालत यह है कि वहां की २२ लाख जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे कैसी ही गंभीर चीज है, चाहे कैसी ही सुन्दर बात हम कहें लेकिन यहां नहीं मानी जायगी क्योंकि उनको तो अपने वोट्स की फिक्र है। उन लोगों को अगर लेटीट्यूड नहीं देंगे तो चुनाव में कामयाबी कैसे होगी। एक आध लड़का भी बढ़ जाय तो पार्टिशन आदि और हो जाय। ये इस प्रकार की तरकीबें हैं अधिक जमीन हड़पने की जिनका माननीय मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं बात खत्म करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विष्ट जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर दिये गये भाषणों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। संशोधन कुछ है और विष्ट जी का भाषण कुछ और था। हमारे यहां एक कहावत मशहूर है "कहे सन की, सुने बन की" तो जहां आपका संशोधन कुमायूं से संबंधित था और जो उपखण्ड (२) को निकालने के लिये था, उसपर आपने कुछ न कह करके खण्ड ६ के उपखण्डों पर अपना भाषण जारी रखा मैं एक बार पुनः माननीय विष्ट जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वे यदि संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व एक बार इस विधेयक के उस खण्ड की भाषा को पढ़ लेते तो शायद संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं सदन की जानकारी के लिये आपकी आज्ञा से एक बार पुनः उस खण्ड को पढ़ देना चाहता हूं। खण्ड २ इस प्रकार है—"राज्य सरकार

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिनका मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त कर सकती है"। इसके आगे उपखण्ड (२) इस प्रकार है--"सम्पूर्ण कुमायूं मंडल (डिवीजन) सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उस भाग के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय, गत मई में जब कि इसी सदन के अन्दर कुमायूं जमींदारी विनाश बिल पेश किया गया था उस समय भी आदरणीय विष्ट जी ने उस बिल का घोर विरोध किया था और उस समय भी आप चिल्ला कर एक बात कहते थे कि कुमायूं में कोई भी जमींदार नहीं है। जिस भाग में जमींदारी नहीं, फिर जमींदारी का विनाश कैसा। लेकिन अन्त में आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, जैसा कि अभी आंकड़े देकर आपने इस सदन को पढ़ कर सुनाया है कि २ रुपये से कम, ३ रुपये से कम, ५ रुपये से कम लगान देने वाले ९० से लेकर ९५ प्रतिशत तक वहां के जमींदार हैं। तो आज सच्चाई श्री गोविंद सिंह जी के सर पर चढ़ कर बोलने लगी। वास्तविक तौर पर मई में जबकि आप कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल का घोर विरोध कर रहे थे और यह नहीं मानते थे कि वहां जमींदारी है, आज आपने स्वीकार कर लिया।

मैं एक बार फिर माननीय विष्ट जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जैसा कि अभी मैसूर का हवाला देकर कहा कि मैसूर में जमींदारी एबोलिशन और लैन्ड सीलिंग का बिल सब साथ-साथ चल रहा है, यद्यपि इस प्रदेश की विधान सभा ने अपने अप्रैल--मई के अधिवेशन में ही कुमायूं जमींदारी एबोलिशन बिल को पास कर दिया था लेकिन अभी तक यह बिल इस प्रदेश के दूसरे सदन में पास नहीं हो सका है। जब तक दूसरे सदन से उसी रूप में कोई बिल पास नहीं हो जाता है तब तक यह विधेयक राज्यपाल के पास कानून का रूप लेने के लिये नहीं भेजा जाता। जहां मैसूर में लैण्ड सीलिंग बिल और जमींदारी एबालिशन बिल साथ-साथ चल रहा है, तो क्या माननीय विष्ट जी को इस विधेयक की इस धारा में यह झलक नहीं मिलती है जहां कि खण्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यद्यपि अभी इस प्रदेश के कुमायूं के पहाड़ी अंचलों में अभी जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई है और जहां प्रदेश के नागर क्षेत्रों की जमींदारी प्रथा अभी समाप्त नहीं हुई है लेकिन फिर भी इस विधेयक के खंड २ में इस प्रकार की धारा रखी गयी है कि इन जगहों पर भी यह लैंड सीलिंग बिल लागू होगा लेकिन यह लागू उसी रूप में होगा जैसा कि अपेक्षित समझा जायगा और उस दिन से लागू होगा जिस दिन से सरकार एलान कर देगी। प्रदेश के शेष भागों में इस कानून के बन जाने के बाद तुरन्त ही यह विधेयक लागू हो जायगा। कुमायूं जमींदारी अबालिशन बिल के इस खण्ड को निकालने के माने यह होंगे जिस के लिये आप कहते हैं कि वहां के लोगों को यह छूट दी जा रही है। मैं विनम्र शब्दों में कहूंगा कि यह तो दिया हुआ है कि जिस प्रकार सरकार उचित समझेगी कुमायूं में भी जो तिथि घोषित होगी उसी तारीख से इस विधेयक की धाराओं को वहां लागू किया जायगा। आज कुमायूं के लिये चिल्लाकर यह बात कहना वही बात है जिस तरह से कि आप का कुमायूं जमींदारी एबोलिशन बिल के वक्त प्रयत्न था कि यह बिल पास न हो। परन्तु अब उस के पास होने के बाद आज आप फिर मांग करते हैं कि वहां पर लैण्ड सीलिंग न हो। वह तो कुमायूं पर भी लागू होगा जैसा कि मैदानी अंचल पर लागू होगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ५ रुपये से कम लगान वाले करीब ९०--९५ प्रतिशत से अधिक लोग हैं तो जब ऐसे लोग अधिक हैं तो इस में साफ रखा गया है कि औसत भूमि जिस का लगान ६ रुपये प्रति एकड़ होगा उसके लिये लैण्ड सीलिंग ४० एकड़ की होगी। तो जहां ५ रुपये से कम लगान देने वालों की संख्या आप के आंकड़ों के मुताबिक ९० प्रतिशत से अधिक है तो इस लैण्ड सीलिंग का असर ९० प्रतिशत तो क्या शायद आप के आंकड़ों के अनुसार ९५ प्रतिशत पर भी नहीं पड़ेगा। यह तो उस समय है जब कि ६ रुपया लगान की बात है तब ४० एकड़ की सीलिंग है और जब ४ से ६ रुपये के बीच लगान होगा तब लैण्ड सीलिंग ६० एकड़ हो जायगी। फिर ४ रुपये से कम लगान पर वह सीलिंग दुगुनी हो जायगी यानी ८० एकड़ हो जायगी। पहाड़ी

अंचल में कुमायूं में लगान की दरें कम हैं और अगर ४ रुपये प्रति एकड़ से कम लगान की दर होगी तो ८० एकड़ पर कम से कम लगान ३२० रुपया होगा। जब आप के आंकड़ों के अनुसार ५ रुपया लगान से कम वाले ९५ प्रतिशत से कम हैं तो ३२० रुपया वाले तो हजारों के पीछे कोई एक बैठेगा। इसलिये अच्छा हो कि वह जरा अपनी बात पर विचार करें कि उन की बात कहां तक नीतिसंगत है और न्यायसंगत है ।

दूसरी बात यह है कि जब यहां कुमायूं जमींदारी विनाश बिल आया था उस में और हमारे पूरे प्रदेश के पहले सन् ५० वाले जमींदारी विनाश बिल में जमीन आसमान का अन्तर था। बहुत सी धारायें जो इतने दिनों के अनुभव के बाद किसानों के लिये हितकर सिद्ध हुई उन का इसमें समावेश किया गया। जिस तरह से कि उन्होंने खायकरों और सीरतानों का जिक्र किया था। यहां पर जो लोग मौरूसीदार थे उन से लगान का दस गुना लेकर तब उन को भूमिधर बनाया गया था लेकिन इस सरकार ने कुमायूं जमींदारी विनाश बिल में खायकरों से एक पैसा भी जमा नहीं कराया और जिस दिन से भी पहाड़ी प्रदेश के लिये इस कानून के लागू करने की घोषणा होगी उस दिन से समस्त खायकरों को मैदानी इलाके के भूमिधरों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। मैदानी अंचल में किसानों को दसगुना लगान जमा करना पड़ा और तब उनको वह भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हुये थे लेकिन पहाड़ी इलाके के किसानों को बिना किसी मुआविजे के लिये ही भूमिधरी के अधिकार उपलब्ध हो जायेंगे। भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के बाद जमींदारों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो मैं एक बार पुनः बड़े विनम्र शब्दों में विष्ट जी से कहना चाहता हूं कि जमींदारों में ५ रुपये से कम देने वाले ९०–९५ प्रतिशत हैं। नहीं हैं तो बहुत कम संख्या में किसान मिलेंगे जिनक जमीन पर इस बिल का प्रभाव पड़ेगा ।

यह लैंड सीलिंग बिल जमींदारों पर लागू नहीं हो रहा है,.वह तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। लेकिन उस समय जो लैन्ड सीलिंग रखी गई थी, धारा १५४ के मुताबिक यह था कि जो नई जमीन खरीदना चाहते थे उसके संबंध में या भूमिधर जिसको कि जमीन की बिक्री का अधिकार हो गया था उसके संबंध में यह अधिकार था कि ऐसे व्यक्ति को जमीन बिक्री कर सकता था जिस की पहली और नई जमीन ३० एकड़ से ज्यादा न हो। लेकिन सन् ५८ में नया संशोधन हो गया और यह कह दिया गया कि भूमिधर उसी को भूमि बेचेगा जिसकी कि नई और पुरानी जमीन साढ़े १२ एकड़ से अधिक न हो, लेकिन आज भी जबकि न्यू होल्डिंग के लिये यह लागू था, ओल्ड के लिये नहीं था। आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि वहां पर न्यू होल्डिंग और ओल्ड होल्डिंग का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। सीलिंग आज किसान की जमीन पर हो रही है, जमींदार की जमीन पर नहीं। यह हो सकता है कि मैं, आप या राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह २ जुलाई, १९५२ से पूर्व जमींदार रहे हों, लेकिन आज जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद वह जमींदार नहीं रहे। जो आज किसान की जमीन पर सीलिंग हो रही है, जमींदार की जमीन पर नहीं हो रही है ।

आपके कहने के मुताबिक बहुत कम किसान ऐसे निकलते हैं जिनके ऊपर सीलिंग लागू होगी, फिर पता नहीं कि कुमायूं डिवीजन में बड़े बड़े किसान आज कहां से यकायक पैदा हो गये, जिनके लिये यह दिल दर्द आपको पैदा हो गया। तो म बड़े विनम्र शब्दों में विष्ट जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने संशोधन पर फिर सोचें।

आपके आंकड़े ही यह बता रहे हैं कि लैन्ड सीलिंग बिल कुमायूं जमींदारी विनाश के बाद कुमायूं के उस अंचल पर लागू होगा, और जो अच्छी जमीन है, ६ रुपये एकड़ से अधिक है, तो ४० एकड़ वाले पर सीलिंग की जायेगी। यह अच्छी बात नहीं है कि मैदान पर ही कानून लागू कराये और पहाड़ों पर नहीं। हमने इतने दिनों तक इंतजार किया। हम अपने नेताओं को उसके लिये कोसते थे कि मैदानी इलाके पर जमींदारी समाप्त कर दी गई लेकिन पहाड़ों पर नहीं समाप्त हुई। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की जमींदारी खत्म नहीं की गई। ८ साल से हम इंतजार कर रहे थे लेकिन आप लोग, मेरा मतलब विभिन्न पार्टियों के पहाड़ी सदस्यों से है, एक

[श्री जगन्नाथ लहरी]

गुट बना कर उसका विरोध करते थे। तो आप अब भी चाहते हैं कि पहाड़ों पर लोगों के पास जमीन बनी रहे। हम चाहते हैं कि यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो। इसलिये अगर इस खण्ड को निकाल देंगे तो कुमायूं जमींदारी विनाश बिल पास हो जाने के बाद भी ८, १० साल तक सीलिंग न लागू हो सकेगी, यही आप चाहते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि पहाड़ी अंचल के लोगों को किसी प्रकार की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये खण्ड २ का उपखंड (२) आवश्यक है और माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी से मेरा निवेदन है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री हिम्मतसिंह--जो कठिनाइयां मेरी पहले थीं उनका निवारण मंत्री जी ने कर दिया। अब मेरी कुछ और कठिनाइयां हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि इस क्षेत्र के लिये कोई दूसरा कानून नहीं बनेगा बल्कि यही वहां भी लागू होगा। तो यह कठिनाई तो मेरी उन्होंने दूर कर दी। अब कुछ वैधानिक कठिनाइयां पड़ रही हैं कि जो इन जमीनों के ट्रेसपासर्स हैं बाई प्रापरेशन आफ ला उनको राइट्स पैदा हो जायंगे तो उस जमीन के वह पूरे मालिक हो जायेंगे। ऐसी सूरत में ट्रेसपासर्स से मंत्री जी जल्द से जल्द जमीन निकाल सकते हैं अभी। लेकिन जब उनके हक पैदा हो जायंगे और अपने हिसाब से जमीन मंत्री जी बांटना चाहेंगे तो नहीं वैसा कर पायेंगे। तो मंत्री जी बतायें कि उन ट्रेसपासर्स का, जिनके राइट्स मेच्योर नहीं हुए हैं, क्या इंतजाम करेंगे ?

दूसरी बात यह है कि इस दौरान के अन्दर बड़ी बड़ी जमीनों के मालिकों ने अपने फार्म्स को अगर मेकेनाइज्ड कर लिया, क्योंकि अभी कोई डेट उनके लिये निश्चित नहीं हुई है, और जैसी की मेकेनाइज्ड फार्म्स की परिभाषा दी हुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी कानून लागू नहीं होगा इसलिये कि वहां जमींदारी अभी खत्म नहीं हुई है तो उस समय तक मालिक लोग अपनी जमीनों को मेकेनाइज्ड फार्म्स में कनवर्ट कर लेंगे और दफा ३४ में स्पष्ट है कि अगर कोई प्रार्थना-पत्र देगा तो उसे अधिक भूमि के हिसाब से छोड़ दिया जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस दौरान में अगर फार्म मेकेनाइज्ड हो जायगा तो क्या पोजीशन होगी ?

श्री हुक्मसिंह विसेन--कहां के लिये आप कह रहे हैं ? कुमायूं के लिये ?

श्री हिम्मतसिंह---जी हां, काशीपुर, हल्द्वानी, टनकपुर, जहां भी यह कानून नहीं लगा हो और वहां तीन साल के अन्दर मेकेनाइज्ड फार्म कर लें और उसके परिवार की आबादी भी बढ़ गई तो ऐसी सूरत में क्या होगा ? ऐसी हालत में उन लोगों को और अधिक जमीन मिल जायगी। लिहाजा इस परिवार में कितने व्यक्ति हैं, यह भी कठिनाई है। इसलिये गोविन्दसिंह जी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा २ का समर्थन कर रहा हूं। इसमें कुछ प्रतिबन्ध रखे हैं उनको छोड़ कर अधिकतम जोत सीमा लागू की जायगी। ये प्रतिबन्ध हैं नागर क्षेत्र, कुमायूं मंडल और देहरादून जिले के जौनसार-बावर के लिए। नागर क्षेत्र में कहीं कहीं खेती है लेकिन वह खेती ऐसी नहीं है जिसमें अधिकतम जोत सीमा वाला कानून लग जाय। इसमें बड़े झगड़े पड़ सकते हैं। नागर क्षेत्र की जमीन का मूल्य आबादी की दृष्टि से आंका जाता है। सरकार ने बाग बगीचों पर भी प्रतिबन्ध लगाया है। मान लीजिये किसी के पास १० बीघा खेत है और उसमें १ बीघा बाग लगा हुआ है तो उसके अन्दर से कितनी जमीन आप लेंगे। अगर लेते हैं तो नतीजा यह होता है की बाग-बगीचों की समाप्ति हो जाती है और उनमें जो दवायें वगैरह लगी होती हैं वे भी खत्म हो जायंगी और सारी जमीन खेती में आ जायगी। इससे जीवनोपयोगी आवश्यक चीजें खत्म हो जायंगी। अगर यह धारा २ नहीं रहेगी तो बड़ी हानि होने की संभावना है।

मनुष्य जीवन के लिये जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनका पैदा होना समाप्त हो जायगा। अन्न उत्पादन बढ़ सकता है लेकिन अन्न के साथ-साथ मनुष्य के लिये और भी उपकरण आवश्यक हैं।

नागर क्षेत्र का छोड़ना भी आवश्यक है। भिन्न-भिन्न शहरों में भिन्न समस्यायें हैं। भिन्न-भिन्न भूमि पर भिन्न-भिन्न सूरतें हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जहां पहले से मध्यवर्ती नहीं थे, जहां जमींदारी अबालीशन कानून लागू नहीं हो सका है उसके लिये अलग से व्यवस्था करनी होगी लिहाजा जो वे प्रतिबन्ध हैं इनको छोड़ कर अन्य स्थानों पर इसको लागू करना ठीक होगा। लिहाजा यह जो धारा है इसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शिवराजबहादुर—उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड २ के विरोध में मैं उपस्थित हुआ हूं। वेलफेयर स्टेट की पहचान क्या है, जहां न्याय एक सा हो, हर शख्स के लिये कानून एक सा हो, हर एरिया और रकबे के लिये कानून एक सा हो।

श्री उपाध्यक्ष—पूरे खण्ड २ के विरोध का समय बाद में आयेगा। पहले माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट के संशोधन पर आप बोलें।

श्री शिवराजबहादुर—मैं उनके संशोधन के पक्ष में ही बोल रहा हूं। इस खण्ड में ३ इलाकों को बरी किया जिनमें अभी सीलिंग नहीं लगेगी और सरकार ने अपनी स्वीट बिल पर रखा है कि वह जब चाहेगी तब सीलिंग मुकर्रर करे। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बात बतलाई कि जमींदारी एबोलीशन इन मुकामात पर नहीं हुआ है इसलिये इन मुकामात पर अभी सीलिंग नहीं हो सकती। मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहता हूं कि जमींदारी खत्म न होने पर भी सीलिंग हो सकती है। सीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर जमींदारी खत्म नहीं कर सके तो नहीं लागू कर सकते। २६ जिलों में आज चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी से पहले हदबन्दी हो जानी चाहिए लेकिन चकबन्दी चल रही है और बाद में हदबन्दी होगी। इक्विटी और जस्टिस की डिमांड यही है कि सारे प्रान्त में यकसां कानून हो। जौनसार-भाबर और अरबन एरियाज को इस कानून से मुस्तसना कर देने के माने यह हैं कि हमने खुली छूट दे दी है।

मैंने पहले भी कहा था कि अभी इसमें यह फर्क है कि कितनी सीलिंग लगायें और कितनी जमीन पर सीलिंग हो, फैमिली में ५ आदमी हों तो कितनी जमीन रख सकते हैं। इस सूरत से बड़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी अख्तियार है कि कहीं बाग लगाने की इजाजत और दे दे। फिर इसके अलावा १८ मुस्तसनियात हैं कि किसी ने डेरी फार्म खोल लिया या क्योड़ा लगा लिया। और सरकार चाहती है कि और भी ज्यादा लोगों को छूट दें ताकि इस जमाने में ट्रांसफर हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त के बजाय सरकार ने २० अगस्त किया ताकि उसके बीच में हुये ट्रांसफर्स बेलिड मान लिये जायं। इसके अलावा पहली मई तक जो बागात लगाये गये हैं वे भी मुस्तसनियात में हैं। इस सब के माने यह हैं कि पूरा अख्तियार है, जो चाहें जमीन के साथ करें। इस सूरत से हदबन्दी का ताय्युन वहां कभी नहीं हो सकेगा। अगर आज हमने उस एरिया में सीलिंग नहीं की तो इसकी मंशा सिर्फ यह होगी कि वहां कभी सीलिंग होगी नहीं। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की मंशा यह है कि जिनके पास जमीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जो परेशान हैं, उनको कुछ राहत पहुंचाई जाय, उनको जमीन मिले, उनके खाने का बन्दोबस्त हो। हमारे देश में तालीम भी कम है और दस्तकारी भी नहीं है। ऐसे बेरोजगारी के आलम में यह जरूरत है कि जो लोग हाथ से कुछ करना चाहते हैं उनको जमीन पहुंचाई जाय। एक तरफ तो हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और दूसरी तरफ बड़े बड़े फार्म हैं जिनका इन्तजाम वे फार्म वाले कर नहीं पाते हैं। ऐसी सूरत में इस बिल को वहां न लागू करने में बड़ी खराबी होगी। इसलिये इसको वहां फौरन लागू किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लहरी जी की बातों को बड़े गौर से सुना और कुछ समझने की कोशिश की लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में उनके विशाल तर्कों का कुछ अन्दाज आया नहीं। इस समय मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ गयी कि जब रामचन्द्र जी वन को चले गये तो मुनि वशिष्ठ जी और भरत जी में विचार-विमर्श हुआ। उनकी बुद्धियों की तुलना तुलसीदास जी ने इस प्रकार की है—

भरत महा महिमा बल रासी।
मुनि मति बाढ़ि तीर अबला सी॥
गा चह पार जतनु हिय हेरा।
पावत नाव न बोहित बेरा॥

तो, श्रीमन्, इस अगाध समुद्र के पार मैं नहीं पहुंच सका हालांकि बहुत कोशिश की तैरने की, नाव भी ढूंढ़ी लेकिन सब बेकार रहा। उन्होंने अव्वल तो तर्क यह दिया कि पहाड़ में जमीन इतनी कम है कि वहां यह कानून लागू ही नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिये मान लिया कि उनकी यह बात सही है तो फिर लगाया क्यों जा रहा है? कहते हैं लगायेंगे जरूर लेकिन लग नहीं सकता है। नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है। पहले पहल तपस्या जरा ज्यादा करनी पड़ती है। इसी भाव से उन्होंने कहा होगा क्योंकि वह अभी उधर कांग्रेस में वे नये-नये ही गये हैं। उन्होंने आने से पहले से ही भूमिका बांधनी शुरू कर दी थी। मुबारकबाद है उनको। जब वह इधर थे तो कुछ और कहते थे और उधर चले गये तो उनके तर्क बदल गये।

अब श्रीमन्, दूसरी बात उन्होंने खायकर के बारे में कही। न जाने उनके दिमाग में खायकर कहां से आ गया और उन्होंने कहा कि हमने खायकर को भूमिधर बना दिया और उससे पैसा भी नहीं लिया जब कि मैदान में दस गुना लिया गया तब भूमिधर बनाये गये। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक इस चीज को जानने की कोशिश नहीं की कि खायकर चीज क्या है? मैं उनको बतला दूं कि खायकर भूमिधर रूपी बहुरुपिया से ज्यादा अख्तियार रखता है। उसको उन्होंने और घटा दिया और उसके काम में अड़चनें डाल दीं। हर खायकर अपनी जमीन को अपनी जिन्दगी में लीज कर सकता है, लेकिन भूमिधर नहीं कर सकता, उसके खास-खास हक हैं। भूमिधर को भूमि के ट्रांसफर की भी अड़चन है यानी साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि एक व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। पक्का खायकर अपनी खायकरी में मनचाही जमीन बेच सकता है। खायकर की नीलाम तथा कुर्की सरकार तक नहीं कर सकती जब कि यहां भूमिधर की हो सकती है। लहरी जी जो अभी कह रहे हैं वह गलत है। कच्चे खायकर के लिये यह नहीं है कि वह मिट्टी का बना हुआ है और पक्का खायकर संगमरमर का बना हो। लेकिन चीज यह है कि उनको आज यहां बहस करनी थी सो उन्होंने कर ली और हमारा समय भी अच्छी तरह से गुजर गया। बदकिस्मती की बात यह है कि कुमायूं के लोग यहां नहीं हैं वरना वह और भी आनन्द लेते। जो लोग हैं वह वहां के रहने वाले नहीं हैं इसलिये उतना आनन्द नहीं ले सकते क्योंकि लहरी जी के ऊटपटांग तर्कों को और समझ पाते। उनके तर्क कुछ भी नहीं रहे। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यह कुमायूं में ५ रुपये के लगान वाले की संख्या ज्यादा है। ५ रुपये से कम लगान वालों को यह एप्लीकेबिल कैसे होगा? श्रीमन्, जरूरी नहीं है कि उनका एकरेज कम हो। अगर कोई ५ रुपये से कम लगान देता है तो उसका एकरेज कम हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन दिल बहलाने के लिये यह चीज अच्छी रही।

श्रीमन्, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर मंत्री जी जवाब दे देते तो मैं भी जवाब दे देता। बिल लाने के बाद से तथा नागपुर घोषणा के बाद के ट्रांसफर्स का क्या होगा? कानून तो हर सम्भावना को देखता है। जिस कानून में हर सम्भावना न देखी गई हो अदूरदर्शी कानून समझा जायगा। लार्ड मैकाले की बुद्धि की हम इसीलिये सराहना करते हैं कि जो कानून इंडियन

पैनल कोड और ऐवीडेंस ऐक्ट जो उस समय १९ वीं शताब्दी में बना गये आज तक उनमें सुधी नहीं लगाई गई। वह शान्त दिमाग से सोचा करता था, पार्टी की बिना पर नहीं सोचता था।

आज श्रीमन्, आपका सेल्स टैक्स आया, अठारह या बीस टल्ले उसमें लग चुके सन् ४८ से आज तक। अगर हम कुछ कहते हैं तो सरकारी पक्ष वाले बड़ा बड़बड़ाते हैं कि यह सब हमारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और विरोधी दल बिलकुल निगेटिव क्रिटिसिज्म करता है लेकिन जहां हमारा कानून हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाता है वहां ऐसा चकनाचूर होता है कि कुछ कहना ही नहीं। उस समय सरकारी पक्ष वाले क्यों नहीं कहते कि विरोधी दल ने क्या कहा था।

श्रीमन्, अब जरा मेकेनाइज्ड फार्म की परिभाषा को देखा जाय--

"यंत्रीकृत फार्म" का तात्पर्य उस जोत से है जिस पर इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व लगातार तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गई हो;"

यानी इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से, जिस दिन से यह अधिनियम लागू होगा उस दिन से न कि बनने के दिन से तीन वर्ष पूर्व की अवधि लगेगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर द्वारा ही खेती होती हो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गयी हो। फिर मेकेनाइज्ड फार्म में ट्रैक्टर के अलावा और बहुत से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मैंने अपने माननीय मित्रों से सुना और किताबों में भी देखने का मौका मिला, तो मेकेनाइज्ड फार्म केवल इतने से ही नहीं होता बल्कि उसके लिए कुछ और इम्प्लीमेंट्स की भी जरूरत होती है। फिर इसमें दिया है कि केवल ट्रैक्टर का चलाना ही काफी है। नागर क्षेत्र का कानून कब से लग गया लेकिन आज तक उसका प्रवर्तन न हो सका। अगर कोई चाहे कि वह ट्रैक्टर रख ले और उसके बिना पर यह प्रमाणित कर दे कि तीन साल से वह ट्रैक्टर से खेती उस भूमि पर कर रहा है तो इस तरह से वह गवर्नमेंट को डिसीव कर सकता है, और इस कानून की मंशा को डिफीट कर सकता है क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा है कि बुलडोजर हो या ट्रैक्टर हो या अन्य सब हथियार हों, तभी वह मेकेनाइज्ड फार्म माना जायगा। तो मैं तो कहता हूं कि ला ऐसा हो जिसमें कोई ऐम्बीगुइटी व लैकुना न हो। इसका प्रवर्तन अगर देर में होता है और ५९ में यह घोषणा कर चुके हैं तो बाद में जिसका मेकेनाइज्ड फार्म पहले न भी माना जाता रहा हो, वह भी कह सकता है कि हमारा फार्म यंत्रीकृत है, या स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड के बारे में, श्रीमन्, धारा ६ में केवल यही लिखा है कि केवल कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषीकृत फार्म हो। इसमें ट्रैक्टर का भी सवाल नहीं है, यह भी नहीं कि किस तरह से यह भूमि कृषि के प्रयोग के साथ-साथ कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन आदि के कार्यों में प्रयुक्त हो रही हो। तो इस तरह से ला का परपज आसानी से डिफीट हो सकता है। तो कुमायूं को आप क्यों छूट देते हैं? हम नहीं चाहते हैं कि यह छूट मिले।

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल वहां पर शीघ्र लागू हो, यह जो प्रारम्भ में आपने दलीलें दीं वही आप फिर दुहरा रहे हैं जबकि आपको केवल जवाब देने के लिये समय दिया गया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो माननीय लहरी जी ने कहा कि वहां पर छोटे जमींदार हैं। मैं माननीय लहरी जी को बता दूं कि वह चल कर वहां देखें। जमींदारी प्रथा, ऐज सच वहां नहीं एग्जिस्ट करती। हां दो-चार आदमी, मैं नाम नहीं लेना चहता, जो पहले विरोधी दल में चुने गए थे और आज कांग्रेस में चले गए हैं वे जरूर बड़ी भूमि वाले हैं। मेरा सरकार पर शक जाता है, शुबहा यह है कि उनके ऊपर सरकार ने कृपा की है कि वह बने रहें और इस बीच में अगर कुछ उनके परिवार में वृद्धि हो जाय तो उसमें पार्टीशन हो जाय और उनके मेकेनाइज्ड, स्पेशलाइज्ड कुछ फार्म हो जायं तो उनकी खेती बची रहे, स्वामिभक्ति का कुछ पुरस्कार उनको मिल जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मैंने यह समझा कि खण्ड २ का उपखण्ड निकाल दिया जाय। उसमें है—"संपूर्ण कुमायूं डिवीजन सिवाय काशीपुर परगने के तथा तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है"। उस संशोधन का गालिबन मंशा यही है कि इस हिस्से को निकाल दिया जाय।

इस सिलसिले में, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे विष्ट जी जब अपने संशोधन के बारे में पहले तकरीर कर रहे थे उस समय मैं थोड़ी देर के लिये गैरहाजिर था। उनको सुन नहीं सका। लेकिन गालिबन जब वह दुबारा अपनी तकरीर कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया जो कि वे पहले कह चुके थे, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया भी था कि आप पुरानी बातों को दोहरायें नहीं। तो उस से मैं यही नतीजा निकालता हूं कि यही बातें उन्होंने पहले भी कही थीं। कुमायूं डिवीजन में जमीदारी एबालिशन के बारे में बहुत-सी बातें उन्होंने कहीं और बहुत-सी मेकेनाइज्ड फार्म के बारे में बातें कहीं। हमारे हिम्मतसिंह जी और शिवराजबहादुर जी भी कहते हैं कि डिले न करो, इस तरमीम को मान लो और फौरन लागू कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर इस तरमीम को हम मान लेते हैं--इस तरमीम में हमने रखा है कि कुमायूं डिवीजन में काशीपुर और कुछ तराई और भावर के हिस्सों को छोड़ कर बाकी में मुल्तवी किया जाय। बाकी में बाद को लगायेंगे। तो हमारा मंशा यह है कि काशीपुर और कुछ हिस्सों में हम आज ही लागू करने के लिये तैयार हैं क्योंकि कोई इंटरमीडियेरीज वहां मौजूद नहीं है। और बकिया हिस्से में कुमायूं डिवीजन के हम करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि ऐसा करना एडमिनिस्ट्रेटिवली संभव नहीं है।

इसके बारे में पहले कई संशोधन हुए हैं और इस पर बड़ा वाद-विवाद भी हुआ और मैंने भी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिये कई बातें बतलायी हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसी हमारे विधेयक की स्कीम है, जहां-जहां जमींदारी खत्म होती जाती है वहां-वहां हम इसको लागू करने जायेंगे और वहां इसमें हम को आसानी होगी और हमारे रास्ते में दिक्कतें नहीं होंगी। जहां तक उन हिस्सों का सम्बन्ध है कि जहां जमींदारी अभी है, वहां हम इस वक्त इसको लागू नहीं करेंगे। धारा २ में जो हम ने प्राविजन किया है उसके आधार पर जब-जब संभव होगा, हम करते जायेंगे और इस में यहां हम यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि जान-बूझ कर विलम्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न सरकार विलम्ब करेगी ही। हमसे कहा जाता है कि साहब बड़ा खतरा है और अगर विलम्ब होगा तो वहां मेकेनाइज्ड फार्म्स बन जायेंगे, ट्रैक्टर चलने लगेंगे। जहां ट्रैक्टराइजेशन हो सकता है कुमायूं डिवीजन में, वहां हम इसको फौरन लागू करने जा रहे हैं, और इस के अलावा पहाड़ी इलाकों में कहां ट्रैक्टर चल सकते हैं? हमारे मित्रों ने दावा किया है कि हम पहाड़ी इलाकों में ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप बतलायें कि ट्रैक्टर अल्मोड़ा, गढ़वाल या कहां चल सकते हैं? काशीपुर में तो हम लगाना ही चाहते हैं। तो इसलिये अगर वे बिल को पढ़ लें तो मतलब साफ हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अस्कोट में चल सकते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अस्कोट में ट्रैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इतनी इत्तला मुझे है। खाली आप के कह देने से वह हो नहीं जायगा, हम भी तो उसे समझें। आज तक पहाड़ पर ट्रैक्टराइजेशन हुआ है या आज ही हो जायगा। कोई इनके लिये खतरा नहीं है, न ट्रैक्टराइजेशन होगा, न कुछ होगा और अगर हो भी तब भी मैं कहता हूं कि फायदा उससे किसको होगा। जो ट्रैक्टर चलायेंगे उन सब पर हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं। तो अगर वह बना लेंगे तो उन पर सीलिंग लग जायगा तब क्या होगा? वैसे वे इतने कम बुद्धिवाले नहीं हैं जैसा हम आप सोचते हैं। वे भी कभी ऐसे काम में हाथ नहीं डालेंगे जब देख रहे हैं कि उन पर भी सीलिंग होने जा रही है। मेकेनाइज्ड फार्म्स भी एक्जेम्प्शन में नहीं आते तो फिर अगर वे बना भी लें तो भी कोई खतरा जो हमारे भाई हिम्मतसिंह जी या विष्ट जी को है वह है नहीं और वह इमेजिनरी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--धारा ६ के उपखण्ड (१६) में जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की बात है....

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह सब मैंने देख लिया है और हम सब जानते हैं। उन सब से उनको कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उनको एक्जेम्प्शन न दे दें। न शुगर फार्म्स, न मिकेनाइज्ड फार्म्स कोई भी होंगे उन पर लागू होगा, जो सरप्लस जमीन होगी वह स्टेट फार्म डिक्लेयर हो जायगी। इसका पूरा-पूरा इंतजाम विधेयक में है।

लहरी जी के लिये मेरे दोस्त ने कहा कि नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है। ऐसी बातें यहां कहना अव्वल तो ठीक नहीं हैं लेकिन ऐसी बातें तो उन पर भी लागू होती हैं। वे पहले कांग्रेस में थे अब जनसंघ में चले गये हैं और ज्यादा प्याज खा रहे होंगे। तो ऐसी बातें कह कर सदन का समय लेना उचित नहीं है। जो औजार आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपका भी गला कटता है।

श्री गेंदासिंह---प्याज तो दोनों काटते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर उनका न कटता होता तब कहते तो ठीक हो सकता था लेकिन ऐसे औजार का इस्तेमाल बेकार है। ज्यादा न कहकर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उन्हीं ग्राउंड्स पर विरोध करता हूं जिनपर पहले की तरमीमों का विरोध किया था।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड २ का उपखण्ड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---श्री गोविन्दसिंह विष्ट जी! आप अब आइटम ३-ख मूव करेंगे। कार्य-सूची में छपने में कुछ गलती हो गयी है। इसलिये आप अभी आइटम ३-ख को मूव कर दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ का उपखण्ड (३) निकाल दिया जाय।

मुझे इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं करना है। सारे प्रदेश में एक सा कानून लागू होना है तो सिर्फ जौनसार भावर ही क्यों बाकी बच जाय। मेकेनाइज्ड फार्मिंग तो जौनसार भावर में भी हो सकती है। स्पेशलाइज्ड फार्म में ट्रेक्टर्स की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें तो कुक्कुट पालन और डेरीइंग उद्देश्य रखे गये हैं। इस बिल की धारा ६ के उपखण्ड (१६) में यह रखा है :

"केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialized) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट पालन या दुग्धशाला-कार्य (dairying) अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जांय, प्रयुक्त होती हो :"

श्रीमन्, इसमें डेरीइंग या कुक्कुट पालन को सरकार ने बिलकुल स्पेसीफाई कर दिया यानी जब मंत्री जी चाहेंगे या यह सरकार चाहेगी तो कह देगी कि ऐसा करने से स्पेशलाइज्ड फार्म हो जायगा। तो ऐसे लोगों को छूट मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष---जौनसार-भावर में कितने स्पेशलाइज्ड फार्म हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आगे हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, जो संशोधन है उसी पर आप बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उसी पर श्रीमन्, बोलूंगा। मैं बताऊं श्रीमन्, कि किछा में एक जगह डेरी फार्म का साइन बोर्ड लगा दिया है और इसलिये लगा दिया है ताकि वह स्पेशलाइज्ड फार्म माना जाय। यह भी हो सकता है कि इस कानून को डिफीट करने के लिये कुछ आदमी अपने फार्म के एक हिस्से में कुक्कुट पालन करने लगें तथा दूसरे हिस्से में कुछ और करने लगें। तो इससे जो इस कानून का परपज है वह हल नहीं होता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह (request) करता हूं, निवेदन करता हूं, कि वे इसको इस नुक्तेनिगाह से भी देखने की कृपा करें।

अधिनियम लागू करने के तारीख की बात कही गयी कि उसे १५ के बजाय २० कर दिया और यह बताया गया कि उसको इसलिये बदल दिया चूंकि इसकी घोषणा इस तारीख को की गयी। अगर आप (strictly) इसको देखें तो कानून के अनुसार, जब किसी चीज का नोटीफिकेशन गजट में हो जाता है और जिस तारीख को होता है, उस तारीख ही से उसका नोटिस माना जाता है। मेरी नजरों में आज तक ऐसा कोई कानून नहीं आया जिसमें कि यह नोटिस लिया गया हो कि वह जिस तारीख को कोई बिल असेम्बली में पेश हुआ है उसको उस तारीख से माना जाय। अगर कोई हो तो माननीय मंत्री जी कृपया बतायें। जब बिल का नोटीफिकेशन हो जाता है, तभी से उसको पब्लिश हुआ माना जाता है। कानून में जब इस तरह की तारीखों को लेना पड़ता है तो उसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लिया जाता है। तो यहां पर अगर हम यह करते हैं कि हम बिल की परिधि से आज जौनसार-भावर को छोड़ देते हैं तो वहां पर यह चीज उस दिन से लागू होगी जिस दिन से उसको सरकार लगायेगी।

माननीय मंत्री जी ने जो कल तर्क दिया कि हम पुराने ट्रान्सफरों को इनवैलिड नहीं कर सकते और जिस दिन से कानून प्रचलित होगा उसी तारीख से वह प्रभावी होगा तो मैं यह उनसे कहना चाहूंगा कि वे सोचें कि इसका नतीजा क्या होगा? लोगों के पास जो डीड्स होंगे उन पर जौनसार-भावर में अगर कोई कार्यवाही की जाती है, इस ऐक्ट के परपज को डिफीट करने के लिये, तो क्या वह इनवैलिड होगी? हम इस ऐक्ट के परपज को क्यों डिफीट होने दें? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे कम से कम इसमें जो लैकुना है उसको फिलअप करने के लिये इसको मान लें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक सेक्शन (२) की बात है, इसमें जो तीन-चार कैटेगरीज ह और सरकार को जो पावर्स दी गयी हैं उनके अनुसार वे जब चाहे जिस चीज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, जब चाहें नहीं। दूसरे माननीय मंत्री जी यह भी कहते हैं कि जहां-जहां पर जमींदारी उन्मूलन होता जायेगा हम सीलिंग को लागू करेंगे। मान्यवर, मैंने कल ऐसा कहा था कि इस ऐक्ट का क्या असर भविष्य में होगा।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जौनसार-भाबर बहुत पिछड़ी हुई जगह है और वह ऐसी जगह है जहां पर दो-चार आदमी जो चाहें वह कर सकते हैं, और जितना पिछड़ा इलाका है वहां कोल्टा कमेटी भी एक सरकार ने बैठाई है। मैं जानना चाहता हूं कि जब जमींदारी उन्मूलन के साथ इसको खत्म करना चाहते हैं तो आज सरकार को क्या दिक्कत है? मैं गोविन्दसिंह जी की उस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ट्रेक्टर चले या न चले, लेकिन इस बिल का मंशा यह है कि अगर जौनसार-बावर में लागू हो जाता है तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन मिलेगी। इस सीलिंग बिल का यह मतलब नहीं है कि ट्रैक्टर कहां चलेगा कहां नहीं चलेगा, इसका मतलब यह है कि "ग्रेटेस्ट गुड फार दि ग्रेटेस्ट नम्बर", वह ध्येय कैसे पूरा हो सकेगा। मैं बड़े नम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, कि आखिर जौनसर-बावर को क्यों एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। वहां अगर एक दो आदमी का कंसीडरेशन करना हो तो वह भी मैं नहीं समझता। कुमायूं जमींदारी अबालीशन कानून बनाते समय

आपने कहा कि हम सारे प्रदेश को एक लाइन में लाना चाहते हैं । सरकार को अगर डिफेंस देना होता है तो उसका आर्गूमेंट अलग ही होता है । अब हम भी उसी प्रकार का आर्गूमेंट देते हैं । आज जौनसर-बावर को क्यों आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं सारे प्रदेश में एक सा कानून लागू करते ? अगर ऐसा नहीं करते तो इससे जाहिर होता है कि किसी खास इरादे से एक इलाके को छूट देना चाहते हैं और इससे सरकार की नीयत पर शक हो जाता है । किस कानून के अन्दर आप रोक सकते हैं अगर कोई सारी जमीन ट्रांस्फर कर दे ? सरकार जिस समय विरोधी दल की बात को काटती है तो प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट को गीता का रूप दे देती है । उसने भी नहीं कहा कि इसको एग्जेम्प्ट करो । उसने कहा है कि पहले पूरा सर्वे होना चाहिये । आपने यह पालिसी बनाई है कि जिसने कह दिया हमारे इलाके को एग्जेम्प्ट कर दो उसको कर दिया । तो पहले उपजाऊ, बंजर इत्यादि का सर्वे होना चाहिये । बम्बई में ऐसा हुआ है, मगर हमारे यहां कुछ नहीं हो रहा है । मंत्री जी को अपने विभाग वालों से काम लेना चाहिये और जो इस सीलिंग बिल का ध्येय है कि भूमिहीनों को भूमि मिले, गरीबों को रोटी का टुकड़ा मिले उस मकसद को भी पूरा करना चाहिये ।

***श्री कुंवरकृष्ण वर्मा**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा १ के पढ़ने से साफ जाहिर है कि धारा २ में जो क्षेत्र के लिये लिखा गया है उन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा, लेकिन किस समय पर लागू होगा वह अलबत्ता सरकार पर छोड़ा गया है । परगना जौनसार-बावर जो है देहरादून में यह तो स्पष्ट है कि वहां पर अभी जमींदारी विनाश का जो ऐक्ट बना था वह अभी लागू नहीं हुआ है और जब वह लागू नहीं हुआ है तो बहुत-सी दिक्कतें सामने आती हैं बहुत-सी भूमि के बारे में । तो जमींदारी विनाश होने पर उसमें रद्दोबदल होगा । कोई भूमि किस खाते में जायगी, यह मालूम नहीं है । उस लिहाज से अभी से यह कैसे निर्णय हो जाय कि किस खातेदार के पास कितनी जमीन है जिसपर हम सीलिंग लगायें । आगे चलकर उसमें रद्दोबदल करना है । इसलिये इस समय कोई निर्णय करना गलत होगा । अगर उस क्षेत्र में तुरन्त यह बिल लागू नहीं होता तो यह वाजिब बात है । जबतक हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचते कि किस खाते में कितनी जमीन होनी चाहिये उससे पूर्व अगर इस बिल को वहां भी लागू कर दिया गया तो इस बिल का मंशा ही खत्म हो जायगा । यह तो है नहीं कि उस इलाके को बिल्कुल बरी किया जा रहा है, वहां पर ऐक्ट लागू ही नहीं होगा । जैसा मैंने अर्ज किया कि यह बिल वहां पर तभी ठीक तौर से लागू हो सकता है जबकि वहां पर जमींदारी विनाश ऐक्ट लागू हो जाय । उसके बगैर लागू हुये इसको लागू करने के मानी तो बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो संशोधन पेश किया गया है वह बेकार-सा है, माननीय विष्ट जी उसको वापस लेने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विष्ट जी ने जिस प्रकार खण्ड २ के उपखण्ड (२) को निकालने का संशोधन रखा था उसी प्रकार से उप-खण्ड (३) को भी निकालने का संशोधन रखा है । उनका प्रस्ताव है कि "देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना" यह शब्द निकाल दिये जायं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जौनसर-बावर इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है । मैं इस सदन का समय विशेष रूप से न लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मानव सभ्यता की ओर काफी आगे बढ़ गया है और जहां परिवार की परिभाषा काफी निश्चित हो चुकी है वहां लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें इस सम्बन्ध में जौनसार-बावर इलाके में आज भी एक दूसरी विचारधारा है । वहां के लोग इस विषय में काफी पिछड़े हुये हैं । वहां के लोग अंधविश्वास के कारण अपने को पांडुवंशी मानते हैं । महात्मा गांधी के शिष्य श्री धर्मदत्त शास्त्री जौनसार-बावर इलाके के कालसी नामक स्थान में ....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---आप इतिहास न बतायें, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं आपकी आज्ञा समझ गया। अब मैं वहां के रीतिरिवाजों के बारे में न कह कर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे प्रदेश में जमींदारी विनाश बिल बन रहा था उस समय देहरादून जिले में और अन्य मैदानी इलाकों में जहां पर सरकार और किसान के बीच मध्यवर्ती के रूप में जमींदारी की प्रथा थी, जौनसार-भावर इलाके में उससे भिन्न प्रकार के मध्यवर्ती होते हैं। यही कारण है कि उस समय प्रदेश की सरकार ने कुमायूं और जौनसार-भावर के लोगों को इस जमींदारी विनाश कानून से विमुक्त कर दिया था और उसके लिये फिर से कानून बनाने का विचार था और जौनसार-बावर में आज भी सेटिलमेंट का काम जारी है और सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि जौनसार बावर से किस प्रकार से मध्यवर्तियों को हटाया जाय। यद्यपि वहां पर जमींदारी प्रथा नहीं है लेकिन किसी न किसी रूप में वहां पर मध्यवर्ती कायम हैं इसलिये वहां पर यकायक सीलिंग का कानून लागू करना आसान बात नहीं है, इससे वहां पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। विष्ट जी ने इस उपखंड को निकालने पर जोर दिया है उसका एक ही मंशा मालूम होता है कि किसी क्षेत्र को विमुक्त न किया जाय। लेकिन ऐसा अभी व्यावहारिक नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया। वहां के लिये तो कानून को परिष्कृत करने के बाद दिनांक निश्चित किया जायगा और प्रदेश के अन्य भागों में यह तुरन्त ही लागू हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं विष्ट जी के संशोधन का विरोध करते हुए उनसे मांग करूंगा कि इसमें कोई तर्क नहीं है इसलिये अपने संशोधन को वे वापस लेने की कृपा करें।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो खंड २ के उपखंड (३) को निकालने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को मान ही लें। इस विधेयक को देखने से पता चलता है कि मंत्री जी सन् ६२ के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जिनके पास अधिक जमीन है, उनको काफी मौका इस विधेयक में दिया गया है। इसीलिये जौनसार-बावर को इस विधेयक से विमुक्त कर दिया गया है। इसलिये गोविन्दसिंह जी ने जो इस उपखंड को निकालने की बात कही है मंत्री जी को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि मंत्री जी और यह सरकार गरीब जनता, किसान और मजदूरों में यह भावना पैदा कर देना चाहती है कि कांग्रेस सरकार गरीबों के कानून बनाती है। यहां तो वे थोड़े से टाइम में अच्छी तरह से समझा नहीं पायेंगे लेकिन उनके पास अखबार आदि प्रोपेगेंडा के साधन बहुत से हैं। ग्राम सभाओं से सर्क्युलर निकलवा कर प्रोपेगेंडा करेगी और भूमिहीनों के वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत खण्ड २ के उपखण्ड (३) को निकालने के संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से फिर अन्त में प्रार्थना करता हूं कि कम से कम प्रदेश भर के लिये एक-सा कानून बनना चाहिये तभी प्रदेश का भला होगा, तभी गल्ले की पैदावार बढ़ेगी। ऐसे व्यक्ति जो सैकड़ों बीघे जमीन घेरे पड़े हैं उनसे इस प्रदेश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन व्यक्तियों के पास थोड़ी-सी जमीन है वे ही अपनी जमीन में मेहनत-मशक्कत करके प्रति एकड़ अन्न की पैदावार बढ़ाते हैं और जिनके पास अधिक जमीन होती है, वे प्रति एकड़ बहुत कम पैदावार देते हैं। इसलिये प्रदेश की हालत को संभालने के लिये और बहुत सा पैसा जो अन्न के लिये विदेशों को भेजा जाता है उस पैसे को बचाने के लिये माननीय मंत्री जी को कम से कम इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री गोविन्दसिंह बिष्ट के इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो पूरे इस खंड का विरोध करना बाकी है, फिर भी उसके एक अंश का विरोध करता हूं और माननीय विष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि मुझे याद पड़ गया कि जौनसार-भावर परगने के संबंध में इसी सदन ने एक कानून पास किया था और जिसमें पुलिस का अधिकार वहां के पटवारियों को दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप गौर करें, मैं इसलिये बोल रहा हूं कि जिन क्षेत्रों को इस कानून से विमुक्त किया जा रहा है वह हिस्सा चीन की सीमा के करीब है। आज देश को स्वतंत्र हुए १३ साल का जमाना गुजर गया लेकिन न तो वहां के लोगों ने जमींदारी टूटने का कोई लाभ देखा और न उन्होंने वहां कोई सभ्यता या संस्कृति की चीज ही देखी, और इस लैंड सीलिंग बिल से भी उनका जो कुछ फायदा होने वाला था वह नहीं होने वाला है। अगर सरकार जमींदारी समाप्त करने के बाद वहां की बची हुई जमीन वहां के किसानों को देती तो वे भी स्वतंत्रता का कुछ अर्थ समझते और जो आज भी उन जमींदारों के जुल्मों के शिकार हैं वे एक राहत की सांस लेते। अगर वह खेती कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन यह सरकार उस पिछड़े हुए भाग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश का वह पर्वतीय इलाका शिक्षा में, यातायात के साधनों में, दवा-दारू आदि में हर तरह से पिछड़ा हुआ है और इसके लिये मेरा तो चार्ज सरकार के ऊपर है कि वहां के लोगों का सुझाव जो लिबरेशन आर्मी की तरफ है और दुश्मनों को जो प्रचार करने का मौका मिलता है, उसके लिये सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। अगर वहां कोई सुधार नहीं किया गया, १३ वर्ष के बाद भी अगर वहां के किसान भूखा नंगा रहते हुये स्वतंत्रता की सांस नहीं लेता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। उसी की वजह से ही दुश्मनों को भी प्रचार करने का मौका मिलता है। अगर अभी तक वहां की जमींदारी नहीं टूटी और जमीन का बटवारा नहीं हुआ तो वहां की जनता को क्या फायदा पहुंचा जिससे वह संतोष करे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें कौन-सी कठिनाई है जो आप इस बिल को कुमायूं और जौनसार-भावर के इलाके में नहीं लागू करना चाहते हैं। अगर अभी तक वहां के जमींदार पहले की तरह ही किसानों के साथ ज्यादती तथा जुल्म कर रहे हैं तो दुश्मनों को सरकार के ही विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको इस संशोधन को मान लेने में क्या कठिनाई है कि सारे प्रदेश के लिये एक समान ही कानून हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक दोतरफा लोगों की बातों को सुना। मैं आभारी हूं अपने माननीय सभी मित्रों का कि जिन्होंने इस वादविवाद में अपनी शिरकत फरमाई। माननीय लहरी जी यहां हैं नहीं, मालूम होता है कहीं लहरों में चले गये। वह पहले कह गये कि इस कानून को जौनसार-भावर में इस लिये नहीं लागू करना चाहते क्योंकि वहां जमींदारी प्रथा नहीं है। फिर उन्हें याद आया और किसी ने बताया तो उन्होंने कह दिया कि वहां भी मध्यवर्ती थे इसलिये वहां भी जमींदारी उन्मूलन कानून बनाना पड़ा। इसका मैं क्या उन्हें जवाब दूं और दूसरी भी उन्होंने इसी तरह की बातें कहीं। श्री कुंवर कृष्ण वर्मा ने बताया कि हम इसे जौनसार आदि में बाद में लागू करेंगे और उन्होंने वह अंश भी पढ़ कर सुनाया। उन्होंने अपनी दिक्कत यह बताई कि अभी यह कानून लगाने से बाद को जमींदारी विनाश कानून लागू होने पर कुछ खातों के रद्दोबदल होने पर उससे तकलीफ हो जायगी। मैं उनसे कहूंगा कि मैसूर राज्य में यह दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और बहुत सहूलियत से दोनों काम साथ-साथ हो रहे हैं, जमींदारी विनाश भी और सीलिंग भी, सब ठीक से चल रहा है। मैं नहीं मानता कि यहां का स्टाफ वहां से किसी माने में गया बीता है, यहां की अच्छी ख्याति है, अनुभवी लोग हैं और हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सौभाग्य है कि हमारे माल मंत्री जी वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। वहां तो रोज बदलते रहते हैं लेकिन हमारे यहां ठाकुर साहब बराबर बने हुए हैं। यह खुशी की बात है। हम कैसे मान लें कि दोनों काम जमींदारी उन्मूलन व सीलिंग के काम के साथ-साथ यहां वाले नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा माननीय वर्मा जी अगर आगे देखें तो धारा ८ इसमें है जिसमें टेनेंट्स का झगड़ा साफ कर दिया गया है और असामी की जमीन आसानी से बड़े खाते से मिनहा हो सकती है। आप की आज्ञा हो तो मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ दूं, शायद हिन्दी में मंत्री जी को समझने में तकलीफ हो जाय। वह इस प्रकार है कि—

"8. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, land of a *bhumidhar* comprised in the holding of his *asami*, and the land of a Government lessee comprised in the holding of his sub-lessee, shall not, up to the limit of the ceiling area applicable to such *asami* or sub-lessee be taken into account in determining the ceiling area of the *bhumidhar* or the Government lessee, as the case may be.

(2) Any land of a *bhumidhar* or a Government lessee comprised in the holding of an *asami* or sub-lessee declared as surplus land of the *asami* or the sub-lessee may, at the request of the *bhumidhar* or the Government lessee be settled with the *bhumidhar* or the Government lessee up to the limit of the ceiling area applicable to *bhumidhar* or the Government lessee on payment by him of compensation payable to the *asami* or the sub-lessee, as the case may be, under the provisions of this Act."

गर्ज यह है कि यह तो इस में दिया ही है कि अगर कोई भूमिधर है और उसके कोई असामी शिकमी है तो उसकी असामी वाली जमीन उस से मिनहा हो सकती है, इन नई जगहों में काफी ऐसा मसाला है जिस से ऐसा डिमार्केशन हो सकता है। जो रिकर्ड है वह भी पर्याप्त है कि कितनी जमीन किसकी है तो फिर इस में समझ में नहीं आता कि अड़चन क्या है? जितनी असामी के कब्जे में है उतनी जमीन सीलिंग करते वक्त जमींदार के हक में से छोड़ी जा सकती है, हम अच्छी तरह से डिटरमिन और डिमार्केट कर सकते हैं कि कितनी भूमि उसकी जोत में है और कितनी असामियों के पास है। तो इसमें क्या अड़चन पड़ती है सीलिंग वहां लगाने में? यह चीज तो अपनी जगह पर रही।

रूमसिंह जी ने एक नई रोशनी दी। मुझे यह ख्याल नहीं आया था कि इस बिल में बड़ा शोर किया गया है कि जमीन गरीब को, भूमिहीन को मिलनी है। इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। लेकिन जमींदारों को या बड़े लोगों को खुश करने के लिये सरकारी पक्ष की तरफ से यह भी कहा जायेगा कि तुम्हारा कुछ नुकसान न होगा उसके लिये रेडियो वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारे की ही जरूरत है कि तुम्हें क्या फिकर है, हमने तो वह लूप-होल्स छोड़े हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेषित फार्म का साइनबोर्ड लगा लो और काम हो जायगा। और भूमिहीन व छोटा किसान इसलिये खुश कि रेडियो पर घोषणा हो गई है कि उसे भूमि मिलेगी लेकिन कुछ इससे होने वाला नहीं है।

श्री हुक्मसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले जो संशोधन पेश हुआ था उसकी मुखालिफत करते हुये मैंने यह तर्क इस सदन के सामने दिया था कि चूंकि कुमायूं में अभी जमींदारी एबालीशन हुआ नहीं है लिहाजा यह संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को इस सदन ने भी माना उस संशोधन को रिजेक्ट करने के बाद। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सदन का बहुमत यह है कि जहां जमींदारी अबालीशन न हुआ हो वहां अभी यह सीलिंग बिल न लागू किया जाय। हमारे मित्र विष्ट जी चाहें इस सदन

के आदेश का उल्लंघन कर सकते हों लेकिन बन्दा उसके सामने सिर झुकाएगा और मैं उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करूंगा और उसी के मुताबिक अमल करूंगा। लिहाजा इसमें भी हमारी वही बहस है जैसी पहले थी कि चूंकि जमींदारी खत्म नहीं हुई है लिहाजा अभी सीलिंग का कानून लगाना संभव नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इलेक्शन के मुताल्लिक कहा गया और ऐसी ही दूसरी बातें कही गईं । यह नहीं कहना चाहिये, छोटी बातें हैं। जैसे रूमसिंह जी ने कहा कि यह ढिंढोरा पीटा गया कि छोटे लोगों को भूमि मिलेगी सीलिंग के फलस्वरूप, लिहाजा सन् ६२ की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे भाई यह भी सोचेंगे कि शाहजहांपुर अग्नि कांड हुआ था तो सवा लाख रुपया मेडिकल रिलीफ में दे आया, वह कहेंगे कि वोट के लिये दे आये। वह वोट के लिये नहीं दिया। सरकार की और हमारी उनके साथ हमदर्दी थी। हमारा फर्ज है कि हमारे प्रदेश में कोई दुखी हो तो हम उसकी मदद करें। हम तो इस नियत से काम करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि "One sees the reflection of his own heart" हमारी कभी ऐसी नियत रही नहीं है।

हमसे पूछा गया कि जौनसार-भावर में जमींदारी एबालीशन क्यों नहीं किया जा सका। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी, जौनसार-भावर जमींदारी एबालीशन ऐक्ट इस सदन ने सन् ५६ में पास किया, अगर हमारे मित्र उसको पढ़ने की तकलीफ करते और देखते कि उसमें क्या-क्या बंदिशें हैं तो उन्हें मालूम हो जाता। उन बंदिशों की पाबन्दी हमें पहले करनी है कब्ल इसके कि हम जमींदारी एबालीशन का कानून वहां लागू करें।

हमारे प्रतापसिंह जी जब खड़े होते हैं तो मेरा दिल पहले ही दहल जाता है क्योंकि नौजवान आदमी हैं। इतने पंचम स्वर से शुरू करते हैं कि उस हद तक हम जा ही नहीं सकते। आपने फरमाया कि क्यों नहीं ऐसा किया? मैं तो सोचता था कि पहाड़ के भाई हैं, पहाड़ के हालात से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन आज की तकरीर से मालूम हुआ कि हमसे ज्यादा अनभिज्ञ मालूम होते हैं।

हमारे और मित्रों ने कहा कि जमींदारी एबालीशन कानून वहां क्यों नहीं लागू हुआ वहां की हालत सुन लीजिये। ब्रिटिश रूल का कोई रेकार्ड वहां नहीं था। कौन कितनी जमीन पर काबिज है, कितनी मालगुजारी है, कहीं कुछ दर्ज नहीं था। तो सरकार ने जमींदारी एबालीशन का कानून पास किया। मैं उसकी धारा ३ पढ़ना चाहता हूं—

> "(3) The State Government may at any time after the commencement of this chapter of this Act, declare by notification in the official *Gazette* that the pargana or any local area therein, as may be specified, is brought under settlement operations and thereupon the same shall be held to be under settlement and continue to be so until the issue of a second notification by the State Government declaring the settlement to be closed."

तो इसमें सदन ने आदेश दे रखा है अतः हमने फौरन सेटिलमेंट का आर्डर दिया, नोटीफाई कर दिया। अब हमारा सेटिलमेंट करीब-करीब पूरा है और दोबारा नोटीफिकेशन हम जारी करने जा रहे हैं। मैं धारा १५ उसी ऐक्ट की पढ़ देना चाहता हूं—

> "As soon as may be after the issue of the second notification referred to in section 3 in respect of an area, the State Government may by notification published in the official *Gazette*, declare that as from a date to be specified therein, the rights, title and interests of all the intermediaries in the land in such area to be specified shall as from the beginning of the date to be specified (hereinafter called the appointed date), cease and vest except as hereinafter provided, in the State free from all encumbrances."

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

यह प्रोसीजर दिया गया है। इसलिये इसकी पाबन्दी हम करते हैं। लिहाजा इस पाबन्दी में जरा देर हुई है। जो लोग सेटिलमेंट के बारे में कुछ जानते हैं और समझते हैं उनको मालूम होगा कि सेटिलमेंट एक दिन में तो होता नहीं उसमें समय लगता है और फिर ऐसे इलाके में जहां पहले से कोई रेकार्ड न हो वहां के सेटिलमेंट आपरेशन में ज्यादा देर लगती है। जैसा मैंने कहा सेटिलमेंट पूरा हो रहा है, हम दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं, जिस वक्त जारी हो जायगा दफा १५ की रू से हम फौरन जमींदारी एबालीशन को वहां लागू कर देंगे, इस वजह से देर हुई। यह नहीं कि वोट कैच करने की वजह से दीदावो-दानिस्ता ऐसा हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐक्ट पढ़ लिया जाता तो यह इलजाम हम पर न लगाते।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी ने कहा कि मैसूर में जमींदारी एबालीशन और सीलिंग दोनों साथ-साथ चलते हैं। क्या हमारे मित्र कह सकते हैं कि मैसूर में जिस इलाके में दोनों कानून साथ-साथ चलते हैं वहां की हालत जौनसार-भावर ऐसी है? हर जगह के हालात अलग-अलग होते हैं। वहां रेकार्ड रहा होगा इसलिये उनको कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत न मालूम हुई होगी लिहाजा उन्होंने लगा दिया। हमारे यहां कोई रेकार्ड नहीं है वहां सीलिंग लगा दें यह कैसे संभव है, जिनको जरा भी ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, अनुभव है, वह हमारी दिक्कतों को महसूस करेंगे, या जिन्होंने रेवेन्यू लाज का लिटरेचर देखा है वह हमारी दिक्कतों को महसूस करेंगे। और बिना पढ़े ही ऐसे इल्जामात आयद कर देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे इन शब्दों के साथ वह इसे वापस लेने की कृपा करेंगे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय मंत्री जब अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करना ही चाहिये। मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उप-खंड (३) के बाद निम्न बढ़ा दिया जाय--

"(४) नजूल भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि।"

पांचवां मैं रेड करना नहीं चाहता। हमारे सामने प्रश्न यह है कि इस विधेयक को किन क्षेत्रों में, किन स्थितियों में तथा किस प्रकार लागू किया जाय। इस सम्बन्ध में जिन कारणों से माननीय मंत्री जी ने नागर क्षेत्र की भूमि को खंड २ के अन्दर रखा है उन्हीं कारणों और उन्हीं परिस्थितियों के वशीभूत हो कर हमने यह प्रस्ताव रखा है कि खंड २ के अन्दर नजूल भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि भी शामिल की जाय। नागर क्षेत्र के अधीन जो जमीनें हैं वहां लैंड रेकार्ड में, एग्रिकल्चरल या नान-एग्रिकल्चरल लैंड डिमार्केशन की जो समस्या है उसी प्रकार की समस्या नजूल भूमि की है। नजूल भूमि देहात तथा शहर दोनों जगह हैं। शहर की नजूल भूमि की परिस्थिति वैसी है जिस पर नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्दर भूमि की है। इसलिये मैं चाहता हूं कि नजूल भूमि भी इस खंड के अन्दर शामिल की जाय। जहां तक देहात की नजूल भूमि है उसके ऊपर पहले से ही जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबन्धों को लगा दिया गया है। लेकिन कुछ ही जमीन पर लागू किया है। इस लिये देहात की जो नजूल की भूमि है उसे भी इसके अन्दर ही रखना चाहिये। इस लिये मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि नजूल भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि को भी इस खंड के अन्दर शामिल कर लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक नजूल भूमि का सम्बन्ध है अब तो देहात में कोई रही नहीं। जो रही वह गांव समाज में वेस्ट हो गयी, शहर की नजूल भूमि सारे अर्बन एरिया में

आती है, वह उससे कवर हो जायगी। लेकिन अन्य भूमि हम उससे एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहते। जो उपखण्ड (२) है उसमें भी हमने एक एक्सेप्शन कर दिया। कुमायूं में नहीं, तराई भावर में लागू करना चाहते हैं। अगर इसको मान लेते हैं तो एग्जेम्प्शन में आ जाता है। यह उचित नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इसमें कैन्टूनमेंट की जो भूमि है वह भारत सरकार की है।

श्री अध्यक्ष---कैन्टूनमेंट ऐक्ट का अमेंडमेंट उन्होंने नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उनके इस संशोधन में कोई ताक़त नहीं है। अच्छा हो वे इसे वापस ले लें।

श्री गेंदासिंह---इस पर कुछ कहना अब आवश्यक नहीं है। अगर सरकार की तरफ़ से इस पर स्वीकृति होती है तो कुछ खतरा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसे मंजूर नहीं किया। इसलिये मैं समझता हूं कि मदन गोपाल जी इसे वापस लेंगे वर्ना यह गिर जायगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य---अभी मुझे मंत्री जी से मालूम हुआ कि देहात में नजूल की भूमि नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फ़ैजाबाद जिले से शामिल होने वाली नजूल भूमि गोंडा जिले के अन्दर मौजूद है और वहां के नजूल की जमींदारी अभी नहीं समाप्त हुई है, और इस तरफ़ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने पर भी अभी वहां वह चीज़ लागू नहीं की गई।

दूसरी बात मंत्री जी ने यह कही कि शहरी एरिया के अन्दर जो नजूल भूमि है वह नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश कानून से कवर हो जाती है। नजूल भूमि पहले से ही गवर्नमेंट में वेस्ट थी इसलिये नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश कानून जो बना है उसके मुताबिक फिर से सरकार के अन्दर वेस्ट करने की कोई बात नहीं थी। इसलिये नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के अन्दर नजूल की भूमि नहीं आती है। यह पृथक भूमि है क्योंकि वह पहले से ही सरकार में निहित है। इसलिये मेरा खयाल है कि अगर मेरी यह सूचना सही है तो मंत्री जी इस पर विचार कर लें अन्यथा मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वापस ले लें तो बेहतर है।

श्री मदनगोपाल वैद्य---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पूर्ण खंड २ का विरोध करता हूं और मैंने यह संशोधन पेश किया है कि यह सम्पूर्ण खंड निकाल दिया जाय। वैसे तो खंडशः विवाद में उपखंड (१), (२) और (३) के अलग-अलग विरोध के सम्बन्ध में काफ़ी कहा जा चुका है इसलिये मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता और सिर्फ दो, एक बातें ही कहूंगा।

इस खंड के जरिये से सरकार ने बहुत ही असीमित अधिकार अपने कब्जे में ले लिये हैं और वह अधिकार यह हैं कि भविष्य में.....

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। इस सदन के सम्मुख खंड २ के उपखंड (२) और (३) को निकालने का प्रस्ताव आया था जो इस सदन ने अस्वीकृत कर दिया है। तो जब कि खंड २ का कुछ भाग सदन द्वारा स्वीकृत हो गया है तो क्या यह प्रस्ताव आ सकता है कि इस पूरे खंड को निकाल दिया जाय?

श्री अध्यक्ष---आ सकता है विरोध के रूप में। बात यह है कि वह तो खंड के कुछ भाग के बारे में था। अब ये पूरे खंड का विरोध करना चाहते हैं। वह संशोधन के रूप में नहीं आ सकता है, विरोध के रूप में आ सकता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---आप ने कहा कि निकाल दिया जाय, इसलिये मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा विरोध कर रहे हैं। तो विरोध ही कर सकते हैं। वह विरोध के रूप में उपस्थित कर रहे हैं।

श्री भीखालाल---मैं कह रहा था कि इस खंड के जरिये से सरकार ने भिन्न-भिन्न इलाकों में भिन्न-भिन्न समय पर और भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में इस विधेयक को लागू करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है और यह भी अधिकार लिया है कि उन क्षेत्रों में जहां कहीं भी जरूरी समझे सरकार जरूरी अपवादों और परिष्कारों के साथ उसे वहां लागू कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिये और मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में असीमित अधिकार दिये जायं। इसका कारण यह है कि हमने जो सरकार का रवैया देखा है उससे इस सरकार पर हमको भरोसा नहीं रहा और इसलिये नहीं रहा कि हमें आशा नहीं है कि निकट भविष्य में यह विधेयक उन क्षेत्रों में लागू किया जायगा और वहां की जनता को इसका लाभ हो सकेगा। हमारा पिछला अनुभव बताता है कि सरकार ने अपने प्रदेश के और देश के किसान आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की भावना की हमेशा अवहेलना की है। किसान आन्दोलन ने अगर प्रगतिशील सुधारों की भी मांग की तो भी सरकार ने उसकी अवहेलना की और अगर मजबूर हो कर उसको मानना पड़ा तो कानून बनाने में विलम्ब किया गया और उसको टालने की कोशिश की गई और अगर किसी तरह से बिल बन गया और सदन ने उस को पास भी कर दिया तो सरकार ने उसके लागू करने में टाल-मटोल की, यह हमारा पिछला अनुभव बताता है। इसी सीलिंग के सम्बन्ध में किसान आन्दोलन की १५ साल से पुरानी मांग है कि यह लागू होनी चाहिए, जमीन का बंटवारा होना चाहिये और छोटे किसानों को जमीन दी जानी चाहिये। इसके बाद इसी सरकार की ओर से जो कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी कुमारप्पा साहब की चेयरमैनशिप में बनी थी, उसने भी सिफारिश की थी कि सीलिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप जनरल डिस्कशन पर आ गये हैं।

श्री भीखालाल---मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हम क्यों अधिकार नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप कारण बताइये।

श्री भीखालाल---इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की कि यह लागू होना चाहिये लेकिन सरकार ने नहीं माना।

श्री अध्यक्ष---आप तो यह बता रहे हैं कि सरकार पर आपका अविश्वास क्यों है? अब आप आगे बढ़िये, इस खंड में क्या आपत्ति की बात है यह बताइये।

श्री भीखालाल---क्योंकि सरकार का इस कदर अवहेलनात्मक रूप है इसलिये मुझे उम्मीद है कि सरकार इस कानून को भी लागू करने में टाल-मटोल करेगी। सरकार ने नागर क्षेत्र जमींदारी विधेयक पास किया और तीन-चार साल हो गये लेकिन अभी तक लागू नहीं हो सका। मंत्री जी ने कहा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि जमीन का डिमार्केशन करा रहा हूं और जैसे-जैसे होता जायगा मैं इस को लागू करता जाऊंगा। मैं भी अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग भी बराबर यही बात सुनते चले आ रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनेंगे। यह आप की सरकार की तसावली है कि ४-५ साल में भी डिमार्केशन नहीं कर पाई। बात यही है कि आप चाहते हैं कि यह विधेयक लागू न हो इस लिये ढील दे रखी है। इसी तरह से कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक इस सदन में तीन साल तक पेश रहा और उसके पास होने की नौबत नहीं आई इसलिये कि सरकार उस को टालती रही। लेकिन अब मौका आया और सदन ने उसे पास कर दिया। अब वह विधान परिषद् में पेश है और उम्मीद है कि जल्द पास हो जायगा। मैं नहीं समझता कि सीलिंग बिल कुमायूं में क्यों नहीं लागू नहीं किया जा सकता है जब कि निकट भविष्य में यह पास हो कर लागू किया जायगा।

सरकार कहती है कि हम दो साल से सेटिलमेंट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक क्या किया ? जमींदारी विनाश सरकार के एजेन्डा पर आज से नहीं सन् १९५० से है। क्यों नहीं वहां पर सेटिलमेंट उस समय से शुरू किया गया। १९५२ में उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाके में जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बन गया लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक शुरू नहीं किया गया है। कहा यह जाता है कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ जैसा काम है, इसलिये देर लगेगी। कहा यह जाता है कि अभी तक सेटिलमेंट खत्म नहीं हुआ है जैसे ही यह खत्म हो जायगा वैसे ही दूसरी कार्यवाही की जायगी। लेकिन यह सब सरकारी अवहेलना के कारण हुआ है। मंत्री जी ने बताया कि १९५६ में जौनसार-भावर जमींदारी विधेयक पास हो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। एक परगने के सेटिलमेंट में तीन साल लग गये। हम जानते हैं कि सेटिलमेंट में दिक्कत होती है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती कि एक परगने के सेटिलमेंट में तीन साल लग जायं। इसलिये मालूम होता है कि इसमें सरकार की तसाहुली है। इस वजह से इस विधेयक के जरिये से सरकार अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है कि जब वह चाहे तब विभिन्न क्षेत्रों में ,विभिन्न तारीखों में, जैसे चाहे एक्जम्पशन दे और जैसे चाहे वैसे मोडीफाई करे, और जैसे चाहे वैसे लागू करे। यह असीमित अधिकार हम सरकार को देना नहीं चाहते क्योंकि हम को इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा कि वह इसको ठीक तरह से लागू करेगी, वक्त पर लागू करेगी और उससे वहां के किसानों को फायदा पहुंचेगा। पता नहीं यह जो प्रतिबन्ध है इस को सरकार उस वक्त मुनासिब समझे या न समझे, २० अगस्त सन् १९५९ का प्रतिबन्ध जो उन्होंने रखा है वह उस वक्त रहे या न रहे। तो कम से कम उस क्षेत्र के किसानों के लिये इससे कुछ भी फायदा नहीं पहुंच सकेगा अगर उन जमीनों का बटवारा या ट्रांसफर शुरू हो गया जो कि मुनासिब नहीं है। मैं नहीं समझता कि फौरन अगर यह लागू न किया गया तो वहां के छोटे-छोटे किसानों को उससे कोई फायदा पहुंचने वाला है। इसलिये मैं इस खंड का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन मेरी भावनाओं का स्वागत करेगा।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी तर्क और आक्षेप माननीय भीखा लाल जी ने इस सदन के समक्ष रखे हैं वह सरकार के प्रति अविश्वास, सरकार के प्रति प्रमाद, सरकार के प्रति उदासीनता के आरोप अगर लगाना चाहते हों तो कदाचित् ये तर्क उपयुक्त होते। कोई बात माननीय भीखालाल जी ने नहीं बतायी कि बावजूद इसके कि यू० पी० जमींदारी विनाश कानून इन क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ है तो भी सीलिंग ऐक्ट उनमें लागू हो सकता है, और इसको लागू करने में कोई अड़चन व व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। मालूम नहीं मैं अपने आपको स्पष्ट कर सका हूं या नहीं, लेकिन सूरत यह है कि कानून का अभिप्राय यह होता है कि वह रूल आफ कांडक्ट, व्यवहार की नीति का विधान करे। अगर जो व्यवस्था कानून की, मैंने इस सदन के समक्ष रखी है सही है, और रूल आफ कांडक्ट प्रेस्क्राइब करना लॉ का काम है, तो प्रश्न यह होता है कि क्या जहां कानून लागू होने की परिस्थिति नहीं है, जहां किसी रूल आफ कांडक्ट को फालो करने की, उस व्यवहार नीति का अनुकरण करने की और उसको स्वीकार करने की परिस्थिति नहीं है, वहां भी उसको लागू किया जा सकता है ? या अगर अंग्रेजी में कहा जाय तो इसका मतलब यह है कि : Can the law function in a vacuum? जहां वह परिस्थितियां नहीं हैं, जहां वह कानून उपयुक्त नहीं होता है वहां आप चाहते हैं कि वह लागू कर दिया जाय।

जहां तक श्रीमन्, मैंने उस कानून को थोड़ा-बहुत देखा है, इसकी परिभाषायें, इसकी शब्दावली, इसका सारा जो मेकअप है, इसकी सारी रचना ऐसी की गई है कि जो केवल उन क्षेत्रों पर लागू होती है जहां पर कि जमींदारी नहीं है, जहां पर भूमिधरी, सीरदारी, असामी आदि जितनी उसमें कल्पनायें की गई हैं, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में, वह कल्पनायें व्यवहृत हैं, उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। अगर वह परिस्थितियां किसी जगह विद्यमान नहीं हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में भी यह कानून लागू किया जाय। मुझे क्षमा किया जाय कि मैंने चार-पांच मिनट इस सदन के लिये लेकिन जो बातें माननीय भीखालाल जी ने इस सदन के समक्ष रखी

[श्री मदन मोहन]

उनमें यह प्रयत्न नहीं किया गया कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, जो तर्क उन्होंने रखे हैं उनके प्रतियोत्तर में वह उन्हें काटते। अतः मेरा तो विचार यह है कि जो आधार रखा गया है कि वर्जित क्षेत्रों में इस विधेयक को लागू किया जाय, वह तर्क हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिये कि वह कानून वहां व्यवहृत नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं उनके विरोध का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी की राय से सोलहों आने सहमत हूं और सब से पहले मैं माननीय वर्मा जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वर्मा जी की कठिनाई यह है कि इस बिल की रूप-रेखा ही ऐसी बनायी गयी है जिसमें कुछ विशेष क्षेत्रों को अलहदा कर दिया जाय, ऐसा विधान है। बिल की रूप-रेखा बनाने में ऐसी भूल हुई है, ऐसा उनके कहने का अर्थ है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, उनके कहने का अर्थ यह है कि अगर आप यह भी कह दें कि यह तत्काल लागू कर दिया जाय तो उन क्षेत्रों में लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां परिस्थिति ही नहीं है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, वर्मा जी ने जो कहा वह मैं समझ नहीं पाया, किन्तु आपने जो बतलाया उसे समझ पाया हूं। मैं सोचता हूं कि जिन क्षेत्रों को बरी करने के बारे में अब सोचा जा रहा है उनको बरी करने की बात न सोची जाय। हम ने कई बार बरी किया है और उधर से ऐसे ही आश्वासन मिले हमेशा कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो आप चाहते हैं वह हम भी करना चाहते हैं, थोड़े दिन खामोश रहें। कुछ दिक्कत है काम करने की, वह जब दूर हो जायगी उसके बाद जो कुछ भी आप मुनासिब समझते हैं वही कानून यहां भी लागू कर दिया जायगा। लेकिन श्रीमन्, वह कभी पूरा नहीं हुआ और श्रीमन्, डेमोक्रेसी में किसी सरकार के लिये १३ या १४ साल की मियाद बहुत बड़ी मियाद होती है। १९४७ के बाद आज १९६० है। १३ साल में कागजात नहीं दुरुस्त कर पाये जमीन के, जिस जमीन के ऊपर ही हमारी सारी भीति है। हमारी सरकार की, हमारे राज्य की, इस विधान सभा की, सब की भीति इसी पर है, वही बुनियाद है तो भी वही कागजात आज तक तैयार नहीं हो पाये।

श्रीमन्, जैसा अभी हमारे राज्यपाल महोदय ने उस दिन कहा, आज कल बहुत से बादल मंडरा रहे हैं तो अगर बादल मंडरा रहे हैं तो उन में हम घर के कागज तैयार करेंगे या कुछ और तैयार करेंगे और इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय भीखालाल जी ने बहुत उत्तम बात कही है। उन्होंने खास कर किस जमीन के लिये कहा इसे भी देखा जाय। श्रीमन्, आपका ध्यान मैं उत्तराखंड की तरफ ले जाना चाहता हूं जिस की तरफ हम को खतरा दिखायी पड़ता है। उत्तराखंड में ही हमारे कागजात नहीं तैयार हो पाये। जो सुधार उत्तर प्रदेश से बढ़िया से बढ़िया हैं वही लागू नहीं होने पायेगा उत्तराखंड में। श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हैसियत देश की हुकूमतों में, राज्य सरकारों में बड़ी सरकार कहलाने की हो तो उसमें मुझे गर्व होता है और हम जरूर चाहते हैं कि सारे भारत की सरकारों में इसको अग्रणी रहना चाहिये और जब देश के सिर पर खतरा दिखायी देता हो तो उस समय यह अग्रणी न रहे इसे मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में उत्तराखंड एक दूसरा तिब्बत बन जाय। लेकिन क्या हमारा भी कुछ फर्ज है या नहीं? उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह से कोई भी यह सुनना गवारा नहीं करेगा कि १३ साल के बाद भी चूंकि वहां के कागजात तैयार नहीं हैं इसलिये यह बंधन लागू नहीं हो सकता। अगर इसके लिये रेवेन्यू विभाग को सारे काम मुलतवी करने की जरूरत पड़े तो वह कर के भी सारे शहरों की पैमाइश और वहां की कागजात दुरुस्ती करानी चाहिये और मैं समझता हूं कि वह उचित होगा। चकबंदी का काम बन्द कर दिया जाय क्योंकि उत्तराखंड का काम काफी जरूरी है, वहां खतरा है। चकबंदी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वालों को कहा जाय कि आप पहाड़ पर तशरीफ ले जाइये और एक महीने में या दो महीने में या साल भर में वहां के कागजात को तैयार कीजिये। उनको ट्रेनिंग नहीं देना है, वे ट्रेन्ड हैं, उनको पैमाइश के कागजात की, खसरा-खतौनी की सारी चीजों की ट्रेनिंग मिली हुई है। इनको विदा किया जाना चाहिये जिस तहसील में हों, जिस टप्पे में, जिस परगने में हों उसमें काम में लगाकर उस काम को पूरा करें। मैं नहीं समझता हूं कि सीलिंग को मुकर्रर करने में क्या दिक्कत हो सकती है। अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि जो शीर्षक है, जो खंड है उस पर तो हमने अभी विचार नहीं किया है। उसमें इतनी गुंजायश है कि उसमें लिखा हुआ है कि यह सारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो हम सारे प्रदेश में लागू कर देंगे और बाकी हिस्से को उसमें से निकाल देंगे। तो मैं बड़े अदब से और बड़ी गम्भीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि अब इस काम को टालना नहीं चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज शहरों में मकान बनाने के लिये जमीन नहीं मिलती। अगर सरकार भी कुछ बनाना चाहे, चाहे वह मेहतरों के लिये मकान हों या डेवलपमेन्ट के लिये जरूरत हो तो शहरों में जो जमींदार हैं वे आज अड़ंगे के रूप में खड़े हुये हैं। तो अगर सरकार ईमानदाराना तरीके से यह समझती है कि जमींदारी को खत्म करने से अन्न की उपज बढ़ी और जो लोग सैकड़ों वर्षों से कुचले हुये हैं उनको ऊपर किया, तो मैं नहीं समझता कि शहरों में जो थोड़े से कुचले हुये लोग हैं उनको क्यों नहीं ऊपर उठा सकते हैं। यह सरकार काम्पीटेंट है और इसको पूरी ताकत है कि अगले ६ महीनों के अन्दर ही तमाम कागजात की दुरुस्ती करा दें और डिमारकेशन वगैरह करके जब तक यह कानून लागू हो तब तक वहां भी लागू कर दे। मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। न कांस्टीट्यूशनल रुकावट है और न प्रोसीजरल डिफीकल्टी है। यह सरकार इस काम को कर सकती है और इसीलिये मैं कहता हूं कि खण्ड २ को निकाल दिया जाय।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खंड का जो विरोध किया गया है और जो उस विरोध के लिये कारण दिये गये हैं, मैं तो यह समझता हूं कि वह सही नहीं है। एक आक्षेप सरकार पर यह लगाया गया कि उसने फलां क्षेत्र की या फलां परगने के कागजात मुकम्मल अब तक क्यों नहीं कराये और क्यों इतनी देरी की जा रही है, और यह सरकार जानबूझ कर उसमें विलम्ब कर रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार का क्या लाभ है? सरकार क्यों ऐसा जानबूझ कर करेगी? मैं अपने लायक दोस्त को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां पर कोई कागजात नहीं तैयार हैं, जहां पर न कोई खाता-खतौनी है, न जहां पर लगान-बन्दी है, जहां पर यह नहीं मालूम है कि कौन मालिक है और कौन असामी, कौन काश्तकार है और कौन शिकमी, जहां पर कैआस-सा है और जहां पर वह हालत है जो बन्दोबस्त अव्वल जहां पर हुआ उससे पहले जो हालत थी उससे भी बदतर जहां की हालत है। जहां पर हमें अजसरे-नौ सब बातों को करना है। मेरे लायक दोस्तों को समझना चाहिये कि वहां पर तो देर अवश्य लगेगी। जहां पर कोई पैमायश नहीं हुई है, जहां पर खेत का नम्बर भी नहीं है, जहां पर कुछ है ही नहीं, वहां पर देर जरूर लगेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर यह सब एकदम से कैसे हो सकता है। अगर आपके पास कोई जादू की लकड़ी हो तो वह भेज दें, उससे हो जाय। लेकिन अगर उसको कायदे के अनुसार करना है, जो प्रोसीजर है उसके अनुसार करना है तो इसमें जरूर समय लगेगा। आप चाहते हैं कि अगर उन लोगों को, जो वहां के रहने वाले हैं कुछ संतोष हो तो उसमें देर लगना जरूरी है। इसलिये यह कह देना कि सरकार ढीली है, सरकार चाहती नहीं है, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लायक दोस्तों को सोच-समझ कर बात करनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

मैं अपने लायक दोस्त विष्ट जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश अधिनियम में यह चीज दी हुई है कि काश्तकार तीन किस्म के होंगे---भूमिधर किसान, सीरदार और असामी, तो इसमें जो असामी का शब्द आया है उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया है। इसलिये इसको इसमें कर दिया गया है। इसमें सीरदार शब्द नहीं है। इस पर भी मेरे लायक दोस्त गौर करें।

मेरे लायक दोस्त जब माननीय गेंदासिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह क्यों न कर दिया जाय कि जो ४० एकड़ से ज्यादा जमीन रखते हैं वह उनसे ले ली जाय। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस बिल में वही चीज तो है। इसका मंशा यही तो है जो वे चाहते ह। यह चीज उन पर तो लागू होगी ही। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई प्रिंसिपल ले डाउन कर देना दूसरी चीज है और उसको फिर कानूनी निगाह से देखना होता है। जब वह समय आयेगा कि जब सीलिंग आयद होगी, तब हम इसको देखेंगे।

दूसरी दिक्कत मेरे लायक दोस्तों ने यह बतायी कि साहब इसमें २० अगस्त, १९५९ लागू की गयी है। जो ट्रांसफर्स इसके पहले हो गये हैं वह तो ठीक हैं, लेकिन जो उसके बाद हुये होंगे वे सब नाजायज हो जायेंगे। तो जहां पर इस समय हम यह कानून लागू नहीं कर रहे हैं वहां पर इसके बाद भी ट्रांसफर्स होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब हम वहां लागू करेंगे तो उसमें भी यह होगा कि २० तारीख के बाद जो इन्तकाल होंगे वे गलत होंगे। कोई दिक्कत ऐसी नहीं जिसकी वजह से यह ऐक्ट लागू न हो सके। यह ऐक्ट बखूबी लागू होगा और इसकी किसी को कोई मांग नहीं हो सकती है कि कोई इन्तकाल करके जमीन को इस ऐक्ट के खिलाफ कार्यवाही करे। इसलिये यह जो विरोध अभी माननीय सदस्य ने किया है वह गलत है और मुझे उम्मीद है कि वह अपना संशोधन वापस लेंगे।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय, खंड २ का विरोध करने के सिलसिले में मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय मदन मोहन जी ने एक तर्क अभी उपस्थित किया था और भीखालाल जी के आर्गूमेंट की बाबत श्रीमन् के सामने यह कहा कि जो रचना ऐक्ट की की गयी है, जो फ्रेम है उसमें कहीं इस बात का विधान नहीं है कि नागर क्षेत्र में अप्लाई करे। तब भीखालाल जी अपनी बात क्यों कहते हैं ? उसी बात को जो उन्होंने कानून की शक्ल देकर पेश की है अगर उसको दूसरे तरीके से श्रीमन्, आपके सामने पेश करें तो उनके कहने से ऐसा अर्थ निकलता है कि जो जब हमारा इरादा उसको अप्लाई करने का है ही नहीं, जब हमने यह निश्चय कर लिया है कि हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका यहां पर यह कहना बिलकुल बेकार है।

वैसे जहां तक उस खंड के विरोध का प्रश्न था वह इसलिये किया गया कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय कि यह जो खंड २ आपने बना रखा है इसकी वजह से सीलिंग के आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस को आपने डिफीट कर दिया और सारे का सारा परपज इस लेजिस्लेशन का डिफीट कर दिया गया है। तो भीखालाल जी के विरोध में यह बात थी कि अगर आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस पर कायम रहना है तो यह खंड जैसा कि मौजूदा है इसको निकाल दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमने अरबन एरिया जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास कर दिया, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम डिमार्केशन नहीं करा सके, हम अप्लाई नहीं कर सके · ·

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम अप्लाई कर रहे हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मदन मोहन जी और माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के आर्गूमेन्ट्स को अगर देखा जाय तो वह दोनों कंट्रेडिक्टरी हैं। आप कहते हैं कि यह बात मुमकिन नहीं है और वह कहते हैं कि हो रही है। मुझे यह निवेदन करना है कि आपको याद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा कि १९३९ में जब श्रीमन् ने यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट बनाया, जिस समय आप सरकार के एक अंग थे, तो एक ही टेनेंसी ऐक्ट बना था जोकि अरबन और रूरल दोनों एरियाज को अप्लाई कर दिया गया। आज भी म्यूनिसिपल एरियाज में तथा अरबन एरिया में यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अप्लाई करता है। जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, १९५२ पास किया गया तो कौन-सी दिक्कत की बात थी कि जब पहले का एक लेजिस्लेशन आपके सामने था जो शहर और देहात दोनों के लिये अप्लाई करता था तो जबकि उत्तर प्रदेश के सौभाग्य से माननीय मंत्री महोदय तब भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उसको क्यों नहीं सारे उत्तर प्रदेश के लिये अप्लाई किया गया। उसके बाद जब अरबन एरियाज का कानून बनाया तो उसको डिले किया गया और सीलिंग का जो बिल बनाया उसमें अप्लाई नहीं किया तो अगर विरोधी दल की तरफ से इस बात का चार्ज होता है कि जनाब इसको अप्लाई नहीं करना चाहते सीलिंग के प्रिंसिपल को तो उसका कारण है ।

श्रीमन्, जानते हैं कि एक बीघा जमीन अगर कोई देहात में बेचता है विशेष रूप से बुन्देलखंड में तो सौ डेढ़-सौ रुपया पाता है, लेकिन शहर का कोई आदमी अगर शहर के नजदीक एक बीघा जमीन बेचता है तो हजार डेढ़ हजार रुपया पाता है। शहर में जिनकी जमीदारियां हैं या जिनके खेत शहर की आबादी के पास हैं अब चूंकि म्युनिसिपल एरिया बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वह लोग अगर अपनी जमीन बेचते हैं तो उनको एक-एक बीघे पर २--३ हजार रुपये मिलते हैं। मैं समझता हूं कि या तो ऐसा हो कि शहर के जमींदारों के बड़ा भारी जोर और असर इस सरकार पर हो या उनके लिये इस सरकार को हमदर्दी हो ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम डिमार्केशन करा रहे हैं। सन् १९३९ के ऐक्ट के अनुसार और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अनुसार सारे के सारे पटवारियों के कागजात मौजूद हैं, कितनी जमीन मजरूआ है यह भी लिखा हुआ है। एक आर्डर से यह सरकार फैसला कर सकती थी कि जितनी जमीन मजरूआ खतौनी में लिखी हुई है वह सारी जमीन मुंतकिल करार दी जाय। डिमारकेशन की जो दलील दी जा रही है उसका नतीजा यह तो नहीं होना चाहिये कि भूमिहीनों को बिल्कुल वंचित कर दिया जाय। इस ऐक्ट में यह भी है कि २० अगस्त के बाद कोई ट्रांसफर जायज नहीं माने जायेंगे लेकिन शहर के जमींदार इस सीलिंग लेजिस्लेशन आने के बाद भी बिलकुल फ्री हैं, वह बराबर बेचते चले जायं, उन पर कोई असर नहीं होगा। माननीय माल मंत्री जी बड़े मशहूर वकील रहे हैं। सेक्शन २ में जो उन्होंने प्राविजन रखा है उस पर जरा वह गौर फरमायें। मंत्री महोदय की सहूलियत के लिये मैं उसको अंग्रेजी में पढ़े देता हूं :

> "The State Government may, by notification in the official *Gazette*, apply the provisions of this Act, subject to such exceptions or modifications. . . ."

मेरा निवेदन यह है कि subject to such exceptions के माने यह होते हैं कि सरकार आगे कह सकती है कि शहर में ८० एकड़ की सीलिंग होगी ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---"not affecting the substance" यह भी पढ़ दीजिये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---"Not affecting the substance" इसको अगर हम जस्टीशिएबिल भी मान लें तो इसके क्या मानी हैं? अगर आपने ८० एकड़ सीलिंग फिक्स की और कोई कहेगा कि आपने ४० एकड़ क्यों नहीं किया तो आप फर्मायेंगे कि यह सब्सटेन्स को अफेक्ट नहीं करता है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी बेजा बात मैं नहीं कहूंगा ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर इसको इनैक्ट करने में क्या दिक्कत है। उन सर्कम्सटांसेज और एक्सेप्शन्स को आप हाउस के सामने प्लेस कर दीजिये। नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि लेजिस्लेचर ने हमको अधिकार दे रखा है और

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

आप वह सर्कम्सटांसेज और एक्सेप्शन्स हाउस के सामने पेश नहीं करना चाहेंगे। श्रीमन्' मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी सदन को इस बात से अवगत करा दें कि वह कौन से एक्सेप्शन्स और सर्कम्सटांसेज होंगे और कौन से डाइरेक्शंस होंगे और वह कौन से माडीफिकेशंस होंगे, उनको बतायें। इस तरह से जब तक इसको साफ न कर दिया जाय तब तक सीलिंग होने वाली नहीं है और ऐसा कहना फ्राड होगा। इसलिये मैं भीखालाल जी के विरोध का समर्थन करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र भीखालाल जी ने अपनी तकरीर के शुरू में यह फरमाया कि उनको इस सरकार में विश्वास नहीं है। मैं भी अपने दिल में छिपाकर नहीं रखना चाहता हूं कि इस सरकार को भी कम्युनिस्टों में विश्वास नहीं है। हमारे गेंदा सिंह भाई या गोविन्दनारायण जी भले ही धोखा खा जावें मगर यह सरकार धोखा खाने वाली नहीं है। लेकिन इस सदन को सरकार में पूरा विश्वास है। इसी तरह का प्राविजन जैसा क्लाज २ है, जमींदारी अबालीशन बिल में, लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में रखा गया और सरकार को अधिकार दिये गये। सदन गलती नहीं करता है, वह सावरेन अथारिटी है। ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बाटिलनैक हुआ करते हैं। मैं आज सुबह से यह बहस करता आ रहा हूं और हैमर करता आया हूं कि जहां-जहां अभी तक जमींदारी अबालीशन नहीं हुआ है, जैसे कुमायूं है, जिसके लिये दूसरे सदन से बिल पास हुआ है और वह यहां आवेगा, वहां भी यह कार्य किया जायगा। हमने यह भी कहा कि कुमायूं में रेकार्ड खराब थे और सन् १८७४ से सेटिलमेंट नहीं हुआ। २ वर्ष से वहां सेटिलमेंट आपरेशन्स चल रहे हैं, कुछ तहसीलों में पूरे हो गये हैं, बाकी में हो जावेंगे। जब सब रेवेन्यू असेसमेंट की स्टेज पर आ जावेंगे, तब हर तरह की सहूलियत होगी हमको जमींदारी अबालीशन व सीलिंग लागू करने में।

जौनसार-भाबर के बारे में मैंने अर्ज किया, मगर हमारे मित्र ने ध्यान नहीं दिया और हमारी दिक्कतों को समझने की कोशिश नहीं की। जैसे गोविन्दनारायण जी ने मोटिव एट्रीब्यूट किया, भीखालाल जी ने भी किया कि यह केपिटलिस्टों और बड़े-बड़े जमींदारों की सरकार है, लिहाजा उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से देर कर रही है। भीखालाल जी पर तो कोई असर नहीं हो सकता, न उनके वर्ग के लोगों पर। लेकिन आगे चलकर वे हमारी दिक्कतों को महसूस करेंगे। खतरा यह बतलाया जाता है कि वहां जमींदार सब जमीनें बेच लेंगे, शहर की। मगर मैं अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूं कि जिस वक्त हम यह बिल वहां लागू करेंगे तो दफा ५ भी लागू करेंगे। उसमें एक डेड-लाइन २० अगस्त सन् १९५९ मुकर्रर है। उसके बाद कोई बेवकूफ नहीं है, जो जमींदारों से जमीन खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो अपने रिस्क पर खरीदता है। हां, अनाड़ी कोई होगा जो जमीन का भूखा होगा और जिसके पास मुफ्त का पैसा होगा और उसके लिये आखिर में उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आज ऐलान किये देता हूं कि यह चीज २० अगस्त के बाद जायज न होगी। हमारे विधेयक में यह डेड-लाइन मुकर्रर है। इसके बाद जब यह कानून लागू होगा तो सीलिंग परपजेज के लिये रिआर्गनाइज नहीं होगा। लिहाजा हमें कोई खतरा दिखायी नहीं पड़ता। भीखालाल जी को दिखायी पड़ता हो तो वे डरें। अगर हम इस धारा २ को नहीं रखते हैं तो हमको बिल के लागू करने मे अनेक दिक्कतें होंगी और न जाने कितनी कानूनी दिक्कतें आयेंगी और हमारे काम में देरी हो जायगी और हमारा जो मकसद जल्द से जल्द कानून लागू करने का है वह डिफीट हो जायगा।

जिन महानुभावों ने इसका विरोध किया उन्होंने गलतफहमी की वजह से किया। मैं श्री भीखालाल जी से अपना संशोधन वापस लेने के लिये तो नहीं कहूंगा क्योंकि कहने से वे

वापस लेंगे नहीं। अतः मैं उनकी उक्तियों का विरोध करता हूं और उनके संशोधन को अपोज करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

परिभाषाएं

३—विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस अधिनियम में :

(क) "अधिकतम क्षेत्र" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है, जो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो,

(ख) "अच्छे प्रकार की भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो,

(ग) "परिवार" का तात्पर्य इस प्रकार से है कि उसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित संबंधियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हो, समावेश है :

(१) पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो;

(२) आश्रित पिता तथा आश्रित माता;

(३) पुत्र तथा पुत्र का पुत्र, जब तक कि वे धारक से पृथक् न हुये हों;

(४) उपखंड (३) में उल्लिखित व्यक्तियों की पत्नी या विधवा;

(५) पुत्री तथा पृथक् न हुये पुत्र की पुत्री, जब तक कि वे अविवाहित रहें।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक् समझा जायगा जब भूमि पृथक् रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबंधित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद में, या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसे पृथक् अंश दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो :

उ०प्र० अधिनियम संख्य ५, १९५४

उ०प्र० अधि नियम संख्य ३१, १९५४

(घ) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव समाज के असामी या "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी अथवा यू०पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, के अधीन, शिकमी काश्तकार (sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार या सरकारी पट्टेदार अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो तो, सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

यू०पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(ङ) "यंत्रकृत फार्म" का तात्पर्य उस जोत से है जिस पर इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व लगातार तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गई हो;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत परिवार, सीमित दायित्व समवाय (Limited Liability Company) तथा किसी विधि के अधीन निबंधित समिति भी होगी;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(ज) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ उल्लिखित किये जायं इस अधिनियम के अधीन "नियत प्राधिकारी" के कृत्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(ट) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी खातेदार के पास उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी हैं।

(ठ) "खातेदार" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो;

(ड) "सहकारी समिति" का तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) किसी सहकारी समिति से है, तथा

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(ढ) उन शब्दों तथा पदावलियों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गयी है किन्तु जिनका प्रयोग १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिये गये हैं।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ के उपखंड (क) में शब्द 'अधिनियम के' तथा इस क्षेत्र से के बीच निम्नलिखित निकाल दिया जाय--

'अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के' "

इसमें कोई शुबहा नहीं है कि जिसने भी अंग्रेजी में या हिन्दी में इस विधेयक को ड्राफ्ट किया है उसने इस विधेयक की सारी की सारी जान एक ऐसे गैरइम्पार्टेंट मुकाम पर रख दी ताकि किसी के नोटिस में ही न आवे। जिस प्रकार यह खंड ३(क) रखा गया है अगर उसी प्रकार से पास हो जाय तो उत्तर प्रदेश के भूमिहीन किसानों को कोई भूमि मिलने वाली नहीं है। इसमें खंड ३, खंड ६ और खंड ४ इन तीनों खंडों को एक साथ देखा जाय तो इस खंड ३ के उपखंड (क) की अहमियत समझ में आ जायेगी।

खंड ६ में अधिकतम सीमा से अधिक जमीन छोड़ी गयी है बागों के लिये। बागों के लिये कोई सीमा नहीं है। अगर किसी के पास २०० एकड़ का बाग है, चाहे जितना बाग हो, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको रख सकता है। जब इस लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट किया गया तो बागों के लिये कोई लिमिट अवश्य ही रखी जानी चाहिये थी। ऐसा न करने से नतीजा उसका यह होगा कि सारा का सारा प्राविजन बेकार हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
२ अगस्त, १९६०।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० बी० ए० पी०—११७ एल० ए०—१९६०—८४५।